

35^{वाँ} वार्षिक
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष

35TH ANNUAL
REPORT

YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

2021



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड
जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

**THE BRAITHWAITE BURN AND
JESSOP CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED**

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)



खुंगसुंग, मणिपुर में पुल संख्या 130 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
Erection is in progress for Bridge No.130 at Khungsung, Manipur.



लोंडा-मिराज, कर्नाटक में पुल संख्या 125 का निर्माण कार्य प्रगति पर है
Erection is in progress for Bridge No.125 at Londa-Miraj, Karnataka.

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल	1
2.	शेयरधारकों को सूचना	2
3.	अध्यक्ष का संदेश	6
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5.	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	43
6.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	57
7.	तुलन पत्र	58
8.	लाभ एवं हानि का विवरण	60
9.	नकद प्रवाह का विवरण	61
10.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	63
11.	कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ	64

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीबीजे में निदेशकों की सूची

	नाम	अवधि
	श्री सुंदर बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(पूर्ण वर्ष)
	श्री अर्नब चटर्जी निदेशक (तकनीकी)	(पूर्ण वर्ष)
	श्री रितेन्द्र कुमार मित्रा निदेशक (वित्त)	(30.06.2020 तक)
	श्री मुकेश कुमार निदेशक (वित्त)	(01.07.2020 से)
	श्री सुनील कुमार सिंह सरकारी निदेशक (सरकारी नॉमिनी निदेशक)	(11.11.2020 तक)
	श्री रामा कांत सिंह सरकारी निदेशक (सरकारी नॉमिनी निदेशक)	(11.11.2020 से 18.06.2021 तक)
	श्री आदित्य कुमार घोष सरकारी निदेशक (सरकारी नॉमिनी निदेशक)	(01.07.2021 से)
मुख्य सतर्कता अधिकारी	सुश्री चंद्रानी गुप्ता	(16.12.2020 से)
लेखा परीक्षक	: एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार	
सॉलिसिटर	: फॉक्स एण्ड मण्डल, कोलकाता सैण्डर्सन्स एण्ड मोरगन्स, कोलकाता	
बैंकर्स	: भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक येस बैंक	
पंजीकृत कार्यालय	: 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001	

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जा रही है कि दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल में मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को अपराह्न 15:30 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए होगी –

साधारण काम-काज :

- 1 कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2021 को स्थित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु इसके अंश के तौर पर टिप्पणियाँ आदि सहित वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
- 2 वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
- 3 वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
- 4 सरकारी आदेश से निदेशकों की नियुक्ति को नोट करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)

कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

27, आर.एन. मुखर्जी रोड,

कोलकाता-700001

दिनांक : 01 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि : सभी निदेशकों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों को

द्रष्टव्य :

1. बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को, अपने बदले में बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरुष नियुक्त करने का अधिकार है और उक्त प्रतिपुरुष को कंपनी का सदस्य रहना आवश्यक नहीं है।
2. कोविड-19 महामारी के प्रकोप जारी रहने के मद्देनजर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') के परिपत्र सं. 20/2020, दिनांक 05 मई, 2020 के जरिए 2020 कैलेण्डर वर्ष के दौरान किसी आम स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') की सुविधाओं के जरिए वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा लो.उ.वि. ने का.ज्ञा. फाइल सं.-एमजीएमटी, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा स्पष्ट किया है कि एमसीए द्वारा कोविड-19 शुरू होने से उत्पन्न होनेवाली स्थिति के बारे में यथा अधिसूचित दी गई छूट के लो.उ. के मामलों में भी लागू होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में उपरोक्त परिपत्रों के क्रम में एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021 के वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') से आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021 की एक प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है और तदनुसार, कंपनी की 35वीं वा.सा.बै., यदि आवश्यक है, तो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों को भाग लेने के विकल्प के साथ संचालित की जाएगी।
3. तैंतीसवीं ई-वा.सा.बै. के लिए माना जाने वाला स्थान वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान होगा जैसा कि वा.सा.बै. की सूचना में बताया गया है।

वा.सा.बै. की सूचना के लिए संलग्नक (1)

प्रतिपुरुष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन : यू70100डब्ल्यूबी 198जीओआई041286
 कंपनी का नाम : दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत

सदस्य (यों) के नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी	:	
डीपी आईडी	:	लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी मेंशेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्वारा निम्नलिखित को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 35 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/ ते हूँ/ हूँ।

- नाम : पता : ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर:, या उसके चूकने पर
- नाम : पता : ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर:, या उसके चूकने पर
- नाम : पता : ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर:, या उसके चूकने पर

और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं।

संकल्प संख्या

- 1
- 2
- 3
- 4

राजस्व स्टाम्प
चिपकाएं

..... 2021 केवें दिन हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर : (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

वा.सा.बै. की सूचना के लिए संलग्नक (2)

सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021

फा. सं. 2/6/2020-सीएल-V

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए-स्क्व, शास्त्री भवन,
डॉ आर पी रोड, नयी दिल्ली
दिनांक : 13 जनवरी, 2021

सेवा में

महानिदेशक कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
सभी क्षेत्रीय निदेशकों,
सभी कंपनी रजिस्ट्रार,
सभी पणधारियों।

विषय : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने का स्पष्टीकरण

महोदय / महोदया,

इस मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 05 मई, 2020 की क्रम में और उचित जांच के बाद, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 के अनुच्छेद 3 और 4 में प्रदान की गई अपेक्षाओं के अनुसार, उन कंपनियों को जिनकी वा.सा.बै. वर्ष 2020 में होने वाली थी या वर्ष 2021 में करनी है, उनकी वा.सा.बै. 31.12.2021 को या पूर्व आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा वा.सा.बै. आयोजित करने के लिए किसी समय विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा, और जिन कंपनियों ने संबंधित समय-सीमा का पालन नहीं किया है, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई के अधीन रहेंगी।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ह0/

(के एम एस नारायणन)

सहायक निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित : 1. परिपत्र एमसीए वेबसाइट पर डालने के लिए ई-गवर्नेंस अनुभाग और वेब कंटेन्ट्स अधिकारी को और 2. गार्ड फाईल।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में आप सब का स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सीएंडएजी के मंतव्य और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट समेत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु और लेखा-परीक्षित लेखे और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

एक वैश्विक घटना के रूप में, आपकी कंपनी का व्यवसाय संचालन भी लॉकडाउन के कारण बाजार में मौजूदा मंदी और कोविड -19 महामारी के बाद आवाजाही पर रुक-रुक कर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। तथापि, इन बाधाओं के बावजूद, बीबीजे ने जानबूझकर रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभकारी आदेशों की ओर लक्ष्य किया, जिससे टर्नओवर और लाभप्रदता के मामले में वृद्धि को बढ़ावा मिला। आपकी कंपनी एक बार फिर लगातार लाभ कमाने वाले सीपीएसई के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने के अपने प्रयास में सफल रही है।

कोविड -19 के कारण प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत पहलों के कारण मध्यम से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में वृद्धि के लिए व्यापक शीर्षकक्ष की पेशकश करना जारी रखेगा। निरंतर विकास और भविष्य के विकास के लिए, कंपनी प्रचालन (ईपीसी) के मौजूदा क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को विकसित करने के साथ-साथ नए व्यवसाय वर्टिकल (पीएमसी) के तहत बड़े पैमाने पर व्यापार के अवसरों को कब्जा करने के लिए सर्वोत्तम स्तरीय प्रयास कर रही है। आरवीएनएल का आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम के जरिए नये आदेश परियोजना के शुरू होने के बाद से निचली पंक्ति में सुधार होगा।

इससे पहले कि मैं आज की बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त पर शुरूआत करूँ, मैं आपसे वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य प्रदर्शन की संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। चुनौतियों के बावजूद, कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 11361.84 लाख रु. के प्रति वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 10361.04 लाख रु. कुल लाभ कमायी है। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) 1168.01 लाख रु. (विगत वित्तीय वर्ष: 195.92 लाख रु.) है।

35वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल ने, शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 (प्रति इक्विटी शेयर 4.137 रु. की दर से) 50 लाख रुपये के लाभांश के भुगतान के लिए अपनी मंजूरी के लिए सिफारिश की है।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्षभर सौहार्दपूर्ण रहा।

कंपनी डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी निगम प्रशासन दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। नैगम प्रशासन दिशा-निर्देशों के तहत तिमाही व वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना विलंब के, निर्धारित समय के भीतर डीपीई के साथ प्रस्तुत की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने निगम प्रशासन अनुपालन हेतु लगातार “उत्कृष्ट” ग्रेड प्राप्त किया है। नैगम प्रशासन पर विस्तृत रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कंपनी की निदेशक रिपोर्ट के अनुलग्नक में अलग से प्रकाशित किया गया है।

मैं इस अवसर पर निदेशक मण्डल में मेरे सहकर्मियों का कंपनी प्रबंधन में उनके मूल्यवान समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, आरवीएनएल, इरकॉन, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, विनियामक तथा सांविधिक प्राधिकरण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों एवं परामर्शदाताओं, संयुक्त उद्यम भागीदारों और सभी पणधारकों से प्राप्त हार्दिक समर्थन हेतु आभार प्रकट करता हूं। हम कंपनी के भविष्य के प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

मैं, पूरे बोर्ड मंडल की तरफ से, सभी स्तर के बीबीजे कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनकी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण हेतु आभार प्रकट करना चाहता हूं।

आप सभी को धन्यवाद

जय हिन्द

दिनांक : 28 सितम्बर, 2021

सुंदर बनर्जी

स्थान : कोलकाता

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयरधारकगण,

ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष (वि.व.) हेतु लेखा परीक्षित खातों के साथ कंपनी के प्रचालन और कार्य प्रदर्शन पर 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए खुशी ही रही है।

1 वित्तीय विशिष्टताएँ

1.0.1 कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के नियम 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन लागू प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अन्य लागू प्रावधानों एवं उसके विस्तार तक तदुपरांत संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। प्रथम इंडि एएस वित्तीय विवरण एवं इंडि एएस 101 पहली बार “भारतीय लेखा मानकों को अपनाना” का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2017-18 में लागू किए गए थे और उसके बाद से लगातार पालन किया जा रहा है।

1.0.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 बनाम 2019-20 हेतु कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:-

(₹ लाख में)

व्यौरा	2020-2021	2019-2020
प्रचालन से राजस्व	7053.85	10640.23
अन्य आय	3307.18	721.61
मूल्य ह्रास के पूर्व लाभ/हानि वित्तीय लागत, असाधारण मद व कर व्यय	1729.09	411.67
घटाएँ: मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि	93.36	122.88
वित्तीय लागत, असाधारण मदों तथा कर व्यय से पहले लाभ/हानि	1635.73	288.79
घटाएँ: वित्तीय लागत	128.68	60.91
कर व्यय से पूर्व लाभ/हानि	1507.05	227.88
घटाएँ: कर व्यय (वर्तमान और स्थगित)	339.04	31.96
वर्ष हेतु लाभ/हानि	1168.01	195.92

1.0.3 कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 11361.84 लाख रु. के प्रति वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 10361.04 लाख रु. कुल लाभ कमायी है। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) 1168.01 लाख रु. (विगत वित्तीय वर्ष: 195.92 लाख रु.) है।

1.0.4 एक वैश्विक घटना के रूप में, आपकी कंपनी का व्यवसाय संचालन भी लॉकडाउन के कारण बाजार में मौजूदा मंदी और कोविड -19 महामारी के बाद आवाजाही पर रुक-रुक कर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। तथापि, इन बाधाओं के बावजूद, बीबीजे ने जानबूझकर रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभकारी आदेशों की ओर लक्ष्य किया, जिससे टर्नओवर और लाभप्रदता के मामले में वृद्धि को बढ़ावा मिला। आपकी कंपनी एक बार फिर लगातार लाभ कमाने वाले सीपीएसई के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने के अपने प्रयास में सफल रही है।

2 पूंजीगत संरचना

2.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 31 मार्च, 2021 को प्राधिकृत पूंजी रु. 34810 लाख तथा चुकता शेयर पूंजी रु.12086.05 लाख थी।

3 सामान्य प्रारक्षित

3.1 31 मार्च, 2021 को सामान्य प्रारक्षित (प्रतिधारित आय को छोड़कर) रु.1473.65 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष 2019-19 20 में रु.1473.65 लाख) बनता है।

4 लाभांश

4.1 लाभांश कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में बोर्ड द्वारा संस्तुती करने एवं तत्पश्चात् शेयरधारकों द्वारा इसकी मंजूरी के बाद भारत सरकार को देय हो जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षाओं के मुताबिक होगा।

4.2 लाभांश पर लाभांश वितरण कर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

4.3 लाभांश भुगतान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) पर दिशा-निर्देश के अनुसार, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) या अगर कोई छूट हो तो (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किया जाएगा।

5 प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण

5.1 कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा

5.1.1 केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम (कें.लो.उ.) के रूप में 17 सितंबर, 1986 को समाविष्ट, भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी, समूची 100% इक्विटी शेयर पूंजी धारण करते हैं। यह कंपनी भाउवि के अधीन एक अनुसूची 'ग' केन्द्रीय लोक क्षेत्र का उद्यम है।

5.1.2 कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय में संयुक्त है:

- अभियंत्रण संप्राप्ति व निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - इस्पात पुल, और
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य

5.1.3 कंपनी द्वारा अपनायी गयी परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं।

5.1.4 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकतानुसार तथा आईएसओ : 9001:2015 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 बी.बी.जे के परिलक्षित दृष्टि लक्ष्य व उद्देश्य:

5.2.1 दृष्टि

- “विशिष्ट प्रौद्योगिकी और लागत कुशल पद्धतियों के माध्यम से उच्च अभियंत्रण मानक सहित पुलों व अन्य अभियंत्रण चमत्कारों में नयापन, अभिकल्पन एवं निर्माण करना है।
- सभी पणधारियों हेतु देखभाल और चिंता सहित लाभप्रद, उत्पादक, रचनात्मक, अनुपालन व आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना है।”

5.2.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य

- संगठन कार्यान्वयन सहित एक विश्व स्तरीय प्रमुख अभियंत्रण परियोजना बनना,
- देश में और उसके बाहर प्रतिष्ठित पुलों और अभियंत्रण चमत्कारों का निर्माण।
- अभिनव, उद्यमशील बनने के लिए लगातार मूल्यवर्धन एवं वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करना।
- नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन एवं कर्मचारियों के सतत् क्षमता संवर्धन व कुल ग्राहक संतुष्टि के लिए वचनबद्ध।

5.3 उद्योग संरचना एवं विकास :

5.3.1 वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था :

- 5.3.0.1 2021 में वैश्विक आर्थिक स्थिति 2020 की तुलना में व्यापार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल होने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास की गति को फिर से प्राप्त करने की उम्मीद है। मांग को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के साथ संयुक्त रूप से कोविड -19 महामारी नियंत्रण में आती दिख रही है। तथापि, वायरस के नए स्ट्रेन्स के खतरे की छाया और वैश्विक स्तर पर टीकाकरण की धीमी प्रगति भी आर्थिक पुनरुद्धार को सीमित कर देगी।
- 5.3.0.2 अर्थव्यवस्था पर महामारी की दूसरी लहर के प्रारंभिक प्रभाव को कई संगठनों और एजेंसियों द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि के संशोधित मूल्यांकन में शामिल किया गया है। जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों से संकेत मिलता है, भारत ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी छमाही में वी-आकार की वसूली दर्ज की। इन अनुमानों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी छमाही में 1.1% की वृद्धि दर्ज की; यह औद्योगिक गतिविधियों के क्रमिक और चरणबद्ध अनलॉकिंग, निवेश में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित था।
- 5.3.0.3 भारतीय रिजर्व बैंक (आइबीआई) के अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 9.5% अनुमानित है; इसमें वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 18.5% की वृद्धि; वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में 7.9% की वृद्धि; वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में 7.2% की वृद्धि और वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में 6.6% की वृद्धि शामिल है।
- 5.3.0.4 बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्तावाली अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार और व्यय पैटर्न में बदलाव के कारण 2025 तक इसकी खपत तीन गुना बढ़कर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। प्राइसवाटरहाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक क्रय शक्ति (पीपीपी) के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।

5.3.2 भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र और सरकारी पहल :

- 5.3.2.1 देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बढ़ा हुआ प्रोत्साहन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों खिलाड़ियों को आकर्षित कर रहा है। मार्च, 2021 में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 122.5 रहा। भारत के 2022 तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बनने की उम्मीद है। भारत ने देश में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए 2019 से 2023 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है।
- 5.3.2.2 केंद्रीय बजट 2021 में, सरकार ने सड़क कार्यों के लिए 60,241 करोड़ रुपये (8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 57,350 करोड़ रुपये (7.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए। सरकार की मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। इसके अलावा, अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 118,101 करोड़ रुपये (16.20 अरब अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय की घोषणा की। साथ ही, भारतमाला परियोजना के तहत, सरकार को 5.35 लाख करोड़ रुपये (73.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की एक परियोजना, जिसमें 13,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए रु 3.3 लाख करोड़ (45.26 अरब अमेरिकी डॉलर) शामिल है, प्रदान किया गया।

- 5.3.2.3 वित्त वर्ष 21 के लिए, भारतीय रेलवे के पास अब तक का सबसे अधिक नियोजित पूंजीगत व्यय 215,058 करोड़ (29.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार, रेल मंत्रालय को 110,055 करोड़ रुपये (15.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए हैं।
- 5.3.2.4 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, निर्माण विकास क्षेत्र (टाउनशिप, आवास, निर्मित बुनियादी ढांचे और निर्माण विकास परियोजनाओं) और निर्माण (बुनियादी ढांचे) गतिविधियों में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच एफडीआई क्रमशः 26.08 अरब अमेरिकी डॉलर और 24.72 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 21 में, 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल एफडीआई प्रवाह में बुनियादी ढांचे की गतिविधियों का 13% हिस्सा था।
- 5.3.3 बी.बी.जे. हेतु संभावनाएँ
- 5.3.3.1 आंतसंरचना और रेलवे के विकास हेतु सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट वृद्धि अवसर सहित निर्माण क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की सम्भावना है इसी तरीके से किए गए प्रयासों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की यूनियन बजट में रेल मंत्रालय को 71,216 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आपकी कंपनी पुल/रोड निर्माण तथा सिविल निर्माण के आला क्षेत्र में अपने अनुभव, विशेषता और प्रतिभा के साथ अवसर का लाभ उठाने के लिए सही ढंग से प्रस्तुत है। अपने दूरस्थ स्थित सतत् निवास योजना के लिए भविष्य के निर्माण चैनलों, बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति अपने सभी पणधारियों हेतु दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के लिए सक्षम है। आपकी कंपनी उद्देश्य आधारित और भविष्य के अनुकूल होने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
- 5.3.3.2 आपकी कंपनी भारत सरकार की नीतिगत उपायों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता में नियोजित वृद्धि के साथ अपने नीचे की रेखा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। इन सब में सड़क परियोजना, मेट्रो रेल परियोजनाएँ, स्टेशन भवन का निर्माण, ट्रैक बिछाने और आधुनिकीकरण शामिल हैं और आने वाले वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना में से अन्य और सम्भावनाओं की तलाश के अलावा पीएसी व्यवसाय मॉडल में विविधीकरण के माध्यम से व्यापार के अवसरों का पता लगाना भी शामिल है।
- 5.3.3.3 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से वादा किये गये विकास दर के साथ पारम्परिक व्यापार प्रक्षेपवक्र से विविध क्षेत्र में आपकी कंपनी के कार्य-प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
- 5.3.3.4 भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना पर निरंतर जोर देने के साथ, कठिन क्षेत्रों, यथा; उत्तर-पूर्व, बिहार, जम्मू व कश्मीर में काम करने की अपनी योग्यता समेत बीबीजे का भविष्य उज्ज्वल है जो इसे कठिन और जटिल कार्यों के लिए पंसदीदा संगठन की स्थिति में ले जा सकता है।

5.4 शक्ति और कमजोरी

5.4.1 शक्ति

- मजबूत ब्रांड जाकरूकता और प्रतिष्ठता, भारत में कुछ मेगा ब्रिजों के निष्पादित करने में बेहतर अनुभव, ब्रिजों, सड़कों व अन्य सिविल निर्माण परियोजनाओं का प्रचालन।
- सिविल निर्माण और आंतसंरचना परियोजनाओं में मान्यताप्राप्त उद्योग निर्माता।
- दशकों का अनुभव, सुदूर व सुगम्य क्षेत्र में काम करने का अनुभव।
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकार्ड।
- लागत ऊपरी के बिना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- बेहतर ऑडर बुक स्थिति, इसके आकार के अनुरूप।

- हमारे ग्राहकों, उप ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य पणधारियों के साथ आपसी विश्वास व सम्मान पर बने संबंधों को निभाना।
- लो अट्रीसन दर पर योग्य और अनुभवी कर्मचारी।
- सही निवल सम्पत्ति।
- बीबीजे के पास योग्य और अनुभवी जन शक्ति है जो कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में आला निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित करने में सक्षम है।
- बहुत छोटे कर्जवाले हिस्से में प्रबंधित।

5.4.2 कमजोरी

- जैसा कि कंपनी अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधा का सामना करती है, इसलिए, बड़े कामों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं की विश्वसनीयता उपलब्ध नहीं हैं, जिससे ब्रिज, रोड तथा सिविल निर्माण आदि में मूल्यवान व्यवसाय खोता जा रहा है।
- वित्तीय और अन्य सीमितताओं के कारण बीओटी/बीओओ तथा अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में प्रवेश करने में असमर्थता

5.5 अवसर, खतरा और बाधाएँ

5.5.1 अवसर

- भारत में विश्वस्तरीय आंतसंरचना हेतु मांग
- आत्म निर्भर भारत, 'नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन', 'मेक इन इंडिया', स्मार्ट सिटीज मिशन 'और विनिर्माण उद्योग से जुड़ी भारत सरकार की विभिन्न अन्य पहलें विशेष रूप से रेलवे, सड़क और सिविल निर्माण आदि अच्छे बुनियादी ढाँचे की माँग करेंगी, इस प्रकार निर्माण कंपनियों के लिए काफी अवसर प्राप्त होगा।
- आंतसंरचना क्षेत्र हेतु उच्चतर बजटीय आवंटन,
- प्रो-इंडस्ट्री नीति और पहलें, यथा – नैगम कर कम करना, आरईआईटी तथा आंतसंरचना निवेश न्यासों की स्थापना जो आंतसंरचना क्षेत्र आदि में बढ़ावा देंगी।
- भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना कार्य में बल तथा सीमा क्षेत्र में विकास कार्य एवं उत्तर-पूर्वी राज्य के विकास कार्य,
- सतह परिवहन हेतु आंतसंरचना विकास में जोर,
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं हेतु संयुक्त उद्यम/सहयोग,
- नये क्षेत्रों (जैसे भवन निर्माण, स्मार्ट मीटर लगाना आदि) में विविधता लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

5.5.2 खतरा

- आंतसंरचना में भारी निवेश ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के मालिकों को आकर्षित किया है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण मुनाफे में कमी आ सकती है।
- नामांकन के आधार पर व्यवसाय में कमी।
- मध्यस्थता और अदालती मामलों के कारण आकस्मिक देयताएँ।

5.5.3 बाधाएँ

- 5.5.3.1 यद्यपि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी, फ्रेम वर्क के भीतर काम करना होता है, लेकिन एक सार्वजनिक लोक उपक्रम के रूप में आपके निगम को कुछ बाधाओं (निजी क्षेत्र की कंपनी हेतु लागू नहीं) का सामना करना पड़ता है जो एक प्रतिस्पर्धी बाजार में इसके लिए नुकसानदायक है। कंपनी नार्थ ईस्ट और अन्य संकटजनक क्षेत्रों में काम कर रही है। जहाँ लोग शामिल होना नहीं चाहते। हालांकि बीबीजे लगातार लाभ कमाने और लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है, लेकिन भारत सरकार से प्रति गारंटी न मिलने की कमी एवं बैंकों से बैंक गारंटी सीमित होने के कारण और सीमित कोष उपलब्ध रहने से बीबीजे बड़े पैमाने पर एक जांबाज तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य क्षमता का योगदान करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है।

5.5.3.2 परियोजना की लंबी गर्भधारण अवधि

5.5.3.3 उच्च गगनचुंबी सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए साख का अभाव

5.5.4 जोखिम और चिंताएँ

5.5.5 निर्माण उद्योग में, प्रमुख चिंता लागत मुद्रास्थिति है। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और सरकारी नीति में परिवर्तन होते रहने के कारण समय और लागत में वृद्धि हो जाती है जिसकी भरपाई शायद ही ग्राहकों द्वारा की जाती है जिससे आपकी कंपनी घाटे में चली जाती है।

5.5.6 जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में काम का प्रचालन करने के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और परियोजनाओं को जीवन, उदारता और संपत्ति के खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, यह राष्ट्र निर्माण-कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को निष्पादित कराने का गर्व महसूस कराता है, ऐसे स्थानों में कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किये हैं।

5.5.7 अस्थिर स्टील की कीमत

5.5.8 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के अधीन जोखिम संबंधी ब्यौरे अधिक विस्तृत रूप में उल्लिखित हैं।

5.6 वर्तमान प्रचालनों, मामलों की स्थिति और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

5.6.1 अब नामांकन के आधार पर काम करने के बजाय, मंत्रालयों / सरकारी विभागों में सरकारी उपक्रमों के मध्य एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की गयी है। बीबीजे कड़ी प्रतिस्पर्धा के तहत भी काम करने में सक्षम है। भारत सरकार ने 12वीं योजना में बुनियादी ढांचे के लिए भारी निधि आवंटित की है। भारत सरकार द्वारा निवेश का एक बड़ा हिस्सा एनईआर, मेट्रो, एयर पोर्ट, स्मार्ट शहरों आदि के विकास के लिए है।

5.6.2 आपकी कंपनी भी नये क्षेत्रों जैसे सिविल आंतरसंरचना, नये और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों आदि में भी विविधता लाने की योजना बना रही है। भारत सरकार द्वारा आंतरसंरचना पर निरंतर जोर देने के साथ एवं कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के साथ बीबीजे को एक पसंदीदा संगठन के रूप में माना जा सकता है जो आला, जटिल और मुश्किल कामों के लिए अवहित है। बड़ी संख्या में निर्माण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपनी के मार्जिन पर परिणामी प्रभाव डालता है।

5.6.3 भारत अप्रैल में एक गर्त से उबरने के पथ पर चल रहा है, जो एक सक्रिय सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों द्वारा योग्य रीति से समर्थित है। फिर भी, कोविड के मामलों में वृद्धि और बाद में रुक-रुक कर हो रही रिकवरी की संभावनाएं नाजुक बनी हुई हैं और निरंतर और गतिशील निगरानी चाहती है। यह आने वाले दिनों में बीबीजे के प्रदर्शन में भी सकारात्मक रूप से परिलक्षित होगा।

5.7 प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर विमर्श

5.7.1 बीबीजे रेलवे के लिए इस्पात पुलों का निर्माण व स्थापना हेतु अभियंत्रण, संप्राप्ति व निर्माण(ईपीसी) कार्यों में लगा हुआ है; इस एकल ग्राहक निर्भरता के परिणाम स्वरूप विगत में वित्तीय कार्य प्रदर्शन उच्च परिवर्तनशीलता आ गयी है।

5.7.2 व्यवसाय मॉडल को जोखिम से मुक्त करने के लिए एक अलग पीएमसी विंग भी चालू है जो कंस्ट्रक्शन में कंपनी के उद्यम की देखभाल करता है।

5.7.3 कंपनी के वर्तमान व्यवसाय कार्य क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

ब्यौरे	उत्पाद व सेवाएँ	ग्राहक / क्लाइंट
अभियंत्रण संप्राप्ति व निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय – इस्पात पुल	निम्नलिखित पुलों का निर्माण : इस्पात पुलों, केबल स्टेड ब्रिज, पुराने पुलों का पुनर्वास, ब्रिज गर्डरों का निर्माण व आपूर्ति	इंडियन रेलवे, आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, दिल्ली मुंबई मेट्रो रेलवे निगम, हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर

परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय – सिविल निर्माण कार्य	निम्नलिखित का निर्माण : भवन, विद्यालय परिसर, सड़क	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नार्थ इस्टर्न काउंसिल (एनईसी), पश्चिम बंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बेनफिश
---	---	--

5.7.4 प्रचालन कार्य निष्पादन

5.7.4.1 आदेश बुक स्थिति : वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन के तहत भाउवि द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग के लिए निर्धारित 40500.00 लाख रु. के लक्ष्य के विरुद्ध रेल विकास निगम लिमिटेड से 24137.70 लाख रु. मूल्य का नया आदेश हासिल किया है।

5.7.4.2 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ऑर्डर बुक स्थिति रेलवे ब्रिज परियोजना से 75409.34 लाख रु. तथा सिविल परियोजना से 1619.58 लाख रु. है जो कुल मिलाकर 77028.92 लाख बनते हैं।

5.7.5 विभिन्नता व भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

5.7.5.1 भविष्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा कंपनी को आगे आनेवाले वर्ष में और आगे बढ़ने की सम्भावना है।

5.7.5.2 दो व्यवसाय मॉडल, यथा; परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) तथा अभियंत्रण सम्प्राप्ति और ठेका (ईपीसी) के अधीन आपको कंपनी द्वारा विभिन्न उत्पाद लाइन हेतु कदम उठाये जाते हैं। मौजूदा उत्पाद मिश्र के अलावा सिविल अभियंत्रण और निर्माण परियोजनाएँ जैसे सभी आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत आती हैं और यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी, सीमित साधनों और संसाधनों के साथ, कार्य हेतु अपेक्षित अनुभव, विशेषज्ञता व दक्षता सहित सड़क निर्माण, पुल व सिविल निर्माण कार्य से संबन्धित कार्य पहले ही निष्पादित कर चुकी है।

5.7.5.3 आदेशों के सफल निष्पादन के बाद अब आपकी कंपनी आगामी दिनों में इसी प्रकृति के और आदेश प्राप्त करने की उम्मीद करती है, जो उत्पादन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार करेगी।

5.7.5.4 हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने बाजार परिदृश्य में आगे अपने अभियान में सुधार बाबत मणिपुर में दो पुलों के निर्माण हेतु उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (एन एफ) से प्राप्त आदेश का निष्पादन कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्य कंपनी की छवि को एक नये प्रोत्साहन देने की उम्मीद प्रदान करता है।

5.7.5.5 उच्च मूल्य वाली निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए निर्माण उद्योग में अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ एमओयू/ कंसोर्टियम के रूप में रणनीतिक गठजोड़ आपकी कंपनी के विचाराधीन है। इस नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के बीच तकनीकी-आर्थिक तालमेल के लाभ का पता लगाना है। तकनीकी रूप से अनुकूल होने के अलावा, प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और कंसोर्टियम के लिए फायदेमंद हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप नीचे की रेखा में मूल्यवर्धन होगा।

5.7.5.6 बीबीजे को पीएमसी आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से स्कूल भवन परिसर निर्माण हेतु 3 आदेश प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से, बीबीजे ने केवीएस के दो अदद पहले ही पूरे कर लिए हैं। बीबीजे ने एनईआरएसडीएस परियोजनाओं के अधीन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में प्रतिचिह्नित सड़कों हेतु शुरूआती रिपोर्ट (1 अदद) एवं डीपीआर (06 अदद) की तैयारी हेतु, नामांकन पर, नार्थ इस्टर्न काउंसिल (एनईसी) से एक आदेश भी प्राप्त किया है, जो पूरा भी हो गया है। पीएमसी वर्टिकल के अधीन कुछ कार्य समान परियोजनाओं में प्राप्त कर लेने के बाद, आपकी कंपनी अधिक मूल्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए बोली में भाग लेने के लिए पात्र बन जाएगी। बीबीजे भी विभिन्न सरकारी विभागों से पीएमसी आधार पर सिविल कार्य प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है।

5.7.6 बीबीजे की योजना निम्नलिखित तरीके से अपनी मुख्य क्षमता को मजबूत करने और नए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में उद्यम करने की है :

- 1) ईपीसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि:
 - (क) संयुक्त उद्यम के माध्यम से : बीबीजे सरकारी निविदाएं में भाग लेने के लिए, जहां अकेले बीबीजे भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं इसलिए अन्य एजेंसियों के साथ/संयुक्त उद्यम (जेवी) गठबंधन करती है।
बीबीजे ने 'आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड' के साथ एक अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाकर इलाहाबाद (यूपी) में गंगा पुल के निर्माण के लिए आरवीएनएल द्वारा आमंत्रित एक निविदा में भाग लिया। यह काम पहले से ही इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त उद्यम के हाथ में है और उसी के अनुसार इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में परियोजना की गतिविधियों में तेजी आने के बाद यह परियोजना नीचली पंक्ति में सुधार करेगी।
 - (ख) बीबीजे राज्य संपर्क परियोजनाओं के तहत इस्पात पुलों के निर्माण, रेलवे के विभिन्न वर्गों की नई लाइन/डबलिंग लाइन परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे, आरवीएनएल, इस्कॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित आधार पर भाग लेती है।
- 2) पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि:

बीबीजे, एक सीपीएसई होने के नाते, केंद्र और राज्य सरकारों / विभागों के लिए पीएमसी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है। इस अवसर का पता लगाने के लिए, एक नये पीएमसी व्यवसाय वरटिकल हाल ही में पीएमसी अनुबंधों को प्राप्त करने और क्रियान्वित करने के लिए अपना परिचालन शुरू किया। प्रतिभागी अन्य सीपीएसई हैं।

5.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयोगिता

5.8.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्त व्यवस्था है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेन-देन अधिकृत, रिकार्ड किये गए और सही ढंग से रिपोर्ट किये गये हैं।

5.9 मानव संसाधन में सामग्री विकास, औद्योगिक संबंध फ्रंट, नियोजित लोगों की संख्या समेत :

5.9.1 इस खण्ड की अलग से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में की गई है।

5.10 पर्यावरण संरक्षण व प्रतिरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षम ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

5.10.1 इस खण्ड में अलग से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में की गयी है।

5.11 नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

5.11.1 इस खण्ड में अलग से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में की गयी है।

5.12 सावधानी विवरण

5.12.1 इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करते हुये, जो प्रयोज्य नियमों व विनियमों के अर्थ के भीतर “आगे की ओर देखने वाले बयान” हो सकते हैं, वास्तविक परिणाम उन व्यक्त या निहित से पर्याप्त रूप में या भौतिक रूप में भिन्न हो सकता है, महत्वपूर्ण विकास जो कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं में शामिल हैं - संरचनात्मक क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनियम में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध।

5.12.2 इस क्षेत्र के तहत जानकारी के लिए सामान्य स्रोत निम्नानुसार है :

- आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।
- भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट, - इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) ।

6 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

- 6.1 समझौता ज्ञापन वित्तीय और गैर वित्तीय मापदंडों के तहत विभिन्न लक्ष्यों और कार्य-प्रदर्शनों को निर्धारित करता है, जिनका आकलन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद वास्तविक उपलब्धियों के प्रति किया जाता है ।
- 6.2 2020-21 हेतु समझौता ज्ञापन : आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 हेतु भारी उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं । एमओयू मापदंड पर बोर्ड द्वारा और अधिक उच्चतर व बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य प्रदर्शन के सुधारने बाबत विभिन्न तरह से विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया है ।

7 बोर्ड समितियां और संबंधित सूचना / प्रकटीकरण

7.1 निदेशक मंडल

- 7.1.1 बोर्ड का गठन और अन्य समिति की बैठकों का विस्तृत विवरण, बैठकों की तिथि सहित उक्त बैठकों में निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति एवं अन्य अपेक्षित विवरण निगम प्रशासन रिपोर्ट के अधीन अलग से इस रिपोर्ट के सम्बद्ध और अंश स्वरूप में आवृत्त हैं ।
- 7.1.2 इस समय स्वतंत्र निदेशकों (संख्या 2) के स्थान 02.06.2019 के बाद से रिक्त है । भाउमं से नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का आदेश की प्रतीक्षा है ।
- 7.1.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुईं ।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

- 7.2.1 31.03.2021 को पूर्णकालिक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्न थे-
 - i श्री सुन्दर बनर्जी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
 - ii श्री अर्नब चटर्जी - निदेशक (तकनीकी)
 - iii श्री मुकेश कुमार - निदेशक (वित्त)
 - iv श्री नवीन कुमार मिश्रा- कंपनी सचिव (सीएस)
- 7.2.2 श्री रीतेन्द्र कुमार मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) के तौर पर 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो गये ।
- 7.2.3 सरकारी आदेश द्वारा श्री मुकेश कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) के रूप में 01.07.2020 को नियुक्त हुए थे ।

7.3 बोर्ड मूल्यांकन व बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

- 7.3.1 नैगम कार्य मंत्रालय, देखें अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), ने अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से सरकारी कंपनियों को छूट दी ।
- 7.3.2 गैर-कार्यपालक बोर्ड सदस्य की नियुक्ति सरकारी आदेश द्वारा होती है और वे उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में लाभप्रद और फलदायी होती है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से अवहित कराने के उद्देश्य से कंपनी के समग्र विषय पर प्रजेन्टेशन दिए जाते हैं । बोर्ड को कंपनी के सभी मामले, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, चालू परियोजनाओं की स्थिति तथा विषय संबंधी अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रचालन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्य-सूची कागजात और ब्रिफिंग के माध्यम अद्यतन रखा जाता है ।

7.4 निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

7.4.1 अधिनियम की धारा 134 के अनुसरण में, निदेशक यह प्रमाणित करते हैं कि :

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में सामग्री प्रस्थान (अगर कोई हो), से संबंधित उचित व्याख्या के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- (ख) उपर्युक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं सुसंगत रूप में लागू किया गया है और यह निर्णय व अनुमान लगाया गया है जो उचित और विवेकपूर्ण है, ताकि 31 मार्च 2021 को कंपनी के मामले की स्थिति के बारे में तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष बाबत कंपनी के लाभ एवं हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सके।
- (ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव बाबत उचित व पर्याप्त व्यवस्था अपनायी गयी है।
- (घ) वार्षिक लेखा चालू व्यवस्था आधार पर तैयार किये जाते हैं ;
- (ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, तथा ऐसी प्रणालियां उपर्युक्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

7.5.1 इस समय स्वतंत्र निदेशकों के पद 02.06.2019 से रिक्त हैं। भाउमं से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आदेश प्रतीक्षित है, अतः वि. व. 2020-21 के लिए यह धारा प्रयोज्य नहीं है।

7.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति:

- 7.6.1 आपकी कंपनी निगमित अभिशासन पर लोउवि की विहित दिशानिर्देशों के मुताबिक पारदर्शिता, जबाबदेही, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से लेखा-परीक्षा बैठक और अन्य बोर्ड स्तरीय बैठक आयोजित करती है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की 4 बैठक हो गयी हैं।
- 7.6.2 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, बैठकें, उपस्थिति व अन्य विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के संबद्ध और अंश स्वरूप नैगम प्रशासनिक रिपोर्ट के अधीन आवृत्त किए जाते हैं।
- 7.6.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस मार्गनिर्देशों-2010 के तहत यथापेक्षित किया गया है। फिर भी, स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति एवं 02.06.2019 के बाद स्थान खाली होने के नतीजतन इस समिति के सदस्य के तौर पर सभी उपर्युक्त समितियाँ सरकारी नामिनी निदेशकों एवं कार्यशील निदेशकों के साथ पुनर्गठित की जाती हैं। अंशकालिक सरकार नामिनी निदेशक उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। दो अन्य सदस्य निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) होते हैं।
- 7.6.4 निदेशक की रिपोर्ट के अंश के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट में लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों के बारे में विवरण अलग से बताया गया है।

7.7 संबंधित पार्टी लेनदेन :

- 7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों से ठेका / व्यवस्था / लेन-देन नहीं किया था जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रावधानों के अनुसार सामग्री मानी जा सके।
- 7.7.2 संबंधित पार्टी के तहत आवृत्त नेमी लेनदेन इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में खुलासा और वर्णित किया जाता है।

7.8 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) अधिनियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण :

- 7.8.1 कंपनी, भारत सरकार का एक उद्यम होने के कारण, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अधीन यथा वर्णित पारिश्रमिक व अन्य विवरण से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।
- 7.8.2 इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) व 5(3) के प्रावधानों का ध्यान आकर्षित करता कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

8 सूचना व सतर्कता फ्रेमवर्क, नीतियाँ प्रक्रिया :

8.1 गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

- 8.1.1 आपकी कंपनी अपेक्षित गुणवत्ता अनुरक्षित करने के लिए ठेके में यथा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रिया के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। निरंतर सूचित करने तथा कार्यकारी आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के अंग स्वरूप, एक गुणवत्ता सुनिश्चयन / गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अभ्यास के रूप में पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हलके से नहीं लिया जाता है। वस्तुतः सुरक्षा सब समय निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन, आईएसओ 9001:2015 के अधीन प्रमाणित है।
- 8.1.2 वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मुख्यालय में मनाया जाता है जो गुणवत्ता स्कंध द्वारा आयोजित किया जाता है एवं परियोजना स्थल पर सुरक्षा की आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए इस अवसर पर सुरक्षा जागरूकता हेतु आम दिशा-निर्देश पढ़े जाते हैं।

8.2 जोखिम तत्वों की पहचान जो उसमें शामिल हों सहित कंपनी बाबत जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाता विवरण, अगर कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो :-

- 8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली नैगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और समेकित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन एक आम व्यावसायिक अभ्यास के रूप में समझा जाता है न कि निर्धारित समय में एक अलग कार्य के रूप में। एक अभिन्न अंग होने के नाते, नीतिगत पहल कार्य-प्रक्रिया में जहाँ कहीं जरूरी और आवश्यक हो, जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत पहल उठायी गयी थी।

8.3 नैगम प्रशासन :

- 8.3.1 आपकी कंपनी अपनी लगातार समग्र कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नैगम, प्रशासन की बेहतर पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करती है। नैगम प्रशासन रिपोर्ट डीपीई नैगम प्रशासन दिशा-निर्देश की शर्तों पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, नैगम प्रशासन शर्तों को पूरा करने पर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है।
- 8.3.2 आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों को समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा-परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम परीक्षण किया जाता है।

8.4 सतर्क तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति :

- 8.4.1 कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों हेतु अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक बेहतर सतर्कता तंत्र तैयार किया गया है जिसमें निष्पक्ष रूप से मामलों के संचालन हेतु पेशेगत, ईमानदारी, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए विधिवत व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल की गयी है।

8.4.2 नीति का उद्देश्य एक भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी के वेबसाइट पर भी डाला जाता है एवं www.bbjconst.com पर उपलब्ध है।

8.5 सूचना का अधिकार :

8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त एक तंत्र है।

8.5.2 वि.व. 2020-21 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अधीन कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 15 आवेदनों के उत्तर उसी अवधि के दौरान दिए गए। 31.03.2021 को 1 आवेदन का उत्तर लम्बित था। आवेदनों के जवाब कथित अधिनियम के तहत विनिर्धारित समय-सीमा के अन्दर दिए गए थे।

8.6 सतर्कता

8.6.1 भाउवि के आदेश संख्या 8(12)/2004-पीई-III, दिनांक 19.11.2020 के मुताबिक दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में 16 दिसम्बर, 2020 से प्रभावी सुश्री चंद्रानी गुप्ता, भाअसे, नियुक्त हुईं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सतर्कता क्रियाकलाप प्रभावी ढंग से प्रबंधित किये गये थे।

8.7 लेखागत नीति / मानक का पालन :

8.7.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु, कंपनी का वित्तीय विवरण इंडि एस 101 के अधीन तैयार किया गया था। यह पहली बार कंपनी (लेखागत मानक) नियम 2015 के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों का अंगीकरण था एवं इसके बाद से यह लगातार पालन किया जा रहा है।

8.7.2 वित्तीय विवरण के हिस्से वाली टिप्पणियों के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

8.7.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा अपेक्षित है तथा तदनुसार ऐसे लेखे और रिकार्ड बनाये और अनुरक्षित किये जाते हैं।

8.8 आंतरिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण :

8.8.1 कंपनी के पास बेहतर नैगम प्रशासन बाबत, जोखिम प्रबंधन के प्रभावकता सुधार व अनुपालन हेतु कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसम्पतियाँ की सुरक्षा व धोखाधड़ी की रोकथाम, सही व त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित व प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक तथा विनियामक अनुपालन आवश्यकता के अनुसार संचालित किया जाता है।

8.8.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के फर्म, कंपनी में आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य को निष्पादित और उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्टों को कंपनी के प्रबंधन और लेखा-परीक्षा समिति को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित क्षेत्रों में जहाँ जरूरत है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा समग्र प्रणाली को मजबूत किया जाता है।

- 8.8.4 कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों, यथा- विपणन मैनुअल, क्रय व कार्य मैनुअल, सामग्री, भंडार, लेखा और निजी मैनुअल आदि को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न कोडों, मैनुअलों व प्रक्रियाओं के रूप में प्रयास आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं।
- 8.8.5 आंतरिक लेखा-परीक्षा का दायरा, योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय व प्रचालन प्रणाली के विषयों को भविष्य में सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक मजबूती प्रदान की जाती है।
- 8.8.6 प्रबंधन उचित सावधानी बरतता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।
- 8.8.7 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाता है, जो आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन और उन पर सुधारात्मक कार्रवाइयां लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।
- 8.8.8 भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी समीक्षा की जाती है।
- 8.8.9 लेखा पुस्तकें भी भारत के महालेखापरीक्षक के नियंत्रक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

9 लेखा-परीक्षक :

9.1 2020-21 की लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट :

- 9.1.1 मेमर्स एआरएसके एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा – परीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था।
- 9.1.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अवलोकन को लेखा पर टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण खंड में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर भी रखा गया है। उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के तहत लेखापरीक्षा करने के लिए भी लगाया गया है।
- 9.1.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत यथा अपेक्षित धोखाधड़ी के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (12) के अधीन लेखा-परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग नहीं की गयी है।

9.2 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मंतव्य :

- 9.2.1 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के अधीन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित न करने का निर्णय किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के मंतव्य, दिनांक 27 अगस्त, 2021 जो समीक्षाधीन अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट :

- 9.3.1 सचिवीय लेखा-परीक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 9.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी प्रयोज्य / अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

10 मानव संसाधन, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ :

10.1 मानव संसाधन :

- 10.1.1 प्रचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए कठोर और सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।
- 10.1.2 कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से संगठन में कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में पहचानने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुरानी नीतियों को संशोधित किया गया था। दक्ष मा.सं. पद्धति के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई, जिससे कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली में वृद्धि हुई और उचित प्रणाली के माध्यम से समझौता ज्ञापन मापदंडों को ठीक से संबोधित किया गया।
- 10.1.3 कर्मचारियों से संबंधित किसी भी शिकायत को कम से कम समय में हल करने के लिए शिकायत समिति द्वारा कार्रवाई की जानी है, कर्मचारियों के क्रियात्मक और व्यवहार कौशल को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के बीच स्व-शिक्षण को प्रोत्साहन देने और कुशलता वर्धन हेतु विभिन्न स्तर पर विभिन्न मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी।
- 10.1.4 इसके अलावा, कोविद-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करके वर्तमान नवोन्मेषी और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे संबंधित कार्य में आने वाली अद्यतन जानकारी / तकनीकों व परिवर्तनों से जागरूक करने तथा ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए जिससे कि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुन्नत क्षमता और उत्साह के साथ कार्य कर सकें, आवश्यकता आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की।

10.2 नैगम सामाजिक दायित्व : वर्ष के दौरान नैगम सामाजिक दायित्व पर कंपनी द्वारा उठाये गये विकसित एवं क्रियान्वित नीति के बारे में विस्तृत जानकारी।

- 10.2.1 कंपनी (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सीएसआर कोष और इसके उपयोग के बारे में विस्तार से बताते हुए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक में रखा गया है।
- 11.2.2 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेब साईट <https://www.bbjconst.com> पर उपलब्ध है।

10.3 महिला सशक्तिकरण :

- 10.3.1 लैंगिक समानता को महत्व देते हुए कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। वेतन भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलुओं एवं मातृत्व लाभ, आदि - जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक उपायों/सांविधिक प्रावधानों को लिखित एवं भावना रूप में कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के कमजोर तबकों का कल्याण :

- 10.4.1 सांविधिक कल्याण सुविधाएँ और इसके तहत बनाए गए श्रम कानून और नियम, सरकारी नीति तथा दिशा-निर्देश के अनुरूप क्रमशः अनु.जा., अनु.ज.जा., अ.पि.वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एवं निःशक्तजन के आरक्षण नीति के प्रति कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधान के अलावा कंपनी द्वारा कर्मचारियों के कल्याणार्थ प्रशासित किए जाते हैं।

10.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन / सहायता :

- 10.5.1 समीक्षाधीन अवधि के लिये प्रिंटिंग, टोनर आदि समेत स्टेशनरी की कुल खरीद में से, अपेक्षित संप्राप्ति एमएसएमई के मार्फत की गयी थी। 45 दिनों से अधिक की एक अवधि हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में आपूर्तिकारों को कोई भुगतान शेष नहीं था।
- 10.5.2 सामान व समर्थन सामाजिक कल्याण संगठनों को चरणबद्ध तरीके से जरूरत के समय उनसे चयनात्मक स्रोतों / सामग्री की संप्राप्ति एवं सेवाओं के माध्यम मुहैया करवाए गए थे।

11 अन्य प्रकटीकरण :

11.1 कानूनी अनुपालन

- 11.1.1 बोर्ड को सूचना समेत एजेंडा नोट के मार्फत नियमित आधार पर सांविधिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालन अवगत कराया जाता है। बोर्ड को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा उठाये गए सुधारात्मक कार्य और सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, अगर कोई, से भी अवगत कराया जाता है।

11.2 कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निषेध रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :-

- 11.2.1 कंपनी के कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की छानबीन करने तथा स्पष्ट समय-सीमा सहित निष्पक्ष जांच प्रक्रिया करने में सक्षम है।
- 11.2.2 कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित मामलों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :
- | | |
|---|-------|
| (i) वित्त वर्ष के दौरान दायर शिकायतों का संख्या | शून्य |
| (ii) वित्त वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या | शून्य |
| (iii) वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य |

11.3 ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण :

- 11.3.1 विवेचनाधीन अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी व निवेश नहीं किया गया था जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन जिनका अनुमोदन अपेक्षित है। ऋण गारंटी व निवेश वित्तीय विवरण और उसके टिप्पण अंश स्वरूप उसके अधीन आवृत्त किए जाते हैं।

11.4 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक हेतु आचार संहिता :

- 11.4.1 आपकी कंपनी में नीतिगत ढांचा अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है जिसमें जिम्मेदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी सहित कंपनी की व्यवसाय नैतिकता संचालित करने के उद्देश्य के साथ नैतिक पेशेवर आचरण हेतु सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुपालन बाबत प्रक्रिया का उल्लेख है। संहिता कंपनी के वेबसाइट www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने समीक्षाधीन अवधि के लिये आचार संहिता का अनुपालन किया है।
- 11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई नैगम प्रशासन पर दिशानिर्देश के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

आचार संहिता पर घोषणा

डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010, दिनांक 14 मई, 2010 के लिए नैगम प्रशासन पर दिशानिर्देश के खंड 3.4.2 के संदर्भ में, मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक आधार पर कथित दिशानिर्देश के तहत यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुपालन का पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :

(सुन्दर बनर्जी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06862063

11.5 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.5.1 कंपनी में हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु लिए गए उपाय

11.5.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन हेतु अपनी कोशिश जारी रखी है। हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नामांकित किया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीबीजे की अध्यक्षता में आयोजित "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की तिमाही बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई। हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कंपनी में 08 से 22 सितंबर, 2020 तक "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित किया गया और पखवाड़े के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों के साथ कर्मचारियों के बीच ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़ा मनाये जाने के लिए अ. एवं प्र.नि. का संदेश जारी किया गया और राजभाषा-हिंदी के प्रचार के एक अंश के रूप में, भारत के विद्वानों और महान लोगों के उद्धरण वाले कुछ बैनर भी कार्यालय परिसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए थे। हिन्दी प्रतियोगिता के विजेताओं को समापन समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

11.5.3 पुरस्कार : दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता को 2019-20 की अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा 28.01.2021 को "राजभाषा पुरस्कार शील्ड" से सम्मानित किया गया है और श्री प्रभु दयाल, प्रभारी, राजभाषा को भी कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति समर्पण के लिए "राजभाषा प्रशस्ति फलक" से सम्मानित किया गया।

11.6 वार्षिक रिटर्न का सार

11.6.1 नियम 12, कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के उप-नियम (1) में यह प्रावधान है कि कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ फॉर्म सं. एमजीटी. 9 में वार्षिक विवरणी की उद्धरण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे वार्षिक रिटर्न के वेब लिंक का खुलासा किया गया है। इस प्रावधान को 28 अगस्त, 2020 को कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

11.6.2 तदनुसार, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर की गई वार्षिक रिटर्न की वेब लिंक निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध होगी – <https://www.bbjconst.com/financial.html>. पहले अनुच्छेद में उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर, फॉर्म सं. एमजीटी. 9 में 'वार्षिक विवरणी के उद्धरण' समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

11.7 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा कंपनी के समग्र कार्य प्रदर्शन में उनके अवदान पर रिपोर्ट :

- 11.7.1 भागीरथी ब्रिज निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएन) द्वारा प्रमोट किया गया है। निष्क्रिय के रूप में नामिति निदेशक के पद के बाद बीबीजे द्वारा अपने निदेशक से संबंधित गलती को सुधारने या बीबीसीसीपीएल के गठन हेतु संयुक्त उद्यम करार और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार निदेशकों का फिर से नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। अनेक बार अनुस्मारक भिजवाने के बावजूद, जीआईएल द्वारा कोई सुधार या निदेशकों का फिर से नामांकन नहीं किया गया। इस कारण से निदेशकों या पणधारियों की बैठक के आयोजन में गतिरोध है तबसे कथित बोर्ड मीटिंग या पणधारियों की बैठक आयोजित करने का कोई कोरम नहीं है।
- 11.7.2 फार्म सं 22 क, सक्रिय उक्त गतिरोध के कारण फाइल नहीं किया जा सका है एवं अतएव, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय अननुपालित है।
- 11.7.3 बीबीसीसीपीएल वस्तुतः एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वितीय हुगली ब्रिज के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के पश्चात बाद अपने आधार को खोने के बाद, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था। इस समय बीबीसीसीपीएल के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी व विदेश मुद्रा अर्जन और निर्गम

- 11.8.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण:
- 11.8.1.1 विवेचनाधीन वर्ष के दौरान, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना जारी रहा। आंतरिक तंत्र के माध्यम, विभिन्न अवस्थानों पर अपने परियोजना स्थलों पर व्यवहृत संयंत्र से कार्बन एवं अन्य गैसों के उत्सर्जन स्तर को प्रबोधित करने के लिए इसकी नीतियों एवं प्रणाली की आवधिक जांच के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
- 11.8.1.2 अपने संसाधनों के सीमित उपयोग, विभिन्न स्थलों पर अपनी चालू परियोजनाओं के संपर्क प्रकृति व लघु अवधि सहित उक्त कार्य-स्थलों पर ऊर्जा संरक्षण उपस्कर में पूंजी निवेश के माध्यम वैकल्पिक स्रोतों का व्यवहार इस समय संभव नहीं है। तथापि भविष्य में संभाव्य तरीके में ऊर्जा संरक्षण के वैकल्पिक उपयोग बाबत रास्ते खोजे जाते हैं।
- 11.8.1.3 विद्युत संरक्षण हेतु बेहतर तकनीकों को अपनाते हुए सभी नई निर्माण परियोजनाओं में ऊर्जा खपत को कम करने पर बल दिया जाता है। इसकी शुरुआत एलसीडी को एलईडी में बदलकर पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा, निष्पादित परियोजनाओं में से अधिकांश ऊर्जा मानकों के अनुरूप है, इनमें व्यवहृत सभी उपस्कर ऊर्जा क्षम है।
- 11.8.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और इसके चतुर्विक्त रहने वाले लोगों के लिए पर्यावरण हितैषी है। प्रासंगिक कानूनों के किसी अनुपालन हेतु प्राधिकारी या विनियामकों से कोई कारण बताओ या नोटिस प्राप्त नहीं हुई थी।
- 11.8.2 तकनीकी उपयोग :
- 11.8.2.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विगत तीन वर्षों के दौरान कोई आयातित तकनीक कंपनी द्वारा आयातित नहीं की गई थी।
- 11.8.2.2 नई प्रौद्योगिकी और उत्पाद के बारे में जागरूकता उसके उपयोग के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को बताया जा रहा है। नई और अभिनव प्रौद्योगिकी पर प्रजेन्टेशन दिए जा रहे हैं। विभिन्न कारणों के कारण पारंपरिक प्रकृति के कार्य, लागत और आकार बाधा आदि अनुसंधान व विकास कार्यकलाप जैसा कार्य वर्तमान में कंपनी द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं।

11.8.3 विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम :

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा आय व निर्गम नहीं हुआ था।

12 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा विनिर्धारित प्रकटीकरण, समीक्षाधीन अवधि हेतु अप्रयोज्य

क्रम सं	व्यौरे	मंतव्य
1	सामग्री परिवर्तन और वचनबद्धताएं, अगर कोई, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य घटित हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण व रिपोर्ट की तिथि संबद्ध है।	शून्य
2)	बोर्ड के अपने कार्य प्रदर्शन तथा उसकी समितियों और व्यक्तिशः निदेशकों को दर्शाने वाला एक बयान	अप्रयोज्य बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सरकार का 100 प्रतिशत शेयर धारण है। इसके अलावा निर्दिष्ट सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होता है।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी की नीति	अप्रयोज्य बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसेमें सरकार का 100 प्रतिशत शेयर धारण है। इसके अलावा निर्दिष्ट सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होता है।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन	शून्य
5)	शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का जारी	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयर जारी	शून्य
7)	डिबेंडर बॉण्ड या अन्य अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का जारी	शून्य
8)	वारंट जारी	शून्य
9)	जमा विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	विगत सात वर्षों में इस संबंध में कोई अप्रदत्त लाभांश नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन; अगर कोई	शून्य
12)	वर्ष के दौरान कंपनियों के नाम जिनको अपनी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी होने से रोका गया है; या हुई हो	शून्य
13)	जमा राशि का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आता है	शून्य
14)	जमा राशि का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है	शून्य

क्रम सं	ब्यौरे	मंतव्य
15)	विनियामक या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश का विवरण जो भविष्य में कंपनी के प्रचालन और चिंता की स्थिति को प्रभावित करते हैं।	शून्य

अभिस्वीकृति

आपके निदेशकों ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष कर भारी उद्योग मंत्रालय, भारतीय रेलवे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, रेल विकास निगम लि. इस्कॉन तथा पश्चिम बंगाल सरकार, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, तथा अन्य बैंकों को उनके निरंतर समर्थन, सहयोग व मूल्यवान सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता और ईमानदारी से धन्यवाद ज्ञापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

आपके निदेशक आपकी कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सभी कर्मचारियों के सहयोग और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। उनका लगातार समर्थन प्राप्त होता रहा है तथा आपकी कंपनी की चल रही सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिज निर्माण उद्योग में इसके प्रमुख स्थान को बनाए रखने में निरंतर तत्पर रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सुंदर बनर्जी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06862063

दिनांक: 28 सितम्बर, 2021

कोलकाता

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निमित्त निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

<p>निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों पर कंपनी का दर्शन</p>	<p>कंपनी के दृष्टिकोण से निगमित अभिशासन का लक्ष्य शेयरधारकों के दीर्घकालीन शेयर मूल्य और कंपनी की संपत्ति पैदा करने की क्षमता को निम्नलिखित कार्यों के जरिए बढ़ाना :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वरिष्ठ प्रबंधन को विवेकशील व्यवसायिक निर्णय एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन ग्रहण करने में सहायता करना ● कंपनी के सभी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता और पेशेवर गुणों को प्राप्त करना ● प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन ● निगमित अभिशासन में श्रेष्ठता निम्न के जरिए प्राप्त करना :- <ul style="list-style-type: none"> ◆ निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप, जहां संभव है उत्कृष्ट बनाना ◆ व्यवसाय संचालन को उच्च नैतिक मानक पर स्थापित करके कानून एवं नियमों का पालन करना ◆ वर्तमान प्रणाली की आवधिक समीक्षा और नियंत्रण करते हुए उसका सुधार करना 															
<p>निदेशक मंडल</p>	<p>कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों को भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से नियुक्त किया जाता है।</p> <p>31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है :</p>															
<p>निदेशक मंडल का गठन</p>	<table border="1" data-bbox="516 1400 1461 1840"> <thead> <tr> <th>निदेशकों के डीआईएन</th> <th>नाम</th> <th>श्रेणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6862063</td> <td>श्री सुंदर बनर्जी</td> <td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – कार्यात्मक निदेशक</td> </tr> <tr> <td>08360278</td> <td>श्री रमाकांत सिंह</td> <td>निदेशक – भारी उद्योग विभाग (सरकारी नॉमिनी निदेशक)</td> </tr> <tr> <td>08432581</td> <td>श्री अर्नब चटर्जी (भाउवि के सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार 24.04.2019 से प्रभावी श्री अर्नब चटर्जी की नियुक्ति की गई थी।)</td> <td>निदेशक (तकनीकी) – कार्यात्मक निदेशक</td> </tr> <tr> <td>08778135</td> <td>श्री मुकेश कुमार</td> <td>निदेशक (वित्त) – कार्यात्मक निदेशक</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31 मार्च, 2021 के बाद से इस प्रतिवेदन की तारीख तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :</p>	निदेशकों के डीआईएन	नाम	श्रेणी	6862063	श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – कार्यात्मक निदेशक	08360278	श्री रमाकांत सिंह	निदेशक – भारी उद्योग विभाग (सरकारी नॉमिनी निदेशक)	08432581	श्री अर्नब चटर्जी (भाउवि के सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार 24.04.2019 से प्रभावी श्री अर्नब चटर्जी की नियुक्ति की गई थी।)	निदेशक (तकनीकी) – कार्यात्मक निदेशक	08778135	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) – कार्यात्मक निदेशक
निदेशकों के डीआईएन	नाम	श्रेणी														
6862063	श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – कार्यात्मक निदेशक														
08360278	श्री रमाकांत सिंह	निदेशक – भारी उद्योग विभाग (सरकारी नॉमिनी निदेशक)														
08432581	श्री अर्नब चटर्जी (भाउवि के सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार 24.04.2019 से प्रभावी श्री अर्नब चटर्जी की नियुक्ति की गई थी।)	निदेशक (तकनीकी) – कार्यात्मक निदेशक														
08778135	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) – कार्यात्मक निदेशक														

	1	श्री रितेद्र कुमार मित्रा (डीआईएन-2616837) भारी उद्योग विभाग (भाडिवि) के आदेश संदर्भ सं.12(08)/2016-पीई-III, दिनांक 29.09.2017 की शर्तों के अनुसार 30.6.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने पर दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।										
	2	श्री मुकेश कुमार (डीआईएन-08778135) भारी उद्योग विभाग (भाडिवि) के आदेश संदर्भ सं.12(05)/2018-पीई-III, दिनांक 26.05.2020 की शर्तों के अनुसार 01.7.2020 से प्रभावी दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के तौर पर पदभार ग्रहण किया।										
	3	तत्कालीन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अब भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आदेश संदर्भ संख्या 8(15)/2004.पीई.III (खंड III), दिनांक 11.11.2020 के संदर्भ में श्री सुनील कुमार सिंह (डीआईएन-8043768) 11.11.2020 से प्रभावी दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सरकारी नॉमिनी निदेशक नहीं रहे।										
	4	तत्कालीन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अब भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आदेश संदर्भ संख्या 8(15)/2004.पीई.III (खंड III), दिनांक 11.11.2020 के संदर्भ में श्री रमाकांत सिंह (डीआईएन-08360278) 11.11.2020 से प्रभावी दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सरकारी नॉमिनी निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आदेश संदर्भ संख्या 8(15)/2004. पीई.III (खंड III), दिनांक 18.06.2021 के संदर्भ में श्री रमाकांत सिंह (डीआईएन-08360278) 18.06.2021 से प्रभावी दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सरकारी नॉमिनी निदेशक नहीं रहे।										
	5	तत्कालीन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अब भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आदेश संदर्भ संख्या 8(15)/2004.पीई.III (खंड III), दिनांक 18.06.2021 के संदर्भ में श्री आदित्य कुमार घोष (डीआईएन-09222808) 01.07.2021 से प्रभावी दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सरकारी नॉमिनी निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए।										
<p>श्रीमती बेला बनर्जी तथा श्री तापस चटर्जी के कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के तौर पर न रहने की वजह से कंपनी के निदेशक मंडल में दो अंश कालिक गैर सरकारी निदेशकों के रिक्त स्थान भरे जाने के लिए भारी उद्योग विभाग से सरकारी आदेश की प्रतीक्षा है। एमएचआई द्वारा सरकारी आदेश के संदर्भ में, कंपनी में स्वतंत्र निदेशक का पद श्रीमती बेला बनर्जी और श्री तापस कुमार चटर्जी के पास 02.06.2019 तक था।</p>												
आयोजित बैठकें (निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षा समिति)	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैठक संख्या तथा बैठक की तारीख</th> <th>निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148वीं बोर्ड बैठक - 20.06.2020 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>149वीं बोर्ड बैठक - 09.09.2020 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>150वीं बोर्ड बैठक - 17.10.2020 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>151वीं बोर्ड बैठक - 13.01.2021 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> </tbody> </table>	बैठक संख्या तथा बैठक की तारीख	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति	148वीं बोर्ड बैठक - 20.06.2020 को	सभी उपस्थित	149वीं बोर्ड बैठक - 09.09.2020 को	सभी उपस्थित	150वीं बोर्ड बैठक - 17.10.2020 को	सभी उपस्थित	151वीं बोर्ड बैठक - 13.01.2021 को	सभी उपस्थित
	बैठक संख्या तथा बैठक की तारीख	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति										
148वीं बोर्ड बैठक - 20.06.2020 को	सभी उपस्थित											
149वीं बोर्ड बैठक - 09.09.2020 को	सभी उपस्थित											
150वीं बोर्ड बैठक - 17.10.2020 को	सभी उपस्थित											
151वीं बोर्ड बैठक - 13.01.2021 को	सभी उपस्थित											
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>53वीं बैठक - 20.06.2020 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>56वीं बैठक - 30.09.2020 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>57वीं बैठक - 17.10.2020 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> <tr> <td>58वीं बैठक - 13.01.2021 को</td> <td>सभी उपस्थित</td> </tr> </tbody> </table>	53वीं बैठक - 20.06.2020 को	सभी उपस्थित	56वीं बैठक - 30.09.2020 को	सभी उपस्थित	57वीं बैठक - 17.10.2020 को	सभी उपस्थित	58वीं बैठक - 13.01.2021 को	सभी उपस्थित			
53वीं बैठक - 20.06.2020 को	सभी उपस्थित											
56वीं बैठक - 30.09.2020 को	सभी उपस्थित											
57वीं बैठक - 17.10.2020 को	सभी उपस्थित											
58वीं बैठक - 13.01.2021 को	सभी उपस्थित											

	<p>भाउवि द्वारा जारी सरकारी आदेश की शर्तों के मुताबिक श्रीमती बेला बनर्जी एवं श्री तापस कुमार चटर्जी 02.06.2019 तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक बने रहें। स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की समाप्ति पर, तीन समितियां यथा – लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति, पारिश्रमिक समिति को भाउवि द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने तक तदर्थ आधार पर समय समय पर से इस उद्देश्य पुनर्गठित की गयी कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान यथापेक्षित निदेशक मंडल की स्वीकृति हेतु सिफारिश करने का अत्यावश्यक/ महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। सरकारी नॉमिनी निदेशक इन सभी समितियों के अध्यक्ष होते हैं एवं अन्य दो सदस्य बीबीजे के निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) होते हैं।</p>																						
<p>लेखा परीक्षा समिति</p>	<p>भूमिका और विचारार्थ विषय :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सार्वजनिक उद्यमों पर निगमित अभिशासन के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2 के एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 के अधीन उल्लिखित विशिष्ट मामलें देखना। ● प्रबंधन, सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा निदेशक मंडल के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना। ● वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं जोखिम संबंधित मामलों का आकलन करना। 																					
<p>गठन, बोर्ड बैठकें एवं उपस्थिति</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="505 853 870 959">निदेशकों के नाम</th> <th colspan="2" data-bbox="870 853 1479 959">वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकों की उपस्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="505 959 870 1012">श्री सुंदर बनर्जी</td> <td data-bbox="870 959 1166 1012">04 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 959 1479 1012">04 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1012 870 1055">श्री रितेंद्र कुमार मित्रा</td> <td data-bbox="870 1012 1166 1055">01 बैठक आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1012 1479 1055">01 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1055 870 1098">श्री सुनील कुमार सिंह</td> <td data-bbox="870 1055 1166 1098">03 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1055 1479 1098">03 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1098 870 1140">श्री अर्नब चटर्जी</td> <td data-bbox="870 1098 1166 1140">04 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1098 1479 1140">04 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1140 870 1183">श्री रमा कांत सिंह</td> <td data-bbox="870 1140 1166 1183">01 बैठक आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1140 1479 1183">01 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1183 870 1236">श्री मुकेश कुमार</td> <td data-bbox="870 1183 1166 1236">03 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1183 1479 1236">03 में उपस्थित</td> </tr> </tbody> </table>		निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकों की उपस्थिति		श्री सुंदर बनर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित	श्री सुनील कुमार सिंह	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित	श्री अर्नब चटर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित	श्री रमा कांत सिंह	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित	श्री मुकेश कुमार	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकों की उपस्थिति																						
श्री सुंदर बनर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित																					
श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित																					
श्री सुनील कुमार सिंह	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित																					
श्री अर्नब चटर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित																					
श्री रमा कांत सिंह	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित																					
श्री मुकेश कुमार	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित																					
<p>गठन, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें एवं उपस्थिति</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="505 1236 870 1342">निदेशकों के नाम</th> <th colspan="2" data-bbox="870 1236 1479 1342">वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की उपस्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="505 1342 870 1395">श्री सुनील कुमार सिंह</td> <td data-bbox="870 1342 1166 1395">03 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1342 1479 1395">03 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1395 870 1438">श्री रितेंद्र कुमार मित्रा</td> <td data-bbox="870 1395 1166 1438">01 बैठक आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1395 1479 1438">01 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1438 870 1481">श्री अर्नब चटर्जी</td> <td data-bbox="870 1438 1166 1481">04 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1438 1479 1481">04 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1481 870 1523">श्री रमा कांत सिंह</td> <td data-bbox="870 1481 1166 1523">01 बैठक आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1481 1479 1523">01 में उपस्थित</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 1523 870 1576">श्री मुकेश कुमार</td> <td data-bbox="870 1523 1166 1576">03 बैठकें आयोजित</td> <td data-bbox="1166 1523 1479 1576">03 में उपस्थित</td> </tr> </tbody> </table> <p>बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य थे, उन्हें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कर ली गयी थी।</p> <p>कार्यकाल पूरा हो जाने पर स्वतंत्र निदेशकों के न रहने पर भाउवि से स्वतंत्र निदेशकों का नया नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, वि.व. 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में लेखा परीक्षा की बैठकों की अध्यक्षता सरकारी नॉमिनी निदेशक द्वारा की गयी।</p>		निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की उपस्थिति		श्री सुनील कुमार सिंह	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित	श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित	श्री अर्नब चटर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित	श्री रमा कांत सिंह	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित	श्री मुकेश कुमार	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित			
निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की उपस्थिति																						
श्री सुनील कुमार सिंह	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित																					
श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित																					
श्री अर्नब चटर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित																					
श्री रमा कांत सिंह	01 बैठक आयोजित	01 में उपस्थित																					
श्री मुकेश कुमार	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित																					

<p>स्वतंत्र निदेशकगण</p>	<p>सरकारी आदेशों से स्वतंत्र निदेशकों, जिन्हें संबंधित क्षेत्र/ पेशे में विशेषज्ञता प्राप्त है, की नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों का प्रोमोटर्स से न संपर्क है और न ही संबंध है और कंपनी से किसी आर्थिक संबंध भी नहीं है तथा आगे कंपनी की कुल मत देने की क्षमता से दो प्रतिशत या अधिक धारित नहीं करती है।</p> <p>कंपनी में वि. व. 2020-21 में स्वतंत्र निदेशक के पद रिक्त रहने से स्वतंत्र निदेशक से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशक की विशिष्टता पूर्ण करने की घोषणा प्रयोज्य नहीं है।</p> <p>स्वतंत्र निदेशकों के लिए शुल्क की राशि निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है एवं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित सीमा के अंदर है।</p>																	
<p>आचार संहिता</p>	<p>निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का प्रारूप यथावर्णित, क्रियान्वित कर दी गयी है।</p> <p>केंद्रीय लोक उपक्रमों 2010 के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्र. नि. द्वारा इस आशय की घोषणा कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि की है जिसे निदेशकों के प्रतिवेदन के अधीन दी गई है।</p>																	
<p>साधारण निकाय की बैठक</p> <p>पिछले तीन वर्षों की वार्षिक साधारण बैठकों (वा.सा.वै.) की विवरणी</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>बैठक संख्या एवं तारीख</th> <th>समय एवं स्थान</th> <th>विशेष संकल्प</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-2018</td> <td>32वीं वा.सा.वै. 25 सितंबर, 2018</td> <td>15.00 बजे, एच एच आई, 234/1, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2018-2019</td> <td>33वीं वा.सा.वै. 30 सितंबर, 2019</td> <td>15.00 बजे, एच एच आई, 234/1, एजे सी बोस रोड, कोलकाता-700020</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2019-2020</td> <td>34वीं वा.सा.वै. 17 अक्तूबर, 2020</td> <td>12:00 बजे (दोपहर), कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	वित्तीय वर्ष	बैठक संख्या एवं तारीख	समय एवं स्थान	विशेष संकल्प	2017-2018	32वीं वा.सा.वै. 25 सितंबर, 2018	15.00 बजे, एच एच आई, 234/1, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020	शून्य	2018-2019	33वीं वा.सा.वै. 30 सितंबर, 2019	15.00 बजे, एच एच आई, 234/1, एजे सी बोस रोड, कोलकाता-700020	शून्य	2019-2020	34वीं वा.सा.वै. 17 अक्तूबर, 2020	12:00 बजे (दोपहर), कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001	शून्य	<p>सभी वा.सा. वै. कंपनी अधिनियम के अधीन विहित समय सीमा के अंदर आयोजित की गयी था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक की नियत तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए सामान्य विस्तार दिया गया था। इस प्रकार, 34वीं वा.सा.वै. 17.10.2020 को थी, जो कि कंपनी पंजीयक (आरओसी) को की जाने वाली उक्त 34वीं वा.सा.वै. को आयोजित करने के लिए समय के विस्तार हेतु आवेदन की आवश्यकता के बिना थी।</p>
वित्तीय वर्ष	बैठक संख्या एवं तारीख	समय एवं स्थान	विशेष संकल्प															
2017-2018	32वीं वा.सा.वै. 25 सितंबर, 2018	15.00 बजे, एच एच आई, 234/1, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020	शून्य															
2018-2019	33वीं वा.सा.वै. 30 सितंबर, 2019	15.00 बजे, एच एच आई, 234/1, एजे सी बोस रोड, कोलकाता-700020	शून्य															
2019-2020	34वीं वा.सा.वै. 17 अक्तूबर, 2020	12:00 बजे (दोपहर), कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001	शून्य															
<p>वार्षिक साधारण बैठक – 2021</p>	<p>कंपनी के सदस्यों की 35 वीं वार्षिक साधारण बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित अवधि में, यानी सितंबर, 2021 माह के अंदर आयोजन करना है।</p>																	

अन्य प्रकटीकरण	निदेशकों या उनके सगे संबंधियों के साथ लेन-देन जिसमें कंपनी के स्वार्थ में विवाद की संभावना है।	शून्य
	संबद्ध पार्टी से लेन-देन करना।	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा के साथ संलग्न द्रष्टव्य में बतायी गयी है।
	कंपनी की तरफ से अनुपालन न करना या इसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों	शून्य
	व्हिसिल ब्लोअर नीति एवं पुष्टि की किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने में बाधा नहीं दी गयी है।	यह पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया है।
	इन दिशानिर्देशों के अनुपालन करने की आवश्यकताओं के विवरण	अनुपालन किया। इस समय स्वतंत्र निदेशकों के पद 03.06.2016 से रिक्त हैं। भाउवि से नये स्व.नि. की नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
	इस साल और पिछले तीन सालों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रपति के निदेशों का विवरण और उसका अनुपालन।	अनुपालन के लिए कोई निर्देश लंबित नहीं है।
	लेखों में दिखाई गई खर्चों की मदें जो व्यवसाय के लिए नहीं थे।	शून्य
	निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन के व्यक्तिगत खर्च के लिए किया गया व्यय।	शून्य
संप्रेषण के साधन	<p>अनलिस्टेट सरकारी कंपनी होने से त्रैमासिक नतीजा किसी भी अखबार में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम दिखाये गये हैं।</p> <p>पत्राचार का पता – दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001</p> <p>वेबसाइट : www.bbjconst.com</p> <p>ई-मेल : info@bbjconst.com</p> <p>दूरभाष : 91 33 2248 5841-44 (ई पी वी एक्स) 91 33 2210 3961 (फैक्स)</p>	
लेखा परीक्षा के क्वालिफिकेशन्स	<p>कंपनी का प्रयास है कि अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की दिशा में कंपनी कदम उठाये। कोई क्वालिफाईड होने पर उसके समर्थन में पर्याप्त व्याख्या दी गयी है, अन्यथा प्रबंधन के उत्तर के जरिये क्वालिफिकेशन को समर्थन दिया गया है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों को लेखा परीक्षकों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। इस वार्षिक प्रतिवेदन के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण खंड में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर भी रखा गया है।</p>	
प्रशिक्षण	<p>बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए नीति अनुमोदित की गयी है और कंपनी द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है।</p>	
निगमित अभिशासन लेखा परीक्षा	<p>निगमित अभिशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है तथा निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।</p>	

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001

हमने भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अनुलग्नकों (यहां तत्पश्चात “मार्गनिर्देशों” के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 में बताये अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद “कंपनी ” के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की शर्तों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए दिशा-निर्देशों में बताएं कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीके की पुनरीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह ना तो लेखा परीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने विहित दिशानिर्देशों का वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन की है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यक्षमता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते एआरएसके एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 315082ई

सीए, रविन्द्र खण्डेलवाल
भागीदार
(सदस्य संख्या 054615)
यूडीआईएन : 21054615एएएईएन5962

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.08.2021

निदेशकों की रिपोर्ट का संलग्नक

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का फार्मेट।

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत निर्धारित संलग्नक-II]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, पहली बार सितंबर, 2020 को आयोजित बोर्ड बैठक में सीएसआर नीति को मंजूरी दी और उसके बाद समय-समय पर किए गए गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए बाद में संशोधन किए। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर से संबंधित मामले, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ, विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- सीएसआर परियोजना की योजना
- बेस लाइन सर्वेक्षण
- क्रियान्वयन प्रक्रिया
- कार्यपालक अभिकरण हेतु निधियन, प्रबोधन और योग्यता मानदण्ड,
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित निधि में योगदान सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पठित सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. सीएसआर समिति का गठन :

वार्षिक रिपोर्ट की तिथि पर, सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकारी नॉमिनी निदेशक, अध्यक्ष
2	श्री अर्णब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य
3	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य

वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या : वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2 (दो) सीएसआर समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया : सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है :

क) 20.06.2020 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में निम्नानुसार भाग लिया गया :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1	श्री एस. के. सिंह	सरकारी नॉमिनी निदेशक, अध्यक्ष
2	श्री आर. के. मित्रा	निदेशक (वित्त) - सदस्य
3	श्री अर्णब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

ख) 09.09.2020 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में निम्नानुसार भाग लिया गया :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1	श्री एस. के. सिंह	सरकारी नॉमिनी निदेशक, अध्यक्ष
2	श्री अर्णब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य
3	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य

- वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है:
 - वेब-लिंक://bbjconst.com/rti.html
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उप-नियम 8 के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।
 - लागू नहीं।
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।
 - लागू नहीं।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्षों के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि (रुपये में)
लागू नहीं।			

- धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
 - शून्य - चूंकि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में कंपनी का शुद्ध लाभ 05.00 करोड़ रुपये से कम था, इसलिए यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के दायरे में नहीं आता है और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर फंड को शून्य के रूप में चित्रित करता है।
- (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।
 (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।
 (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।
 (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7 क + 7 ख - 7 ग)।
 - उपरोक्त बिंदु 6 के मद्देनजर उत्पन्न नहीं होता है।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए हुए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
28.87 लाख *	लागू नहीं		लागू नहीं		

* वित्तीय वर्ष 2018-19 से 28.87 लाख रुपये की राशि (अव्ययित सीएसआर फंड में हस्तांतरित राशि) को आगे बढ़ाया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत के आपातकालीन स्थिति कोष (पीएम केयर्स फंड) में योगदान दिया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद्	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत के आपातकालीन स्थिति कोष में योगदान	निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	28.87 लाख	28.87 लाख	लागू नहीं	प्रत्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं									

- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि - शून्य ।
 (ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो - लागू नहीं ।
 (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8 ड.) - शून्य ।
 (छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के मुताबिक कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	शून्य - चूंकि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में कंपनी का शुद्ध लाभ 05.00 करोड़ रुपये से कम था, इसलिए यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के दायरे में नहीं आता है और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर फंड को शून्य के रूप में चित्रित करता है ।
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि *	28.87 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii) - (i)]	लागू नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	बाद के वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	लागू नहीं

* 28.87 लाख रुपये की राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 (अव्ययित सीएसआर फंड में स्थानांतरित राशि) से आगे बढ़ाया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत के लिए आपातकालीन स्थिति कोष (पीएम केयर्स फंड) में योगदान दिया गया है ।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	
1.	2018-19	42.28 लाख	50.00 लाख	लागू नहीं			42.28 लाख
2.	2019-20	28.87 लाख	13.41 लाख	लागू नहीं			28.87 लाख
3.	2020-21	शून्य	28.87 लाख	लागू नहीं			शून्य
	कुल	71.15 लाख	92.28 लाख				शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
लागू नहीं								

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण) - शून्य

- (क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि - शून्य
- (ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि - शून्य
- (ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि - शून्य
- (घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें - शून्य

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

- उपरोक्त बिंदु 6 के मद्देनजर लागू नहीं।

हस्ताक्षर : _____ ह./_____ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	हस्ताक्षर : _____ ह./_____ (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
---	---

दिनांक : 28.09.2021

लेखा परीक्षा के अवलोकन पर प्रबंधन का अचर

क्रम सं.	लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	योग्य राय	
1	<p>कंपनी की एक सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 486.30 लाख रु.(विगत वर्ष 486.30 लाख रु.) के निवेश के बारे में टिप्पणी संख्या 4 और 5932.96 लाख रु.(विगत वर्ष 5932.96 लाख रु.) ऋण के बारे में टिप्पणी संख्या 6 एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज की राशि है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश ऋण और कथित ब्याज पर प्राप्य / उपचित ब्याज को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा ऋणों और यथा पूर्व कथित प्राप्य / उपचित ब्याज हेतु हानि भत्ता हेतु कोई मूल्यांकन एवं तत्पश्चात प्रावधान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।</p>	<p>सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी इन्सट्रूमेंट में दीर्घकालिक निवेश महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पैरा - 17(I)(5) के अनुपालन में कंपनी द्वारा लगातार अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार लागत पर किया जाता है। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा विशिष्ट सहायक कंपनियों के लिए जारी इक्विटी (योजना) निधि से सहायक कंपनियों में सममूल्य पर इन्सट्रूमेंट निवेश की। सहायक कंपनियों के लिए भारत सरकार का ऋण निधि संबंधित सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना ऋण का संवितरण कंपनी के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशों के वसूली योग्य मूल्य में किसी अंतर के मामले में, कंपनी भारत सरकार के अनुमोदन से आवश्यक समायोजन पारित करेगी। इस तरह के ऋण और ब्याज की गैर-वसूली की किसी भी स्थिति के मामले में सहायक कंपनी को संवितरित स्वीकृत ऋण को भारत सरकार के उचित निर्देशों के तहत कंपनी की पुस्तक में भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की समान राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसलिए, इसका कंपनी के बहीखातों में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>
2	<p>जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ('जेसीएल') में प्रतिवेदन तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 25558.01 लाख रु. (विगत वर्ष 25558.01 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी संख्या 4 है। यद्यपि जेसीएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है एवं ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी हेतु कोई प्रावधान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।</p>	<p>जेसप एंड कंपनी लिमिटेड बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूपनएल) की सहायक कंपनी थी और भारत सरकार के निर्देश पर जेसीएल का 72% हिस्सा इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को बेच दिया। उपरोक्त शेयर की बिक्री के बाद बीबीजे के पास जेसीएल में 2558.01 लाख रुपये की हिस्सेदारी है। चूंकि जेसप एंड कंपनी का परिसमापन के अधीन है, इसलिए, 31.03.2021 को जेसप एंड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं रहने से इसे लागत पर मूल्यांकित किया गया है।</p>
3	<p>कंपनी का एक संयुक्त उद्यम, भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('बीबीसीसीएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी सं. 4 है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है तथा निवेशों के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।</p>	<p>सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी इन्सट्रूमेंट में दीर्घकालिक निवेश महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पैरा - 17 (I)(5) के अनुपालन में कंपनी द्वारा लगातार अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार लागत पर किया जाता है। इसके अलावा, बीबीसीसीएल संयुक्त उद्यम के उद्देश्य के पूरा होने के बाद अपनी बुनियाद खो देने से यह जेवीसी वस्तुतः निष्क्रिय है।</p>

4	<p>कंपनी की सहायक कंपनी की एक सहायिका, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यू आई एल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 656.03 लाख रु. (विगत वर्ष 656.03 लाख रु.) एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज 350.26 लाख रु. (विगत वर्ष 350.26 लाख रु.) के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।</p>	<p>सहायक कंपनियों के लिए भारत सरकार का ऋण निधि संबंधित सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना ऋण का संवितरण कंपनी के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के ऋण और ब्याज की गैर-वसूली की किसी भी स्थिति के मामले में सहायक कंपनी को संवितरित स्वीकृत ऋण को भारत सरकार के उचित निर्देशों के तहत कंपनी की पुस्तक में भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की समान राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसलिए, इसका कंपनी के बहीखातों में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p>
5	<p>कंपनी की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा 207.25 लाख रु. (विगत वर्ष 207.25 लाख रु.) के ऋण के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। कंपनी के प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसा ऋण लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।</p> <p>अगर उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एवं 5 में संदर्भित 1 अप्रैल 2016 को (भारतीय लेखा पद्धति) अथशेष को यथा विद्यमान कमी और हानि भत्ते को एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता तो 1 अप्रैल 2016 को अन्य इक्विटी का खुलना 13,229.74 लाख रु. के प्रतिवेदित आंकड़े के प्रति 30,617.71 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और प्रतिवेदन की तारीख को अन्य इक्विटी 8702.01 लाख के प्रतिवेदित आंकड़े विरुद्ध 35,145.39 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और निवेश व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां क्रम से 3162.05 लाख रु. एवं 45065.03 लाख रु. प्रतिवेदित आंकड़े के विरुद्ध 117.27 लाख रु. एवं 4262.17 लाख रु. होते।</p>	<p>सहायक कंपनियों के लिए भारत सरकार का ऋण निधि संबंधित सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना ऋण का संवितरण कंपनी के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के ऋण की गैर-वसूली की किसी भी स्थिति के मामले में सहायक कंपनी को संवितरित स्वीकृत ऋण को भारत सरकार के उचित निर्देशों के तहत कंपनी की पुस्तक में भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की समान राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसलिए, इसका कंपनी के बहीखातों में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।</p> <p>अलग से किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताई गई संबंधित अवलोकनों का अनिवार्य परिमाणीकरण है।</p>
6	<p>नोट नंबर 4, लगन जून मशीनरी कंपनी लिमिटेड में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए 42.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 42.20 लाख रुपये) के निवेश के संबंध में, जिसका कंपनी के प्रबंधन द्वारा एफवीपीटीएल में मूल्यांकन किया गया है। हालांकि, हम उचित जानकारी और रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण ऐसे निवेशों के उचित मूल्य को सत्यापित करने में सक्षम नहीं हैं। कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में ऐसे निवेश के मूल्य में किसी प्रकार की हानि पर विचार नहीं किया है।</p>	<p>सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी इन्सट्रूमेंट में दीर्घकालिक निवेश महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पैरा - 17(I)(5) के अनुपालन में कंपनी द्वारा लगातार अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार लागत पर किया जाता है। लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में निवेश के मामले में इसका मूल्य भी लागत पर लगाया जाता है।</p>

7	<p>नोट 42 स्ट्रैप और / या अनुपयोगी संयंत्र संपत्ति और उपकरण की गैर-पहचान के संबंध में जिसके लिए कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में ऐसी संयंत्र संपत्ति और उपकरण के मूल्य में कोई हानि नहीं माना है।</p>	<p>अनुपयोगी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और स्ट्रैप की गैर-पहचान के संबंध में, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली परिपाटी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पैरा-13 के अनुपालन पर आधारित हैं।</p>
8	<p>प्रचलित कानूनों के अधीन बिना अनुपालन के भारत सरकार को जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) के 6,81,34,428 इक्विटीशेयर विक्रय से प्राप्त 1818 लाख रु. की बिक्री आय के स्थानांतरण के संबंध में टिप्पणी संख्या 44 है। हम नतीजतन समयोजन पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता उपर्युक्त मामले के संबंध में वित्तीय विवरण में अपेक्षित है।</p>	<p>अवलोकन की प्रकृति तथ्यात्मक है। तथापि, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पैरा-42 में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है।</p>
9	<p>अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में शामिल बयाना राशि और अन्य जमा राशियों के संबंध में नोट संख्या 46 - वर्तमान राशि रु. 45.14 लाख (पिछले वर्ष रु. 45.14 लाख) और संबंधित देय राशि रु. 40.78 लाख (पिछले वर्ष रु. 40.78 लाख), अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में शामिल अन्य अग्रिमों के संबंध में नोट संख्या 47 - वर्तमान राशि रु. 351.58 लाख (पिछले वर्ष रु. 385.76 लाख) और सरकार और सांविधिक प्राधिकारियों के पास शेष राशि में शामिल अन्य संपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 48 - वर्तमान राशि 47.54 लाख रुपये (47.54 लाख रुपये) है जो इस तरह की राशि की वसूली के संबंध में किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं हैं। कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में ऐसी जमाराशियों के मूल्य में किसी प्रावधान या हानि पर विचार नहीं किया है। इसी तरह, व्यापार देय के संबंध में नोट संख्या 49 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है - गैर-वर्तमान में 2900.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2900.04 रुपये) शामिल हैं, जिसके मुकाबले पहले के वर्षों में माल और सेवाओं को प्राप्त किया गया था, जिसके लिए लेनदारों की पहचान नहीं की जा सकती है।</p>	<p>लेखापरीक्षा अवलोकन उपयुक्त अनुपालन के लिए नोट किया गया है।</p>
10.	<p>मालसूचियां के बारे में टिप्पणी संख्या 53 में कच्चे माल के अधीन 62.47 लाख रु. की पुराने और अनुपयोगी स्टॉक, भंडार पुर्जों एवं संघटकों के अधीन 2.78 लाख रु. जो 7 वर्षों से अधिक समय से पड़े हुए हैं और खुले औजारों के अधीन 8.18 लाख रु. जो 9 वर्षों से अधिक समय से पड़े हुए हैं, जिसके लिए बही खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वित्तीय विवरण पर जिसका प्रभाव निश्चय योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।</p>	<p>लेखा परीक्षकों को उनकी संतुष्टि के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। तथापि, अवलोकन आगे अनुपालन के लिए नोट किया गया है।</p>

<p>11</p>	<p>टिप्पणी संख्या 56, कंपनी उनकी गैर-वसूली योग्यता को ध्यान में रखते हुए भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') द्वितीय स्तरीय सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को प्रदत्त 6,588.99 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का लेखांकन नहीं की है क्योंकि उपर्युक्त सहायक कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं एवं कंपनी की पूर्व सहायक कंपनी, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का ऋण 207.25 लाख रुपये है।</p> <p>आगे, कंपनी ने भारत सरकार से लिये गये 6588.99 लाख रुपये ऋण पर भुगतये ब्याज नहीं दिया है जिसका उपयोग कंपनी की उपर्युक्त कंपनियों को ऋण मंजूर करने के लिए किया गया है। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु दिया जाता तो 2155.92 लाख रुपये (विगत वर्ष 2160.61 लाख रुपये) अधिक होते और भारत सरकार को देय राशि, कुल ब्याज लेकर 52446.64 लाख रुपये (विगत वर्ष 50290.73 लाख रुपये) अधिक होती, जिसे प्रतिवेदन की तिथि तक नहीं दी गयी है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ 2155.62 लाख रुपये कम होते (विगत वर्ष 2160.61 लाख रुपये) एवं उस पर ब्याज लेकर भारत सरकार को देय राशि 52446.64 रुपये अधिक होती।</p>	<p>उत्तर वही हैं जो लेखापरीक्षा अवलोकन - I के अंतर्गत दिए गए हैं।</p>
<p>12</p>	<p>आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर दिये 18.56 लाख रुपये की निर्विरोध आयकर मांग के बारे में टिप्पणी संख्या 57, जिसके खंडन के लिए कंपनी उपयुक्त दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाई है। कथित देयता सत्यापित नहीं है और इसे लेखांकन कन्वेंशन के मुताबिक दिया जाना चाहिए था। अगर उक्त देयता दिया जाता तो वर्ष के लिए लाभ 18.56 लाख रुपये कम होती एवं आयकर के लिए देयता उस राशि के समान अधिक होती।</p>	<p>निर्विरोध आयकर मांगों को सुधारा जाता है और 2019-20 में 19.33 लाख से 2020-21 में घटाकर 18.56 लाख रुपये कर दिया जाता है। कंपनी आगे इसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया में है और इसे कम करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को आवश्यक आवेदन करने होंगे।</p>
<p>13</p>	<p>सहायक कंपनियों से प्राप्य राशि समेत विभिन्न पार्टियों की ओर से प्राप्य वित्तीय विवरण राशि की टिप्पणी संख्या 58 में यथा प्रकटीकृत पुष्टिकरण और मिलान के अध्ययन हैं। कंपनी द्वारा इन शेष के बारे में थर्ड पार्टी पुष्टिकरण हासिल नहीं की गयी है। इस प्रकार की पुष्टिकरण तथा मिलान के लंबित रहने से, वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव निश्चय योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।</p>	<p>कुछ पुष्टिकरण जब से प्राप्त हुए हैं और लेखापरीक्षकों को दिखाए गए हैं। तथापि, अवलोकन आगे अनुपालन के लिए नोट किया गया है।</p>

14	0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) की राशि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 300 इक्विटी शेयर में निवेश हेतु शेयर प्रमाण-पत्र एवं 0.16 लाख रु. (विगत वर्ष 0.16 लाख रु.) की राशि ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर रिडीम योग्य पंजीकृत डिबेंचर में निवेश हेतु प्रासंगिक दस्तावेज हमें भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं।	ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर-रिडीमेबल पंजीकृत डिबेंचर में निवेश के संबंध में 0.16 लाख रुपये (वर्तमान में वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड) डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रूपांतरण की प्रक्रिया में है और बीबीसीसीएल में निवेश के लिए लेखा परीक्षा अवलोकन नोट किया गया है।
15	कतिपय नकद शेष एवं बैंक शेष के बारे में टिप्पणी 59 जो संबंधित बैंकों की पुष्टि के अध्ययन है। अगर वित्तीय विवरणों में इन शेष राशि के बारे में हानि के लिए प्रावधान किया जाता तो वर्ष के लिए 13.09 लाख रु. लाभ कम होता एवं नकद शेष 0.70 लाख रु. कम हुई होती तथा बैंकों में शेष 12.39 लाख रु. कम हुई होती।	ये पुराने बकाये हैं जिनके लिए संबंधित परियोजनाएं बंद हैं। कुछ मामलों में पुष्टिकरण प्राप्त होते हैं और लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किए जाते हैं। तथापि, उचित कार्रवाई के लिए हेतु अवलोकन नोट किया जाता है।
विषय का महत्व		
1	वित्तीय विवरण के नोट 50 के साथ वैट रिफंड के विचार के संबंध में, जो गैर-आवर्ती प्रकृति होने से असाधारण मद के रूप में माना जाना चाहिए।	अवलोकन की प्रकृति तथ्यात्मक है। तथापि, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पैरा-50 में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है।
2	वित्तीय विवरणों के नोट 60 के साथ कंपनी के संचालन और परिसंपत्तियों पर कोविड -19 प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के संबंध में	अवलोकन की प्रकृति तथ्यात्मक है। तथापि, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पैरा-60 में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण

एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

योग्य राय :

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है तथा जिसमें 31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ व अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी बेहतर जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, (“अधिनियम”) द्वारा जिस रूप में अपेक्षित हो, अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप मार्च 31, 2021 को स्थित कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसका लाभ एवं नकद प्रवाह का सच्चा व निष्पक्ष विचार प्रदान करता है।

योग्य राय हेतु आधार :

1. कंपनी की एक सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (‘बीपीएमईएल’) में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 486.30 लाख रु. (विगत वर्ष 486.30 लाख रु.) के निवेश के बारे में टिप्पणी संख्या 4 और 5932.96 लाख रु. (विगत वर्ष 5932.96 लाख रु.) ऋण के बारे में टिप्पणी संख्या 6 एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज की राशि है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश ऋण और कथित ब्याज पर प्राप्य / उपचित ब्याज को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा ऋणों और यथा पूर्व कथित प्राप्य / उपचित ब्याज हेतु हानि भत्ता हेतु कोई मूल्यांकन एवं तत्पश्चात प्रावधान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
2. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (‘जेसीएल’) में प्रतिवेदन तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 25558.01 लाख रु. (विगत वर्ष 25558.01 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी संख्या 4 है। यद्यपि जेसीएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है एवं ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी हेतु कोई प्रावधान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
3. कंपनी का एक संयुक्त उद्यम, भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (‘बीबीसीसीएल’) में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी सं. 4 है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है तथा निवेशों के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

4. कंपनी की सहायक कंपनी की एक सहायिका, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यू आई एल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 656.03 लाख रु. (विगत वर्ष 656.03 लाख रु.) एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज 350.26 लाख रु. (विगत वर्ष 350.26 लाख रु.) के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
5. कंपनी की पूर्ववती सहायक कंपनी, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा 207.25 लाख रु. (विगत वर्ष 207.25 लाख रु.) के ऋण के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। कंपनी के प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसा ऋण लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

अगर उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एवं 5 में संदर्भित 1 अप्रैल 2016 को (भारतीय लेखा पद्धति) अथशेष को यथा विद्यमान कमी और हानि भत्ते को एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता तो 1 अप्रैल 2016 को अन्य इक्विटी का खुलना 13,229.74 लाख रु. के प्रतिवेदित आंकड़े के प्रति 30,617.71 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और प्रतिवेदन की तारीख को अन्य इक्विटी 8702.01 लाख के प्रतिवेदित आंकड़े विरुद्ध 35,145.39 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और निवेश व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां क्रम से 3162.05 लाख रु. एवं 45065.03 लाख रु. प्रतिवेदित आंकड़े के विरुद्ध 117.27 लाख रु. एवं 4262.17 लाख रु. होते।
6. नोट नंबर 4, लगन जून मशीनरी कंपनी लिमिटेड में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए 42.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 42.20 लाख रुपये) के निवेश के संबंध में, जिसका कंपनी के प्रबंधन द्वारा एफवीपीटीएल में मूल्यांकन किया गया है। हालांकि, हम उचित जानकारी और रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण ऐसे निवेशों के उचित मूल्य को सत्यापित करने में सक्षम नहीं हैं। कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में ऐसे निवेश के मूल्य में किसी प्रकार की हानि पर विचार नहीं किया है।
7. नोट 42 स्क्रेप और / या अनुपयोगी संयंत्र संपत्ति और उपकरण की गैर-पहचान के संबंध में जिसके लिए कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में ऐसी संयंत्र संपत्ति और उपकरण के मूल्य में कोई हानि नहीं माना है।
8. प्रचलित कानूनों के अधीन बिना अनुपालन के भारत सरकार को जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) के 6,81,34,428 इक्विटीशेयर विक्रय से प्राप्त 1818 लाख रु. की बिक्री आय के स्थानांतरण के संबंध में टिप्पणी संख्या 44 है। हम नतीजतन समयोजन पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता उपर्युक्त मामले के संबंध में वित्तीय विवरण में अपेक्षित है।
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल बयाना राशि और अन्य जमा राशियों के संबंध में नोट संख्या 46 - वर्तमान राशि रु. 45.14 लाख (पिछले वर्ष रु. 45.14 लाख) और संबंधित देय राशि रु. 40.78 लाख (पिछले वर्ष रु. 40.78 लाख), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल अन्य अग्रिमों के संबंध में नोट संख्या 47 - वर्तमान राशि रु. 351.58 लाख (पिछले वर्ष रु. 385.76 लाख) और सरकार और सांविधिक प्राधिकारियों के पास शेष राशि में शामिल अन्य संपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 48 - वर्तमान राशि 47.54 लाख रुपये (47.54 लाख रुपये) है जो इस तरह की राशि की वसूली के संबंध में किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं हैं। कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में ऐसी जमाराशियों के मूल्य में किसी प्रावधान या हानि पर विचार नहीं किया है। इसी तरह, व्यापार देय के संबंध में नोट संख्या 49 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है - गैर-वर्तमान में 2900.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2900.04 रुपये) शामिल हैं, जिसके मुकाबले पहले के वर्षों में माल और सेवाओं को प्राप्त किया गया था, जिसके लिए लेनदारों की पहचान नहीं की जा सकती है।

10. मालसूचियां के बारे में टिप्पणी संख्या 53 में कच्चे माल के अधीन 62.47 लाख रु. की पुराने और अनुपयोगी स्टॉक, भंडार पुर्जों एवं संघटकों के अधीन 2.78 लाख रु. जो 7 वर्षों से अधिक समय से पड़े हुए हैं और खुले औजारों के अधीन 8.18 लाख रु. जो 9 वर्षों से अधिक समय से पड़े हुए हैं, जिसके लिए बही खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वित्तीय विवरण पर जिसका प्रभाव निश्चय योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।
11. टिप्पणी संख्या 56, कंपनी उनकी गैर-वसूली योग्यता को ध्यान में रखते हुए भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') द्वितीय स्तरीय सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को प्रदत्त 6,588.99 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का लेखांकन नहीं की है क्योंकि उपर्युक्त सहायक कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं एवं कंपनी की पूर्व सहायक कंपनी, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का ऋण 207.25 लाख रुपये है।
आगे, कंपनी ने भारत सरकार से लिये गये 6588.99 लाख रुपये ऋण पर भुगतये ब्याज नहीं दिया है जिसका उपयोग कंपनी की उपर्युक्त कंपनियों को ऋण मंजूर करने के लिए किया गया है। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु दिया जाता तो 2155.92 लाख रुपये (विगत वर्ष 2160.61 लाख रुपये) अधिक होते और भारत सरकार को देय राशि, कुल ब्याज लेकर 52446.64 लाख रुपये (विगत वर्ष 50290.73 लाख रुपये) अधिक होती, जिसे प्रतिवेदन की तिथि तक नहीं दी गयी है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ 2155.62 लाख रुपये कम होते (विगत वर्ष 2160.61 लाख रुपये) एवं उस पर ब्याज लेकर भारत सरकार को देय राशि 52446.64 रुपये अधिक होती।
12. आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर दिये 18.56 लाख रुपये की निर्विरोध आयकर मांग के बारे में टिप्पणी संख्या 57, जिसके खंडन के लिए कंपनी उपयुक्त दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाई है। कथित देयता सत्यापित नहीं है और इसे लेखांकन कन्वेंशन के मुताबिक दिया जाना चाहिए था। अगर उक्त देयता दिया जाता तो वर्ष के लिए लाभ 18.56 लाख रुपये कम होती एवं आयकर के लिए देयता उस राशि के समान अधिक होती।
13. सहायक कंपनियों से प्राप्य राशि समेत विभिन्न पार्टियों की ओर से प्राप्य वित्तीय विवरण राशि की टिप्पणी संख्या 58 में यथा प्रकटीकृत पुष्टिकरण और मिलान के अध्ययन हैं। कंपनी द्वारा इन शेष के बारे में थर्ड पार्टी पुष्टिकरण हासिल नहीं की गयी है। इस प्रकार की पुष्टिकरण तथा मिलान के लंबित रहने से, वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव निश्चय योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।
14. 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) की राशि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 300 इक्विटी शेयर में निवेश हेतु शेयर प्रमाण-पत्र एवं 0.16 लाख रु. (विगत वर्ष 0.16 लाख रु.) की राशि ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर रिडीम योग्य पंजीकृत डिबेंचर में निवेश हेतु प्रासंगिक दस्तावेज हमें भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं।
15. कतिपय नकद शेष एवं बैंक शेष के बारे में टिप्पणी 59 जो संबंधित बैंकों की पुष्टि के अध्ययन है। अगर वित्तीय विवरणों में इन शेष राशि के बारे में हानि के लिए प्रावधान किया जाता तो वर्ष के लिए 13.09 लाख रु. लाभ कम होता एवं नकद शेष 0.70 लाख रु. कम हुई होती तथा बैंकों में शेष 12.39 लाख रु. कम हुई होती।

लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखांकन पर मानकों (ले.मा.) के अनुरूप एकल भारतीय लेखा प्रणाली वित्तीय विवरण की हमने अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अधीन हमारा उत्तरदायित्व हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए आगे लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में बताया गया है। हम दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड

एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुरूप कंपनी से स्वतंत्र हैं, उसके साथ नैतिक आवश्यकताओं, जो अधि नियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं एवं हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखा परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित है।

विषय का महत्व :

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं

- (क) वित्तीय विवरण के नोट 34 के साथ जहां भारतीय - लेखांकन मानकों 19 में निहित आवश्यकताओं के अनुसार ग्रेच्युटी के संबंध में कर्मचारी लाभ का खुलासा नहीं किया गया है।
- (ख) वित्तीय विवरण के नोट 50 के साथ वैट रिफंड के विचार के संबंध में, जो गैर-आवर्ती प्रकृति होने से असाधारण मद के रूप में माना जाना चाहिए।
- (ग) वित्तीय विवरणों के नोट 60 के साथ कंपनी के संचालन और परिसंपत्तियों पर कोविड -19 प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के संबंध में।

इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य सूचनाएँ

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये सूचनाएँ शामिल हैं परन्तु एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तथा उसपर हमारे लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं हैं।

हमारी राय एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर अन्य सूचनाएँ को लेकर नहीं है एवं हम उस पर किसी किस्म के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के बारे में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं के पठन से है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण के बारे में ऐसी अन्य जानकारी वस्तुपरक रूप से असंगत है या हमें लेखा परीक्षा के समय में ऐसी जानकारी में प्राप्त हुई है या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुपरक गलत बयानी दी गयी है। यदि हम अपने किये कार्य पर आधारित इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारी में वस्तुपरक गलत बयानी की गयी है, जिसे हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी थी। हमें इस बारे में कुछ प्रतिवेदन नहीं देना है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों हेतु कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेवार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित लेखांकन मानकों समेत भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, इक्विटी परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का सच्चा व स्वच्छ विचार प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख अनुरक्षित करना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व लागू करना; निर्णयों तथा अनुमानों को तैयार करना जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण

हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण; जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के अनुरूप धोखाधड़ी या त्रुटि से होनेवाली वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त एवं सत्य व उचित दृष्टि प्रदान करता हो, भी शामिल है।

प्रबंधन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए चालू कारबार के तौर पर जारी रखने, खुलासा करने, यथा प्रयोज्य, चालू कारबार से संबंधित मामले एवं लेखांकन की चालू कारबार के आधार पर उपयोग करने, जब तक प्रबंधन कंपनी को बंद करने या प्रचालन समाप्त करने का इरादा रखती हो, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहने पर कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में यह उचित आश्वासन हासिल करना है कि ये पूर्ण रूप से वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे व धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऐसा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित लेखा परीक्षा हमेशा वस्तुपरक गलतबयानी, जहां मौजूद होने पर, का पता लगाये। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण पैदा हो सकती है और भौतिक समझा जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समष्टि रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद कर सके।

हम मानक लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा के एक अंश के रूप में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा समूचे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। :

- हम एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन भी करते हैं चाहे धोखाधड़ी, या त्रुटि, अभिकल्पना के कारण हो एवं उन जोखिमों के उत्तरकारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया निष्पादन करते हैं, और लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करते हैं, जो हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करता है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वस्तुपरक गलतबयानी का पता नहीं लगाने की जोखिम धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना के तौर पर त्रुटि से होने वाली धोखाधड़ी से अधिक है।
- हम लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के उपयुक्त बनाने के लिए लेखा परीक्षा के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की समझ भी हासिल करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है एवं इन नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर अपनी हम राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
- हम उपयोग में आने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमान के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों का भी मूल्यांकन करते हैं।
- हम लेखांकन के चालू कारबार के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर भी निष्कर्ष निकालते हैं, और हासिल किये गये लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुपरक अनिश्चितता विद्यमान हैं जो कंपनी की चालू कारबार की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुपरक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, अपना विचार संशोधन हेतु। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा

परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू कारबार के रूप में जारी रखना बंद करना पड़ सकता है।

- हम संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और चाहे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो स्वच्छ प्रदर्शन करता हैं।

हम अन्य मामलों में, अभिशासन पर आरोप लगाने वाले से संप्रेषण करते हैं, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम उन लोगों को भी अभिशासन के साथ एक बयान देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे सभी रिशतों और अन्य मामलों के साथ संप्रेषण करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने हेतु उचित रूप से सोची जा सके, और संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ, जहां लागू हो।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन --

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) का आदेश ('आदेश') द्वारा अपेक्षित, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश के 3 और 4 अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण, जहां तक प्रयोज्य है, प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में हम अपनी रिपोर्ट, कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि उपयुक्त विचार किया तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-ख" में संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हम प्रतिवेदन करते हैं कि :
 - क) हमने जांच की और सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे बेहतर ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ;
 - ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित लेखे की उचित बही कंपनी द्वारा रखी गयी है जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है ;
 - ग) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह का विवरण एवं इस प्रतिवेदन द्वारा निपटायी गयी इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं ;
 - घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित, कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखांकन मानकों) के साथ पठित यथासंशोधित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;
 - ड) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यादनों के आधार पर यह रिकार्ड किया गया कि अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के मुताबिक निदेशकों में से कोई भी 31 मार्च, 2021को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।
 - च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं इन नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावशीलता के बारे में, हमारे पृथक प्रतिवेदन अनुलग्नक - ग का संदर्भ लें।
 - छ) कंपनियों (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) के नियमों, 2014 यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी बेहतर सूचना में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :--

- i. कंपनी ने अपनी एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 और टिप्पणी 40 का संदर्भ लें।
- ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण ठेकों में प्रवेश किया है। कंपनी ने दीर्घकालिक ठेकों के अनिष्पादित हिस्से पर वित्तीय वर्ष के अंत में शून्य लाख रु.(विगत वर्ष 90.66 लाख रु.) की अनुमान्य हानि हेतु जिम्मेदार है। कंपनी ने किसी व्युत्पन्न ठेके में प्रवेश नहीं किया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई ऐसी अपेक्षित राशि नहीं है।

कृते एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजी. सं. : 315082 ई

सीए रविन्द्र खण्डेलवाल

भागीदार

सदस्य सं. 054615

यूडिआईएन -21054615एएएईएन5962

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - "क"

अनुलग्नक - "क" 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के संदर्भ में है।

इस तरह की जांच जिसे हम उचित मानते हैं के आधार पर एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रतिवेदन देते हैं कि---

1. (क) कंपनी स्थायी परिसंपत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करते हुए यथोचित अभिलेख रखी है।
(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है एवं टिप्पणी संख्या 42 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो स्वतः स्पष्ट है।
(ग) भवन में कोलकाता पत्तन न्यास से लाइसेंस करारनामे के तहत सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता में जमीन पर स्थायी संरचना 131.46 लाख रु. विगत वर्ष (131.46 लाख रु. राशि) शामिल है। कंपनी नियमित रूप से पट्टे का किराया दे रही है परंतु हमें बैनामा / करारनामे की प्रतियाँ नहीं प्रस्तुत की गयी है।
2. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन ने उचित अंतराल पर मालसूची का भौतिक सत्यापन कराया है और सत्यापन से कोई भौतिक फर्क नहीं पाया गया है।
3. हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अपनी सहायक कंपनी एवं वर्तमान में समापन के अधीन द्वि-स्तरीय सहायक कंपनी को अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं की है। इसलिए हम, उक्त आदेश की धारा-3(iii)[(क), (ख) और (ग)] के प्रावधानों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
4. कंपनी ने सहायक कंपनी को दिए अग्रिम ऋणों एवं सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम कंपनियों में किए निवेश के बारे में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अधीन आने वाली किसी पार्टी को कोई गारंटी या जमापत्र नहीं दी है।
5. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन किसी अन्य अनुरूप प्रावधानों के अर्थ से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं की है।
6. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन कंपनी द्वारा दी गई किसी सेवाओं के लिए लागत अभिलेख रखने को नहीं कहा है।
7. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ मामलों में विलंब को छोड़कर भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य-बीमा, आय-कर, विक्रय-कर, संपत्ति-कर, सेवा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, माल एवं सेवा-कर, उपकर से संबंधित बकायों एवं इस पर प्रयोज्य अन्य अविवादित सांविधिक बकायों को यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को स्थित देय तारीख से छह माह से अधिक तक बकाये वाले निम्नलिखित को छोड़कर आय-कर, सेवा-कर, माल एवं सेवा- कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाये के बारे में कोई अविवादित देय राशि बकाया नहीं थी।

क्रम सं.	बकाये की प्रकृति	राशि	संबंधित अवधि(लाख रु. में)
1	कर्मचारी भविष्य निधि	17.13	पुराना बकाया
2	पेशाकर	0.66	पुराना बकाया
3	स्रोत से संग्रहीत कर	0.16	पुराना बकाया
4	देय सेवाकर (पूर्ववती बीबीयूएनएल से संबंधित)	1.94	पुराना बकाया (विवरण उपलब्ध नहीं है)
5	स्रोत से कर की कटौती	1.45	पुराना बकाया
6	विक्रय-कर	1.54	पुराना बकाया
7	आय-कर मांग	1.16	2005-06
8	आय-कर मांग	4.57	2006-07
9	आय-कर मांग	9.23	2007-08
10	आय-कर मांग	2.35	2008-09
11	आय-कर मांग	0.08	2012-13
12	आय-कर मांग	1.17	2015-16

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, यथाप्रयोज्य, आय-कर, विक्रय-कर, भविष्य निधि के बकाये का ब्यौरा नीचे दे रहे हैं, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया एवं पीठ जहां विवाद लंबित है :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि	जिस मंच पर विवाद लंबित/ खारिज हो गया है	राशि (लाख रु. में)
1	पं. बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त –वाणिज्यिक कर	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2010-11	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	33.25
3	बिहार वित्त अधिनियम, 1994	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	30.98
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा-कर मांग, धारा-75 के अधीन उस पर ब्याज (राशि निर्धारित नहीं) समेत और अधिरोपित दण्ड	2007-08 से 2011-12	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा-कर अपीलीय ट्राइब्यूनल	154.45

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि	जिस मंच पर विवाद लंबित/ खारिज हो गया है	राशि (लाख रु. में)
5	कर्मचारी भविष्य-निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	हरजाना/ ब्याज देय से 04/2008	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता, पं. बंगाल ने मांग की है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील की है। मांग की राशि 96.10 लाख रुपये है एवं बीबीयूनल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास 41.96 लाख रुपये है।	54.14
6	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य ठेका कर	2004-2005	वाणिज्य-कर विभाग	19.36
7	बिहार जीएसटी	ट्रान 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय अधिकारी	12.55
8	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2016-17	अपीलीय अधिकारी	0.21
9	झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम	अधिक आईटीसी दावा किया गया	01.07.2017 से 30.11.2018	उप आयुक्त (चाईबासा क्षेत्राधिकार)	11.55
10	आय-कर, 1961	आय-कर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	10.65
11	आय-कर, 1961	आय-कर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	0.96
12	आय-कर, 1961	आय-कर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	6.34
13	आय-कर, 1961	आय-कर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	285.31
14	आय-कर, 1961	आय-कर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	63.86
15	आय-कर, 1961	आय-कर मांग	2013-14	आयकर अपीलीय ट्राईब्यूनल	58.67

8. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने बैंकों एवं ऋणपत्र धारकों से ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान करने कोई बकाया नहीं रखी है एवं वित्तीय संस्थानों एवं सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं ली है।

9. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण के रूप में धन संग्रह नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 3(ix) प्रयोज्य नहीं है।
10. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गयी या रिपोर्ट की गयी है।
11. नैगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(i) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।
12. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) प्रयोज्य नहीं है।
13. कंपनी में संबंधित पार्टियों के लेन-देन में यथाप्रोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 से 188 का अनुपालन किया गया है तथा प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथाअपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में विवरणों का खुलासा किया गया है।
14. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी नहीं की है।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई नकद लेन-देन नहीं की है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(XV) प्रयोज्य नहीं है।
16. हमारी राय में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजी. सं. : 315082 ई

सीए रविन्द्र खण्डेलवाल

भागीदार

सदस्य सं. 054615

यूडिआईएन -21054615एएएईएन5962

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक -“ख”
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश	दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
(I) एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया चलाने के लिए सिस्टम है ? यदि हाँ, तो वित्तीय आशय, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अक्षतता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कार्यवाही का आशय बतायें ।	कंपनी टैली ईआरपी 9 नामक एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है एवं इसके जरिए सभी एकाउंटिंग लेनदेन की प्रक्रिया करती है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्तमान में कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही उपरोक्त एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बाहर कोई एकाउंटिंग लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की गई है।	शून्य
(II) कर्ज पुनर्गठन क्या कंपनी के ऋण की वापसी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के वर्तमान ऋणों का कोई पुनर्गठन या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के परित्याग / बट्टे खाते लिखे गये हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाये ।	कंपनी के पास भारत सरकार, जो कि कंपनी का प्रवर्तक है से प्राप्त ऋण के अलावा कोई उधार नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है ।	शून्य
(III) सरकारी निधि / अनुदान का उपयोग क्या केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों के शर्तों के मुताबिक समुचित रूप से लेखांकन/ उपयोग होता है ? व्यतिक्रम वाले मामले की सूची दें ।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है ।	शून्य

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-“ग”

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने मार्च 31, 2021 को समाप्त दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी का प्रबंधन ‘इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताये गये आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक संघटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण’ पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (“दिशानिर्देश टिप्पणी”) के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परीक्षा के लिए एक हद तक लागू समझी जाती है। दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो कि लेखा परीक्षा पर परियोजना दोनो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। नीचे दी गई राय अनुच्छेद के डिस्कलेमर में वर्णित मामले की वजह से हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर लेखा परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों का मतलब

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनायी गयी है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ जो (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं स्वभाव का उचित विवरण, शुद्धता व सही प्रतिबिम्ब प्रदान करती है; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती है कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए यथा आवश्यक लेन-देन का रिकार्ड किया जाता हो तथा कंपनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के सिर्फ प्राधिकार के अनुरूप किये जा रहे हों; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, व्यवहार या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना जो कि वित्तीय विवरणों पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ सकता हो।

राय का डिस्क्लेमर

हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए या पर आधारित मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सत्यापित नहीं किया है इस कारण के फलस्वरूप, हमारी राय को एक आधार प्रदान करने में हम पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असफल हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था एवं क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

हमने कंपनी के एक वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा में अनुप्रयुक्त लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति समय और विस्तार को विचार करने में ऊपर उल्लिखित अस्वीकरण पर विचार किया है तथा अस्वीकरण कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है।

कृते एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 315082 ई

सीए रविन्द्र खण्डेलवाल
भागीदार

सदस्य सं. 054615

यूडिआईएन -21054615एएएईएन5962

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप
कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम,
2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की
टिप्पणियाँ**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विनिर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा-139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा-143 के तहत विनिर्धारित लेखा परीक्षा के मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा-143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय प्रतिवेदनों पर मंतव्य प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 18 अगस्त, 2021 में बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2021 के लिए अधिनियम की धारा-143(6)(क) के अधीन दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है।


भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

(सुपर्णा देव)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (खदान)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 अगस्त, 2021



आज़ादी का
अमृत महोत्सव



Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कोलकाता में श्री अरुण गोयल, माननीय सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय का दौरा
Visit of Shri Arun Goel, Hon'ble Secretary, MHI, at Kolkata

31 मार्च 2021 को रिथित तुलन-पत्र

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियों			
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण	2	470.83	490.65
पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन		-	-
अमूर्त परिसंपत्तियों	3	6.34	7.72
वित्तीय परिसंपत्तियों			
निवेश	4	3,162.05	3,158.24
व्यापार प्राप्त्य	5	-	-
अन्यान्य	6	3,150.72	5,460.90
आस्थगित कर परिसंपत्तियों, शुद्ध	7	666.44	562.80
		7,456.37	9,680.31
वर्तमान परिसंपत्तियों			
मालसूची	8	4,394.04	5,392.68
वित्तीय परिसंपत्तियों			
व्यापार प्राप्त्य	5	1,301.72	3,265.03
नकद एवं नकद समकक्ष	9	4,228.83	4,007.29
अन्य बैंक शेष	10	7,508.35	3,984.58
अन्यान्य	6	45,065.03	45,378.40
वर्तमान कर परिसंपत्तियों	11	265.27	397.74
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों	12	1,468.00	1,409.87
		64,231.22	63,835.58
कुल परिसंपत्तियों			
		71,687.60	73,515.89
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूँजी	13	12,086.05	12,086.05
अन्य इक्विटी	14	8,702.01	8,566.15
कुल इक्विटी			
		20,788.06	20,652.20
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	15	262.06	297.82
प्रावधान	16	514.88	527.10
अन्य वित्तीय देयताएँ	19	163.05	163.05
अन्य गैर वर्तमान देयताएँ	17	202.56	184.28

व्यापार देय	18		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3,752.80	-
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 35 देखें)		-	-
		4,895.35	1,172.25
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	15	6,589.00	6,589.00
व्यापार देय	18		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3,998.05	9,113.62
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 35 देखें)		-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	19	34,600.19	34,522.94
अन्य वर्तमान देयताएँ	17	772.57	1,432.17
वर्तमान कर देयताएँ	20	-	-
प्रावधान	16	44.38	33.71
		46,004.18	51,691.45
कुल देयताएँ		50,899.54	52,863.70
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		71,687.60	73,515.89

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

सी.ए. रविन्द्र खण्डेलवाल

भागीदार

सदस्य सं.: 054615

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

युडीआई एन : 21054615एएएईएन5962

सुंदर बनर्जी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.के. घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)

मुकेश कुमार

निदेशक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा

कंपनी सचिव

31 मार्च 2021 को रिथत लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	दृष्टव्य 31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रचालन से लाभ	21 7,053.86	10,640.23
अन्य आय	22 3,307.19	721.61
कुल आय	10,361.05	11,361.84
व्यय :		
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	23 1,145.98	3,373.76
मालसूची में बदलाव और प्रगतिधीन कार्य	24 1,087.07	(2,261.94)
कर्मचारी हित खर्च	25 2,195.49	1,996.97
वित्त लागत	26 128.68	60.91
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन खर्च	27 93.37	122.88
अन्य खर्च	28 4,203.40	7,841.37
कुल खर्च	8,853.99	11,133.95
कर पूर्व लाभ	1,507.05	227.89
कर व्यय		
वर्तमान कर	29 442.68	93.21
आस्थगित कर	29 (103.64)	(61.25)
कुल कर व्यय	339.04	31.96
वर्ष के लिए लाभ	1,168.01	195.92
अन्य विस्तृत आय		
वे मद जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-
वे मद जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
आयकर प्रभाव	29 -	-
वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय, शुद्ध कर	-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	1,168.01	195.92
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 भा.रु. का नॉमिनल मूल्य) भा.रु. में	36	
मूल	96.64	16.21
तनुकृत	96.64	16.21

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

सी.ए. रविन्द्र खण्डेलवाल

भागीदार

सदस्य सं.: 054615

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

युडीआई एन : 21054615एएएईएन5962

सुंदर बनर्जी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.के. घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)

मकेश कुमार

निदेशक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा

कंपनी सचिव

नकद प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2021को समाप्त	31 मार्च, 2020 को समाप्त
I. प्रचालनगत क्रियाकलाप से नकद प्रवाह		
करपूर्व लाभ	1,507.05	227.89
शुद्ध नकद प्रवाह से करपूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन :		
मूर्त परिसंपत्तियों का हास	89.07	117.78
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	4.30	5.10
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण (शुद्ध) की विक्री पर लाभ	-	(0.36)
बैंक एवं प्रतिभूति जमा पर ब्याज की आय	(568.06)	(681.79)
वित्त लागत	128.68	60.91
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	(32.52)	(34.75)
ब्याज की आय	(3.81)	(3.62)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनगत लाभ	1,124.72	(308.85)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :		
प्रचालनगत परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्यताएं	1,963.31	2,325.53
मालसूची	998.64	(2,474.63)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान	313.37	116.81
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(58.13)	(729.84)
प्रचालनगत देयताएं में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन		
व्यापार देय	(1,362.77)	1,516.16
अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान	77.25	80.35
अन्य वर्तमान देयताएं	(659.60)	(988.96)
प्रावधान	(1.55)	81.73
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	2,395.23	(381.68)
आयकर का भुगतान	(310.20)	(277.76)
प्रचालन क्रियाकलाप से/(में) उत्पन्न शुद्ध नकदी	2,085.03	(659.44)
II निवेशमूलक क्रियाकलाप से नकद प्रवाह		
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(72.23)	(32.67)
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की निपटान	0.07	9.34
बैंकों में 3 महीने से ज्यादा की मूल परिपक्वतावाली सावधि जमा का (निवेश) / विमोचन	(3,523.76)	2,903.73
ब्याज की आय	568.06	681.79
अगर तुलन-पत्र तिथि से एक वर्ष ज्यादा परिपक्वता वाले बैंक में जमा	2,310.18	(2,615.62)
निवेश क्रियाकलापों में शुद्ध नकद प्रयुक्त	(717.69)	946.57

III वित्तपोषक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह

लम्बी अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	(17.48)	(47.77)
अल्प अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	-	-
ब्याज चुकता	(96.16)	(26.16)
अंतिम लाभांश	(1,032.15)	(1,087.74)
अंतिम लाभांश पर कर	-	(223.59)
वित्तीय कार्यकलाप द्वारा शुद्ध नकद दी गयी	(1,145.79)	(1,385.26)

वित्तीय कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकद (I+II+III)

वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	4,007.29	5,105.43
वर्ष के अंत (नीचे द्रष्टव्य देखें) में नकद एवं नकद समतुल्य	4,228.83	4,007.29

द्रष्टव्य :

नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्न शामिल है :

हाथ में नकद	2.74	0.14
बैंक में नकद		
- चालू खाते में	152.36	1,498.94
- तीन महीने से कम मूल परिपक्वता वाली रकम जमा खाते में	4,073.73	2,508.21
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	4,228.83	4,007.29

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

सी.ए. रविन्द्र खण्डेलवाल

भागीदार

सदस्य सं.: 054615

सुंदर बनर्जी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार

निदेशक (वित्त)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

युडीआई एन : 21054615एएएईएन5962

एस.के. घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा

कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2019 को शेष	1,208,605	12,086.05
31 मार्च, 2020 को शेष	1,208,605	12,086.05
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	1,208,605	12,086.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि का आबंटन लंबित	पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	प्रारक्षित एवं अधिशेष				कुल
			प्रारक्षित पूंजी	सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित आय	ऋण विमोचन प्रारक्षित	
1 अप्रैल, 2019 को वर्ष का लाभ	-	-	0.06	1,473.65	7,904.19	303.66	9,681.56
वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-	195.92	-	195.92
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(1,087.74)	-	(1,087.74)
अंतिम लाभांश पर कर अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(223.59)	-	(223.59)
परिभाषित हित योजनाओं पर पुनः माप लाभ/(हानि) आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	-	-	0.06	1,473.65	6,788.78	303.66	8,566.15
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	1,168.01	-	1,168.01
वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश 19-20	-	-	-	-	(1,032.15)	-	(1,032.15)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय परिभाषित हित योजनाओं, शुद्ध कर पर पुनः माप लाभ/(हानि) आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	-	-	0.06	1,473.65	6,924.64	303.66	8,702.01

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

सी.ए. रविन्द्र खण्डेलवाल

भागीदार

सदस्य सं.: 054615

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 18.08.2021

युडीआई एन : 21054615एएएईएन5962

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

सुंदर बनर्जी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.के. घोष

उप महाप्रबंधक (वित्त)

मुकेश कुमार

निदेशक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा

कंपनी सचिव

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

1. कंपनी सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई :

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) भारत में अवस्थित एक कंपनी है एवं और शेयरों (सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986 जीओआई041286) द्वारा सीमित है। कंपनी की पंजीकृत कार्यालय का पता 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 है। कंपनी फैब्रिकेशन समेत मुख्य रूप से निर्माण के व्यापार में युक्त है।

ख. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार :

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रयोज्य प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित एवं प्रयोज्य के विस्तार तक), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम 2015 व तदन्तर उनमें संशोधन के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भार ले मा) के अनुपालन तथा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं। लेखांकन नीतियों का ब्यौरा टिप्पणी-1 में शामिल किया गया है।

2. उपाय के आधार

ये वित्तीय विवरण, निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं उचित मूल्य पर मापे गये हैं।
- कर्मचारी परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां / (देयताएं) योजना परिसंपत्तियों, जोड़ बीमांकित हानियों, कम बीमांकित लाभों तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के उचित मूल्य के कुल निवल जोड़ के रूप में पहचाने जाते हैं।

3. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र और लाभ व हानि का विवरण कंपनी 2013 (‘अधिनियम’) की अनुसूची III में विनिर्धारित फार्मेट तैयार और प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के “नकद प्रवाह का विवरण” की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया है। तुलन-पत्र और लाभ व हानि विवरण, अधिनियम, की अनुसूची III में यथा विनिर्धारित, में मदों से संबंधित आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों के अंश स्वरूप के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं।

4. कार्यमूलक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा होती है। एक इकाई की कार्यमूलक मुद्रा प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जो इसे प्रचालित करती हैं।

भा.रु. में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) किया गया है, जैसा कि अन्यथा कहा गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5. प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में स्थापित कंपनी की सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदंड के अनुसार चालू या अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।

परिसंपत्तियां :

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो :

- क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में विक्रय या खपत का इरादा या उगाही की आशा की जाती हो ;
- ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से समझा जाता है ;
- ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर उगाही का आशा की जाती है ; या
- घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता समाधान के लिए विनिमय या उपयोग के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जाता हो।

देयताएं :

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो :

- क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में समाधान किये जाने की प्रत्याशा हो ;
- ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से समझा जाता हो ;
- ग) इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर समाधान किया जाता हो ; या
- घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता के समाधान को आस्थगित करने का कोई बिना शर्तिया अधिकार नहीं है।

देयता की शर्तें, जो प्रतिरूपी की राय पर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जारी द्वारा इसके समाधान का परिणामी हो सका, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है। चालू परिसंपत्तियों / देयताओं में क्रम से अप्रचलित परिसंपत्तियों/ देयताओं के चालू अंश शामिल हैं। सभी अन्य परिसंपत्तियों / देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय तथा अनुमान अनिश्चितता स्रोत

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन की ओर से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रचालन के परिणाम तथा वित्तीय समायोजन की तिथि को आकस्मिक परिसंपत्तियों व आकस्मिक देयताओं की प्रकटीकरण तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की प्रतिवेदित राशि एवं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करती हैं पर न्याय, आकलन व मान्यता देना आवश्यक है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और निहित मान्यताओं की एक चालू आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के पुनरीक्षण को किसी भावी प्रभावित अवधि तथा अवधि जिसमें अनुमानों का पुनरीक्षण किया जाता है में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों पर सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो लेखांकन नीतियों और / या वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में शामिल है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के क्रम में, अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सूचना, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनिश्चितता व महत्वपूर्ण निर्णय जिनका वित्तीय विवरणों में अभिज्ञान राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों तथा/ या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान – एक सीमा जहां तक आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रतिचिह्नित की जा सकती है भावी करयोग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर संपत्तियों का व्यवहार किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हानि हेतु सूचकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों के हास के सूचकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में भिन्न आंतरिक एवं बाह्य घटक अपेक्षित हैं जो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि की हानि का कारण हो सका।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि – प्रत्येक तुलन-पत्र में, प्रत्याशित जीवन पर परिलक्षित ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित साख का मूल्यांकन करता है।

प्रावधान – प्रत्येक तुलन-पत्र पर आंकड़ा आधारित प्रबंधन न्याय, तथ्यों व विधिक पक्षों में परिवर्तन, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है। तथापि, वास्तविक भावी परिणाम न्याय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व और समान सूची – कंपनी पूरा करने की पद्धति की प्रतिशतता का व्यवहार करते हुए राजस्व की पहचान करता है। इसके लिए आवश्यक है अंतर्निहित निर्माण एवं सेवा ठेका के परिणाम सहित कुल बजटीकृत लागत तैयार करने वाला पूर्वानुमान, जिसके लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर लिये गये निर्णय, दावे (क्षतिपूर्ति छूट आदि) तथा अन्य भुगतान इस सीमा तक कि वे संभव हैं तथा वे मापन में विश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। दावों हेतु अनुमान तैयार करने के उद्देश्य हेतु, कंपनी ने उपलब्ध ठेकेगत एवं ऐतिहासिक सूचना का व्यवहार किया है।

मूल्यहास / हसित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन – प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग आंकड़ों पर मूल्यहास/ हसित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के इसके अनुमान की समीक्षा करता है जो परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगिता पर आधारित है। तकनीकी और आर्थिक अडचन से संबंधित इन अनुमानों की अनिश्चितता जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ का प्रबंधन अंतर्निहित मान्यताओं यथा, मुद्रास्फीति की मानक दरें, क्षयन, छूट दर एवं भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है, इन मान्यताओं में उतार-चढ़ाव डीबीओ राशि तथा वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय में पर्याप्त रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।

उचित मूल्य मापन – प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार बोलियां उपलब्ध नहीं हैं) के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करना है, इसमें बाजार प्रतिभागी साधन की लागत कैसे लगाएंगे संबंधी सुसंगत विकासात्मक अनुमान एवं धारणा शामिल है।

7. उचित मूल्य का मापन

कतिपय कंपनी की लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरण में उचित मूल्यों का मापन, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं दोनों हेतु आवश्यक है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

उचित मूल्य निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीकों में व्यवहृत निवेशों पर आधारित उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में संवर्गीकृत किए जाते हैं।

- स्तर 1 : समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमत (असमायोजित)
- स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमत के अलावा निवेश जो परिसंपत्तियों या देयताओं, प्रत्येक (यानी मूल्य) या अप्रत्यक्ष (यथा, कीमत से व्युत्पन्न), हेतु ध्यान देने योग्य हैं।
- स्तर 3 : परिसंपत्ति या देयता हेतु निवेश जो ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न ध्यान देने योग्य निवेश

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन के समय, कंपनी जहां तक संभव हो, ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों का व्यवहार करती है। अगर निवेशकों का उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में गिरी परिसंपत्ति या देयता की उचित कीमत के मापन हेतु व्यवहार किया गया, तब उचित मूल्य मापन को निम्नतम स्तर निवेश के रूप में उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर में उसे पूरी तरह मापने के लिए संवर्गित किया जाता है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरणों की पहचान करता है जिसके दौरान परिवर्तन हुए हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. राजस्व प्रतिचिह्नित

क) निर्माण क्रियाकलापों से राजस्व निम्नानुसार प्रतिचिह्नित किये जाते हैं :

1. **लागत प्लस ठेके :** उगाही योग्य लागत के साथ अवधि के दौरान ग्राहक से प्राप्त सहमति मार्जिन के सन्दर्भ में लागत प्लस ठेका से राजस्व निर्धारित किया जाता है।
2. **नियत मूल्य ठेका :** ठेका राजस्व को ऐसे समय तक उपगत सिर्फ लागत विस्तार तक प्रतिचिह्नित किया जाता है जिससे कि कार्य का परिणाम विश्वसनीय रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है शर्त के अध्ययीन संभवतः ऐसी लागत उगाही योग्य होगी, जब ठेके का परिणाम विश्वसनीय रूप से प्राप्त किया जाता है तो ठेका राजस्व पूर्णकारक पद्धति की प्रतिशतता व्यवहार करते हुए, ठेका जोड़ समानुपातिक सीमांत पर किये गये कार्य की लागत प्रतिचिह्नित करता है। पूर्ण होने की प्रतिशतता कुल अनुमानित लागत में तिथि तक किये गये कार्य की लागत की प्रतिशतता होती है। ठेके का अनुमानित परिणाम तभी विश्वसनीय विचारित होता है जब निम्नलिखित पूरी शर्तें पूरी हों :
 - I. राजस्व राशि विश्वसनीय ढंग से निरूपित हों,
 - II. यह संभव है कि ठेके के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी तक प्रवाहित हो,
 - III. रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक ठेका पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय ढंग से निरूपित किया जा सकता हो,
 - IV. ठेके के संबंध में उपगत लागत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय ढंग से निरूपित की जा सकती हो।
 ठेके पर, अगर कोई, अपेक्षित हानि की पहचान अवधि में व्यय के रूप में की जाती है जिसमें यह ठेका पूर्णता चरण के बावजूद अनुमान किया जाता हो।
3. भारतीय लेखांकन मानक 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” के अनुसार राजस्व निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो “ओवर टाइम” पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब अलग-अलग अनुबंधों के परिणामों का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो रिपोर्टिंग तिथि पर पूरा होने के चरण के संदर्भ में संविदा राजस्व और अनुबंध लागत को क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में पहचाना जाता है। खर्च को लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत का रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

उन ठेकों के लिए जहां ठेका लागत का कुल निधि से अधिक प्रतिचिह्नित मुनाफा (या कम मान्यता प्राप्त हानियां जैसी स्थिति हो) क्रमिक बिलिंग से अधिक है, अधिशेष ग्राहकों से देय दर्शाया गया है। ऐसे ठेकों हेतु जहां क्रमिक बिलिंग अद्यतित जोड़ अधिक मान्यता प्राप्त लाभ (या कम मान्यता प्राप्त हानियां जैसी स्थिति हो), अधिशेष ग्राहकों को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है। संबंधित कार्य किये जाने के पूर्व प्राप्त राशि प्राप्त अग्रिम के प्रति एक देयता के रूप में तुलन-पत्र प्रकट किया गया है।

ग्राहकों द्वारा पारित प्रतिधारण राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया गया है तथा जब यह भुगतान हेतु देय हो जाती है तो व्यापार किया गया है तथा जब यह भुगतान हेतु देय हो जाती है तो व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख) **माल की बिक्री** : माल की बिक्री से राजस्व को प्रतिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार को क्रेता को स्थानांतरित कर दिया है, यह अब बेचे गये माल पर नियंत्रण बनाये नहीं रख सकता है, यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे तथा लेन-देन के संबंध में उपगत लागत या उपगत होनेवाली लागत विश्वसनीय रूप में निरूपित की जा सकती है।

ग) **सेवा प्रदान** : सेवा प्रदान से राजस्व प्रतिचिह्नित किया जाता है जब लेन-देन का परिणाम लेन-देन के संपूर्ण चरण के संदर्भ द्वारा विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है। लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें संतुष्ट करती हों :

1. राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप में मापी जा सकती है,
2. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे,
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन संपूर्ण चरण विश्वसनीय रूप से मापे जा सकते हैं, तथा
4. लेन-देन के संबंध में उपगत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

संपूर्ण चरण लेन-देन की अनुमानित कुल लागत के लिए आज तक उपगत वास्तविक लागत के समानुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है, गैर बिलकृत राजस्व ठेका शर्तों के अनुरूप की गयी सेवा लेकिन विकृत नहीं के मूल्य को दर्शाती है।

घ) **ब्याज आय** : वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय की पहचान की जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित हो तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। ब्याज आय मूल बकाया संदर्भ तथा प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर द्वारा, समय समानुपात के आधार पर प्रोद्भूत किया जाता है, यह वह दर है जो प्रारंभिक पहचान पर परिसंपत्तियों की निवल वाहक राशि को वित्तीय परिसंपत्तियों के, प्रत्याशित जीवन के माध्यम अनुमानित भावी नकद परिसंपत्तियों को वास्तव में कम करता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ड) लाभांश आय : लाभांश आय की पहचान तभी की जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

2 पट्टे

पट्टों का हिसाब भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का संपत्ति के उपयोग का अधिकार के रूप में किया जाता है और पट्टे पर सदृश देयता को पट्टा शुरू होने की तारीख पर लेखांकन किया जाता है।

प्रारंभ में संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, इसके अलावा किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति का विखण्डित करने और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस पर वह किसी भी पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन से कम स्थित है।

शुरू में पट्टे देयता को पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके रियायत दी जाती है। यह फिर मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में बदलाव, या खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है। जब पट्टे देयता के इस तरह से मापा जाता है, तो परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि शून्य कर दी गई है तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

लागत मॉडल के प्रयोग करके संपत्ति के उपयोग का अधिकार मापा जाता है यानी लागत पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार में से मूल्यहास और संचयी हानि घटाकर किया जाता है। सीधी-रेखा विधि के प्रयोग से सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यहास पट्टे की प्रारंभ की तारीख से पट्टे की समाप्त अवधि तक या अंतर्निहित परिसम्पत्ति की उपयोग की अवधि जो भी पहले हो, निकाला जाता है। पट्टे की देयता की वहन राशि पट्टे की देयता पर ब्याज द्वारा वृद्धि होती है और पट्टे की भुगतान से कम होती है।

निम्नलिखित पट्टों के साथ जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचान की जाती है : (i) कम मूल्य के पट्टे, और (ii) पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित स्वामित्व के लिए सभी आनुषंगिक जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। शुरूआत में वित्त पट्टे के अधीन रखी सम्पत्तियां तुलन-पत्र में पहचान की जाती है और और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के तौर पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय की पहचान की जाती है, यह एक पैटर्न के आधार पर होता है जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाता है। पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो वह एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी प्रचालन पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों के मामले में सीधी रेखा आधार पर पट्टे से प्राप्तियों को आय के रूप में मानती है। कंपनी संपत्ति से संबंधित वर्ग के तहत अपनी तुलन-पत्र में परिचालन पट्टे के साथ अंतर्निहित परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3 विदेशी मुद्रा :

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को कार्यकारी मुद्रा विदेशी मुद्रा के अलावा मुद्रा में लेनदेन, लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित मुद्रा दरों पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मर्दों को उस तारीख पर प्रचलित दरों पर पुनर्अनुवादित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मद जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में किया जाता है का पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मर्दों पर विनिमय अंतर उस अवधि में लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं, जिनमें वे उत्पन्न होते हैं।

4. उधारी लागत :

विशिष्ट उधारी लागत जो अर्हा परिसंपत्ति के उत्पादन या अधिग्रहण, निर्माण में आरोप्य है, ऐसी संपत्ति की लागत के रूप में पंजीकृत किये जाते हैं। ऐसे समय तक परिसंपत्ति अपने इच्छित व्यवहार हेतु तैयार रहती है। एक अर्हा संपन्न परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है, जो इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने में एक पर्याप्त आवधिक समय आवश्यक रूप से लेती हैं। सभी अन्य उधारी लागत एक अवधि में एक व्यय के रूप में प्रतिचिह्नित होते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं।

उधारी लागत में ब्याज व्यय, छूट में कमी धन उधार लेने के संबंध में होने वाली सहायक लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतर को ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5 आयकर :

आयकर व्यय चालू और आस्थगित कर मिलकर बनता है। आयकर व्यय इक्विटी में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिचिह्नित मर्दों से संबंधित है के विस्तार को छोड़कर आयकर विवरण में प्रतिचिह्नित है, जिसमें मामला इक्विटी में प्रतिचिह्नित है।

चालू कर

चालू कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर अपेक्षित है, रिपोर्टिंग तिथि पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित या अधिनियमित कर दरों का व्यवहार कर तथा विगत वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन।

आस्थगित कर

आस्थगित कर तुलन-पत्र पद्धति का व्यवहार कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं की संवाहक राशि तथा करायान उद्देश्यों हेतु व्यहृत राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रावधानित कर प्रतिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर निम्नलिखित अस्थायी अंतरों हेतु प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है : लेनदेन में परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक प्रतिचिह्नित जो एक व्यापार जो एक व्यापार संयोजन नहीं है और वह न तो लेखांकन न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में निवेश से संबंधित अंतर एक विस्तार तक कि यह संभव है कि वे निकट भविष्य और सदइच्छा की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न कर योग्य अस्थायी अंतरों में विपरीत नहीं होंगे। आस्थगित कर उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें, अस्थायी अंतरों पर लागू किया जाता है, जो कि कानूनों के आधार पर लागू किये गये या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये कानूनों के आधार पर होते हैं। आस्थगित कर और देयताएं ऑफसेट हैं अगर वहां ऑफसेट चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों पर विधिक प्रवर्तन योग्य अधिकार हो, और वे उसी कर योग्य इकाई या भिन्न कर इकाइयों पर उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाये गये आयकरों से संबंधित हो, लेकिन वे निवल आधार पर चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों के समाधान की इच्छा रखते हों या उनकी कर परिसंपत्तियां और देयताएं साथ-साथ उगाही जाएंगी।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

एक आस्थगित कर संपत्ति इस हद तक मान्यता प्राप्त करता है कि यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ उगाहा जाएगा।

6 प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने सामान्य शेयरों के लिए मूल और कम अर्जन प्रति शेयर (“ईपीएस”) प्रस्तुत करता है। प्रति शेयर बुनियादी शेयर वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा अवधि हेतु इक्विटी शेयर धारकों को अधिरोप्य निवल लाभ को विभाजित कर परिगणित किया जाता है।

प्रति शेयर कम अर्जन कम संभावित इक्विटी शेयरों के संबंध में वर्ष हेतु इक्विटी शेयर धारकों पर अधिरोप्य निवल लाभ विभाजित कर, प्रति शेयर बुनियादी अर्जन प्राप्त हेतु विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा संगणित किया जाता है जो सभी कम संभाव्यता इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था। संभावित इक्विटी शेयर तभी कमजोर माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण के प्रति शेयर निवल लाभ हो जाएगा।

7 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

पीपीई की प्रारंभिक लागत में इसकी क्रय कीमत, आयात शुल्क व गैर-वापसी योग्य क्रय कर सहित, तथा एक संपत्ति को चालू स्थिति व अवस्थान में लाने, इसके इच्छित उपयोग हेतु, लाने की किसी प्रत्यक्ष अधिरोपित लागत प्रासंगिक उधारी लागत तथा बंद करने की किसी प्रत्याशित लागत समेत न्यून संचित ह्रास हानि, अगर कोई, शामिल है। पीपीई के बाद उपगत व्यय को प्रचालन व्यय को प्रचालन में रखे गये हैं, जैसा कि मरम्मत और अनुरक्षण की अवधि जिसमें लागत उपगत किये जाते हैं, में लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किये जाते हैं।

पीपीई मद का अगर कोई हिस्सा अलग उपयोगी जीवन का है तब उसे पीपीई के अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

सामग्री मदें, यथा, अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंडबाई उपस्कर तथा सेवा उपकरण को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं जब वे भारतीय लेखांकन मानक 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में यथा विनिर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हों।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय में (अर्हा प्राप्त पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण हेतु उधारकृत निधियों से संबंधित वित्तीय लागत समेत) पूंजीगत कार्य प्रगति के अधीन शामिल है, तथा उसे उनके निर्माण के पूरा हो जाने पर संबंधित पीपीई में आबंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पीपीई बकाया अधिग्रहण या निर्माण बाबत दिये गये अग्रिम को ‘अन्य प्रचलित परिसंपत्ति’ के अधीन पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रकट किया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7.2 मूल्यहास

मूल्यहास उपयोगी जीवन पर पीपीई की मूल्यहास योग्य राशि के क्रमबद्ध आबंटन है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-II में यथा विनिर्धारित उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान है।

पीपीई हेतु मूल्यहास योग्य राशि पीपीई की लागत है जो अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को कम करती है। पीपीई का उपयोगी जीवन एक अवधि है जिस पर कंपनी, या उत्पादन संख्या या समरूप इकाइयों, कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त की आशा, द्वारा व्यवहार हेतु उपलब्ध होने की आशा है।

अतिरिक्त पर मूल्यहास स्थापना या अधिग्रहण के माह से समानुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। कटौती/निस्तारण पर मूल्यहास कटौती/निस्तारण की तिथि तक समानुपातिक आधार पर प्रावधानित किया जाता है।

निस्तारण पर लाभ और हानि धारण राशि सहित प्राप्ति को तुलना करते हुए निर्धारित किये जाते हैं। लाभ व हानि के विवरण में यह शामिल है।

8 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियां न्यून संचित परिशोधन तथा हास लागत पर उल्लिखित किये जाते हैं। अमूर्त परिसंपत्तियां जिस तिथि से व्यवहार के लिए उपलब्ध हैं की तिथि से सीधी-रेखा आधार पर उनके संबंधित अनुमानित व्यवहार पर परिशोधित की जाती हैं।

परिशोधन

एक अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कतिपय घटकों, प्रचलन प्रभाव, मांग, संपूर्ण और अन्य आर्थिक घटक (यथा- उद्योग का स्थायित्व व ज्ञात तकनीक अग्रिम) तथा परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्ययों के स्तर पर आधारित होता है।

कंपनी 3 वर्षों की अवधि से सीधी-रेखा पद्धति का व्यवहार करते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन करता है।

9 सामान-सूची

सामान-सूची अप्रचलन हेतु प्रावधानित करने के बाद मूल्यांकित की जाती है, जो निम्नानुसार है :

(i) निवल वसूली योग्य कीमत या भारित औसत लागत के निम्नतर पर कच्चा सामान, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे व खुले यंत्र। तथापि, इन मदों को लागत पर उगाही के विचार किये जाते हैं, अगर तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें व्यवहार किया जाएगा उसी या अधिक लागत पर बेचे जाने की आशा की जाती है।

(ii) विशेष रूप से पहचानी जाने योग्य लागत या निवल वसूली योग्य कीमत निम्नतर पर निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में संपूरित संपत्ति/कार्य प्रगति पर।

निवल वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है तथा जब परिसंपत्तियों ने पहले नीचे हासित सामान सूची बनाई थी अब मौजूद नहीं है या जब वहां परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवल वसूलीयोग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य है, विगत अवधि में, यदि कोई हो, हासित मूल राशि को एक विस्तार तक पुनरीक्षित कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप धारित राशि लागत तथा पुनरीक्षित निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कमतर है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

10 नकद और नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद समतुल्य बैंक, हाथ में नकद तथा बैंक में लघु-अवधि जमा राशियों से मिलकर निर्मित जो तत्काल नकद में परिवर्तनीय जो मूल्य में परिवर्तन कम जोखिम के अधीन है और लघुकालिक नकद वचनबद्धता के उद्देश्य से रखा जाता है।

11 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह का विवरण प्रचालन, निवेश और वित्तीय क्रियाकलापों में नकद प्रवाह को अलग कर तैयार किया जाता है। प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह को निम्नलिखित प्रभाव हेतु अपवाद वाले मदों को छोड़कर कर के पूर्व लाभ समायोजित कर और अप्रत्यक्ष पद्धति का व्यवहार कर प्रतिवेदित किया जाता है :

- गैर-नकद प्रकृति के भुगतेय लेनदेन एवं प्राप्य प्रचालन और समान सूची में अवधि के दौरान परिवर्तन
- गैर-नकद मद, यथा : मूल्यहास, प्रावधान, बिला उगाही वाली विदेशी मुद्रा लाभ व हानि, तथा
- अन्य सभी मद जिसके लिए नकदी प्रभाव का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकद प्रवाह के विवरण में दर्शित नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मदों से अलग रखा गया है जो तुलन-पत्र की तिथि को आम व्यवहार हेतु उपलब्ध नहीं है।

12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान वहीं प्रतिचिह्नित होता है जहां पर यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा तथा सभी संलग्न शर्तें पूरी की जाएंगी।

जहां कंपनी गैर-नकदी अनुदान प्राप्त करती है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य पर गिने जाते हैं तथा परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन में लाभ और हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है।

13 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का हास

कंपनी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों, सामानसूची और आस्थगित कर संपत्तियोंकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है वह पता करने के लिए कि वहां क्या कोई हास की सूचना है। अगर इस तरह की कोई सूचना है तो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि का आकलन किया जाता है। परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि य नकदी निर्माण इकाई (जैसा नीचे परिभाषित है) उपयोग में अपने मूल्य से बड़ी है तथा इसका उचित मूल्य विक्रय से कम लागत का है। उपयोग में मूल्य निर्धारण अनुमानित भावी नकद प्रवाह एक पूर्व कर छूट का व्यवहार करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो समय मूल्य राशि के चालू बाजार आकलन को तथा परिसंपत्ति या नकदी निर्माण इकाई को प्रतिदर्शित कराता है। हास परीक्षण के उद्देश्य हेतु, परिसंपत्तियों को परिसंपत्तिशर्तों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकद प्रवाह उत्पन्न करता है जो परिसंपत्तियों (नकदी उत्पादन इकाई) के समूह या अन्य परिसंपत्तियों के नकद प्रभाव से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

हासित हानि को आय विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है अगर इसकी नकदी-उत्पादन इकाई या परिसंपत्ति की अनुमानित वसूलीयोग्य राशि इसकी धारणीय राशि की तुलना में कमतर हो पूर्व अवधियों में प्रतिचिह्नित हासित हानियां किसी सूचना हेतु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में इसलिए मूल्यांकित की जाती हैं कि हानियां कम हो गयी हैं या अब अस्तित्व में नहीं हैं। एक हासित हानि को तभी पुनरीक्षित किया जाता है अगर वसूलीयोग्य राशि को निर्धारित करने के लिए व्यहृत अनुमानों में परिवर्तन हुआ है। एक हासित हानि को एक विस्तार तक तभी उलटा जाता है जबकि परिसंपत्ति धारणीय राशि को अतिक्रम न करें जो कि निर्धारित किया गया होगा, मूल्यहास या हासित का निवल, अगर कोई हासित हानि प्रतिचिह्नित नहीं की गयी थी। सदृच्छा जो एक एसोसिएट में

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

निवेश की धारणीय राशि का हिस्सा पैदा करती है को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है एवं अतएवं अलग से हास हेतु परीक्षण नहीं किया जाता है। इसके बजाय, एक एसोसिएट में निवेश की समग्र राशि एक एकल संपत्ति के रूप में हास हेतु परीक्षण किया जाता है, जबकि वहां एक वस्तुनिष्ठ या साक्ष्य हो कि एक एसोसिएट में निवेश हासित किया जा सके। इक्विटी लेखित निवेशी के संबंध में हास इसकी धारणीय राशि में निवेश की वसूलीयोग्य राशि की तुलना कर पहचानी जाती है। एक हासित आय विवरण में प्रतिचिह्नित की जाती है, तथा उलट दी जाती है अगर वसूलीयोग्य राशि निर्धारित करने के लिए व्यवहृत अनुमान में अनुकूल परिवर्तन किया गया है।

14 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च किया जाता है जैसे ही संबंधित सेवा प्रावधानित की जाती है। देयता को प्रदान की जाने वाली अपेक्षित राशि हेतु प्रतिचिह्नित की जाती है अगर कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रावधानित विगत सेवा के परिणाम स्वरूप इस राशि को भुगतान करने के लिए विद्यमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो तथा दायित्व को विश्वसनीय ढंग से अनुमानित किया जा सकता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

अवदान योजनाओं को परिभाषित करने के लिए कंपनी अवदान को आय विवरण में, जैसा और जब कर्मचारी से सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं, प्रभारित की जाती हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य पश्च-नियोजन लाभों के संबंध में देयता को अर्हित बीमांकिकों के मशविरो के साथ संगत प्रेक्षेपित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित किया जाता है। परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उच्च गुणवत्ता नैगम बंधपत्रों की ब्याज राशि का उपयोग कर अनुमानित भावी नकदी बर्हिप्रभाव को छूट देकर निर्धारित की जाती है जो मुद्रा में अंकित है जिसमें लाभों का भुगतान किया जाएगा और जहां संबंधित परिभाषित बाध्यता की शर्तों पर परिपक्वता होगी। ऐसे देशों में जहां ऐसे बंधपत्रों में कोई गहरा बाजार नहीं है, सरकारी बंधपत्रों पर बाजार दर का उपयोग किया जाता है।

कर्मचारी लाभ व्यय में आय विवरण में प्रतिचिह्नित परिभाषित लाभ योजना की चालू सेवा लागत चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ प्रभार, कटौती व समायोजन से उत्पन्न परिभाषित लाभ बाध्यता को प्रदर्शित करता है। विगत सेवा लागत आय में तत्काल प्रतिचिह्नित की जाती है। निवल ब्याज लागत को योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के निवल शेष में छूट दर का उपयोग कर परिकलित किया जाता है। इस लागत को आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है। बीमांक धारणाओं में परिवर्तन तथा अनुमान समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानियों को जिस अवधि में वे उत्पन्न हुए हैं में अन्य व्यापक आय में इक्विटी में प्रभारित या जमा किया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, आहरण की बिना यथार्थवादी संभावना के, या तो सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व नियोजन समाप्त करने की एक औपचारिक विस्तृत योजना के लिए या स्वैच्छिक बारम्बारता प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप समाप्ति लाभ प्रावधानित करने के लिए एक निदर्शन रूप में समर्पित है। स्वैच्छिक बारम्बारता हेतु समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अगर कंपनी ने स्वैच्छिक बारम्बारता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव की है, तो यह संभव है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, तथा स्वीकृतियों की संख्या को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का निवल बाध्यता भावी लाभ की राशि है जिसे कर्मचारी ने चालू और पूर्व अवधि में अपनी सेवा हेतु अर्जित की है। उस लाभ को इसके अपने वर्तमान मूल्य में निर्धारण के लिए छूट दी जाती है।

15 प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है अगर, एक विगत घटना के परिणाम स्वरूप, कंपनी के पास विद्यमान विधिक या निर्माणात्मक बाध्यता हो जिसे विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सके, और या संभव है कि आर्थिक लाभ का एक बर्हिप्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी बाध्यता को निपटाने के लिए। अगर मुद्रा की समय लागत का प्रभाव सामग्री है, तो प्रावधान पूर्व-कर पर प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह में छूट देते हुए निर्धारित किये जाते हैं जो विशेषकर देयता पर जोखिम तथा मुद्रा समय मूल्य का चालू बाजार आकलन को प्रदर्शित करता है। जहां छूट का व्यवहार किया जाता है, वहां समय के कारण प्रावधान में वृद्धि को एक वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16 आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण बनाया जाता है जब एक संभाव्य बाध्यता या विद्यमान बाध्यता हो जिसे, लेकिन संभवतः नहीं होगा, संसाधन बर्हिप्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, जब एक संभाव्य बाध्यता या एक वर्तमान बाध्यता हो जिसके संबंध में संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना दूरस्थ हो, तब कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं बनाया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक संपत्ति का आकलन निरंतर किया जाता है और अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्प्रवाह पैदा होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उसमें मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिवर्तन होता है।

17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्ति और / या वित्तीय देयताएँ प्रतिचिह्नित की जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय उपकरण को सन्निविष्ट करते हुए ठेके की पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, वित्तीय देयताएं तथा वित्तीय गारंटी ठेकों को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन मूल्यों पर मापित किया जाता है जहां इस प्रकार के मूल्य उचित मूल्य से, उचित मूल्य पर हों। लेनदेन लागत जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति मद और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, के अन्यथा) पर अधिरोप्य होते हैं को ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं के उचित मूल्य द्वारा, प्रारंभिक मान्यता पर, जैसी स्थिति हो, जोड़ी या काटी जाती है। जो लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

देयताओं के अधिग्रहण पर लेनदेन लागत सीधे अधिरोपित होती है, उन्हें तत्काल लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित होती है।

ब्याज मुक्त या छूट ऋणों और अधिमान्य शेयरों के रूप में सहायक कंपनियों के रूप में वित्त पोषण के मामले में, प्रारंभिक तौर पर मापित उचित मूल्य पर वित्त पोषण की वास्तविक के आधिक्य को एक इक्विटी निवेश के रूप में गिना जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता अॉफसेट है तथा तुलन-पत्र में निवल आधार पर प्रदर्शित किये जाते हैं जब वहां प्रतिचिह्नित राशियों को अॉफसेट करने के लिए चालू विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होता तथा यह या तो निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति की वसूली और साथ-साथ देयताओं को समायोजित करने के लिए आशायित होता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां :

क सभी मान्यताप्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां पर्याप्त रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर उचित मूल्य पर या हासित लागत पर समग्र रूप से मापित की जाती है जो निम्नानुसार है :

1. ऋण उपकरणों में निवेश जो लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित किये जाते हैं – उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं पर्याप्त रूप से मापित किये जाते हैं – हासित मूल्य पर (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो):
 - परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाहों में संग्रहण करने के क्रम में परिसंपत्तियों को रखा जाता है, और
 - उपकरण की ठेकागत शर्तें प्रवाहों को विशिष्ट तिथि पर उत्थान प्रदान करते हैं जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है।
3. ऋण यंत्र में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं उनका अन्य व्यापक आय के माध्यम उचित मूल्य पर साथ-साथ मापे जाते हैं (एफवीटीपीएल) (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)
 - परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाह का संग्रहण और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय कर दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
 - यंत्र की ठेकागत शर्तें नकदी प्रवाहों में विशिष्ट तिथियों पर उत्थापन प्रदान करता है जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है, .
4. एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्र, ऋण यंत्रों हेतु एक अपशिष्ट संवर्ग है, अगर कोई, तथा सभी परिवर्तन लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित होते हैं।
5. सहायक कंपनी एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी यंत्र में निवेश कम हास लागत पर मापे जाते हैं।
6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश इक्विटी यंत्र के रूप में व्यवहार किये जाते हैं अगर वे ऐसे निवेशों के प्रतिदान के उद्देश्य हेतु जारी इक्विटी शेयर यंत्रों की प्राप्ति या प्रतिदान योग्य होती हैं या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होती है। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्रों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।
7. इक्विटी यंत्रों में निवेश एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किये जाते हैं जब तक कि संबंधित यंत्र व्यापक आय में उचित मूल्य में तदन्तर परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर कंपनी अपिपरिवर्तनीय रूप से नहीं चुनती है तथा व्यापार के लिए धारित नहीं करती।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ख. वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु जो एफवीटीओसीआई पर मापी जाती है, ब्याज और लाभांश के द्वारा आय, हास हेतु प्रावधान और परिवर्तन अंतर, अगर कोई हो (ऋण यंत्र पर) लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं तथा उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय लेखे पर अन्यथा) अन्य व्यापक आय तथा अन्य इक्विटी में संचित में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। एफवीटीओसीआई पर ऋण यंत्रों के निस्तारण पर, अन्य इक्विटी में पहले संचित लाभ या हानि को लाभ है या हानि में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी यंत्रों के मामले में, ऐसे संचित लाभ या हानि को निवेशों के निस्तारण पर लाभ हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ग. एक वित्तीय संपत्ति बुनियादी तौर पर गैर मान्यता प्राप्त समझी जाती है जब :

1. परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो गया हो, या
2. कंपनी ने व्यवस्था से गुजरते हुए, के अधीन तृतीय पहल को बिना सामग्री विलम्ब के पूर्ण रूप में प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के लिए बाध्यता धारण की है या परिसंपत्ति में से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार स्थानान्तरित किये; हों तथा

क) कंपनी में परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से स्थानान्तरित कर दिये हैं ; या

ख) कंपनी में परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से न तो स्थानान्तरित न ही पास रखे हैं, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानान्तरित कर दिया है, अपनी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति की गैर मान्यता पर मान्यता प्राप्त होने की तिथि पर मापित धारणीय राशि तथा प्राप्त विचार को लाभ या हानि में विचार किया जाता है।

घ) वित्तीय संपत्तियों का हास : कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि नमूने का व्यवहार कर प्राप्य व्यापार पर हास हानि प्रतिचिह्नित करता है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन यथा अनुज्ञा प्राप्त ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर निर्मित एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर हास हानि प्रतिचिह्नित की जाती है जब धारणीय राशि की वसूली योग्य राशि का पार कर जाती है।

(ii) वित्तीय देयताएं :

क. वित्तीय देयताएं, व्युत्पन्न जडित व्युत्पन्न समेत, जो एफवीटीपीएल पर मापन हेतु पदनामित किये जाते हैं जो पर्याप्त रूप से उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। वित्तीय गारंटी ठेके पर्याप्त रूप से हास हानि भत्ता की राशि या संचयी क्रमिक अपाकरण के प्रारंभिक निवल पर प्रतिचिह्नित राशि पर मापे जाते हैं, जो भी उच्चतर हो। ऋण और उधारों सहित सभी वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए क्रमिक अपाकरण लागत पर मापे जाते हैं।

ख. एक वित्तीय देयता को गैर-मान्यता प्राप्त किया जाता है जब संबंधित बाध्यता समाप्त हो जाती है या प्रभारित या निरस्त की जाती है।

18 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान लाभांश अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तित रूप में चिह्नित किये जाते हैं जिसमें वे क्रम से शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19 सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां

सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां पूर्व अवधियों हेतु तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लेखन द्वारा पूर्वव्यापी रूप में संशोधित की जाती है जिसमें त्रुटि घटित होती है। अगर त्रुटि प्रदर्शित पूर्व अवधि के पहले घटित हुई तो प्रदर्शन पूर्व अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के अथशेष पुन उल्लिखित किये जाते हैं।

20 परिचालन खंड

भारतीय लेखा प्रणाली 108 के अनुरूप, विद्यमान खंड सूचना के लिए व्यवहृत परिचालन खंड, खंडों में संसाधन आवंटन के लिए एवं उनके कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा व्यवहृत आंतरिक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन प्रणाली के अर्थ के अंतर्गत कंपनी संयुक्त रूप से, के 'मुख्य परिचालनकर्ता' या 'सीओडीएम' हैं। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु व्यवहृत सूचक स्थल पर रखे गये कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकता है।

खंडों के परिणाम जो सीओडीएम को प्रतिवेदित किये जाते हैं, में खंड को सीधे अधिरोप्य मद तथा जिन्हें तर्कसंगत आधार पर आबंटित किया जा सकता है, शामिल है। गैर-आबंटित मद मुख्य रूप से नैगम व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय में मिलकर बनते हैं।

खंड में सीधे अधिरोप्य राजस्व खण्ड राजस्व के रूप में विचारित होता है। खंडों में सीधी अधिरोप्य तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित आम व्ययों को खंड व्ययों के रूप में विचार किये जाते हैं।

खंड वित्त व्यय संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, तथा सदृच्छा के अलावा अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण करने की अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य प्राप्य सामान सूची व अन्य परिसंपत्तियों से मिलकर गठित खंड परिसंपत्तियां सीधे या तर्कसंगत ढंग से खंडों में आबंटित की जा सकती है। वर्ष हेतु रिपोर्टिंग खंड के उद्देश्य हेतु, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संबंधित खंडों में अधिरोप्य परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के व्यवहार के विस्तार पर आधारित खंडों को आबंटित किया जाता है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर कार्यचालक पूंजी, पूंजी अग्रिम, नैगम परिसंपत्तियां तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं उन्हें यथोचित रूप में खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में खंड से संबंधित सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं तथा मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ एवं प्रावधान मिलकर हैं। खंड देयताओं में, इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण व उधारी तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान शामिल नहीं हैं, जिन्हें खंडों में तर्कसंगत ढंग से आबंटित नहीं किया सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

2 (सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	जलयान (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फर्निचर एवं फिक्चर्स	वाहन	कुल
लागत या डीमंड लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2019 को	132.63	1,936.25	2.32	70.88	92.38	3.72	2,238.16
संयोजन	-	25.01	-	3.80	0.26	-	29.07
न्यून : निपटान / समायोजन	-	(13.23)	-	-	(32.75)	-	(45.99)
31 मार्च, 2020 को	132.63	1,948.03	2.32	74.68	59.88	3.72	2,221.25
	132.63	1,948.03	2.32	74.68	59.88	3.72	2,221.25
संयोजन	-	57.21	-	4.25	7.85	-	69.31
न्यून : निपटान / समायोजन	-	-	-	-	(0.28)	-	(0.28)
31 मार्च, 2021 को	132.63	2,005.23	2.32	78.93	67.44	3.72	2,290.28
संचित मूल्यहास							
31 मार्च, 2019 को	65.58	1,442.17	2.29	57.31	78.79	3.67	1,649.82
संयोजन	6.95	96.90	-	9.19	4.74	0.00	117.78
न्यून : निपटान / समायोजन	-	(5.25)	-	-	(31.75)	-	(37.01)
31 मार्च, 2020 को	72.53	1,533.82	2.29	66.50	51.77	3.67	1,730.60
	72.53	1,533.82	2.29	66.50	51.77	3.67	1,730.60
संयोजन	6.23	74.12	-	5.45	3.27	0.00	89.07
न्यून : निपटान / समायोजन	-	-	-	-	(0.22)	-	(0.22)
31 मार्च, 2021 को	78.76	1,607.94	2.29	71.95	54.83	3.67	1,819.45
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च, 2021 को	53.87	397.30	0.02	6.98	12.61	0.04	470.83
31 मार्च, 2020 को	60.10	414.21	0.02	8.18	8.11	0.05	490.65

द्रष्टव्य :

(क) कंपनी द्वारा जमानत के रूप में गिरवी रखे सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की जानकारी के लिए द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

(ख) भवन में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से लाइसेंस करारनामों के अंतर्गत सर्कुलर गार्डन रीच कोलकाता की भूमि पर स्थायी ढांचे के बारे में 131.46 लाख रुपये (विगत वर्ष का 131.46 लाख रुपये) शामिल है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
विचारित लागत (सकल वहन राशि)	
31 मार्च, 2019 को	21.02
संयोजन	3.60
31 मार्च, 2020 को	24.62
	24.62
संयोजन	2.92
31 मार्च, 2021 को	27.54
संचित परिशोधन	
31 मार्च, 2019 को	11.80
वर्ष का प्रभार	5.10
31 मार्च, 2020 को	16.90
	16.90
वर्ष का प्रभार	4.30
31 मार्च, 2021 को	21.20
निवल बुक मूल्य	
31 मार्च, 2021 को	6.34
31 मार्च, 2020 को	7.72

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)
4. निवेश

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर-वर्तमान निवेश		
(क) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		
(अ) सहायक कंपनियों (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)		
भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	486.30	486.30
रु. 1000/- प्रत्येक की पूर्णतः चुकता 48,600 इक्विटी शेयर		
(आ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां		
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	0.30	0.30
रु. 100/- प्रत्येक की पूर्णतः चुकता 300 इक्विटी शेयर		
(इ) अन्य कंपनियां		
लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	42.20	42.20
रु. 10/- प्रत्येक की पूर्णतः चुकता 4,22,000 इक्विटी शेयर		
लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित)	2,558.01	2,558.01
रु. 10/- प्रत्येक की पूर्णतः चुकता 2,55,80,122 इक्विटी शेयर		
(ख) ऋणपत्रों या बॉण्ड में निवेश		
(अनुद्धृत, परिशोधित लागत पर मूल्यांकित)		
ईस्ट इण्डिया क्लिनीक लि. की 5% अप्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक	0.16	0.16
99 सं.आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉण्ड - 2026	75.07	71.26
कुल निवेश	3,162.05	3,158.24
निम्नलिखित का समष्टि बही मूल्य :		
- उद्धृत निवेश	2,558.01	2,558.01
- अनुद्धृत निवेश	604.04	600.23
उद्धृत निवेशों का समष्टि बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं

इक्विटी दस्तावेजों की लागत उचित मूल्य के उपयुक्त आकलन के तौर पर माना गया है क्योंकि संभावित उचित मूल्य का विस्तृत क्षेत्र और लागत उसी श्रेणी के अंदर उचित मूल्य का श्रेष्ठ अनुमान बताता है।

* भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) एवं जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड समापन के अधीन है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 व्यापार से प्राप्य (अनुद्धृत) :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर-वर्तमान		
शोध्य माना गया – दीर्घावधि व्यापार से प्राप्य	1,108.42	38.98
न्यून : संदिग्ध माने गए प्राप्य हेतु छूट	(1,108.42)	(38.98)
	<u>-</u>	<u>-</u>
वर्तमान		
शोध्य माना गया	1,955.46	4,099.01
संदिग्ध माना गया	-	778.83
	<u>1,955.46</u>	<u>4,877.84</u>
न्यून : संदिग्ध माने गए प्राप्य हेतु छूट	(653.74)	(1,612.81)
कुल व्यापार से प्राप्य	<u>1,301.72</u>	<u>3,265.03</u>

अ) कंपनी द्वारा जमानत के तौर पर गिरवी के रूप में रखे व्यापार प्राप्तियों की जानकारी के लिए नोट 15 देखें।

6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर-वर्तमान		
तुलन-पत्र की तिथि से अगर बैंक जमा एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली है *	-	1,983.30
अन्यान्य		
बयाना धन एवं अन्य जमा	3,203.87	3,530.75
न्यून : संदिग्ध कर्ज हेतु छूट	(53.15)	(53.15)
	<u>3,150.72</u>	<u>5,460.90</u>
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनियों एवं अन्य को दिए उधार – भारत सरकार का प्राप्य	6,796.31	6,796.31
अन्य अग्रिमों	1,839.27	3,081.18
ब्याज प्राप्य / उपचित		
सहायक कंपनियों को दिए ऋणों पर	34,006.55	34,006.55
निवेश, जमा एवं मियादी जमा पर ब्याज उपचित	404.19	300.67
अन्यान्य		
बयाना धन एवं अन्य जमा	1,982.06	1,150.77
न्यून : संदिग्ध कर्ज हेतु छूट	-	-
	<u>1,982.06</u>	<u>1,150.77</u>
अन्यान्य प्राप्य	<u>36.64</u>	<u>42.92</u>
	<u>45,065.03</u>	<u>45,378.40</u>

*बैंक के पक्ष में- रु. शून्य (विगत वर्ष – रु.19.83लाख) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 शुद्ध, आस्थगित कर परिसंपत्तियां :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित जमा हानि	526.44	443.29
- कर्मचारी हित के लिये प्रावधान	147.16	129.64
कुल	673.60	572.93
आस्थगित कर देयताएं		
- मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों	(2.04)	(5.38)
- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	(5.13)	(4.75)
शुद्ध, आस्थगित कर परिसंपत्तियां	666.44	562.80

8 मालसूचियां :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कच्चे माल	927.15	836.27
भंडारण, यंत्रांग एवं संघटकों (शुद्ध)	2.78	2.78
फुटकर औजार	13.97	16.41
प्रगतिधीन कार्य	3,450.14	4,537.22
कुल मालसूचियां	4,394.04	5,392.68

अ) कंपनी द्वारा जमानत के तौर पर गिरवी के रूप में रखे मालसूचियों की जानकारी के लिए नोट 15 देखें।

9 नकद एवं नकद तुल्यमान :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंक में शेष		
- चालू खाते में	152.36	1,498.94
- तीन माह से कम मूल परिपक्वता वाली जमा खाते में *	4,073.73	2,508.21
नकद हाथ में	2.74	0.14
कुल नकद एवं नकद तुल्यमान	4,228.83	4,007.29

*बैंक के पक्ष में ₹. 439.15 (विगत वर्ष – ₹.958.21 लाख) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

10 अन्य बैंक शेष :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंक में तीन माह से अधिक मूल परिपक्वता वाली मीयादी जमा *	7,508.35	5,967.88
न्यून : 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत बताये 12 महीने से अधिक मूल परिपक्वता वाली बैंक में जमा	-	(1,983.30)
कुल अन्य बैंक शेष	7,508.35	3,984.58
*बैंक के पक्ष में रु. 5044.29 (विगत वर्ष – रु.5967.88 लाख) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।		

11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध प्रावधान)	265.27	397.74
	265.27	397.74

12 अन्य परिसंपत्तियां :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्तमान		
सरकार एवं सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा	1,468.00	1,409.87
	1,468.00	1,409.87

13 शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
रु. 1000/- प्रत्येक की 34,81,000 (31 मार्च, 2020 : 34,81,000) इक्विटी शेयर	34,810.00	34,810.00
निर्गमित		
इक्विटी शेयर पूंजी		
1रु. 1000/- प्रत्येक की 12,08,605 (31 मार्च, 2020 : 12,08,605) इक्विटी शेयर	12,086.05	12,086.05
अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
रु. 1000/- प्रत्येक की 12,08,605 (31 मार्च, 2020 : 12,08,605) इक्विटी शेयर	12,086.05	12,086.05
	12,086.05	12,086.05

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(अ) प्रतिवेदन वर्ष की शुरूआत एवं अंत में बकाये शेयरों की मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2020 को इक्विटी शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरूआत में बकाया	1,208,605	1,208,605
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,208,605	1,208,605

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार :

कंपनी के इक्विटी शेयरों में प्रति शेयर 1000 रुपये का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार हैं। कंपनी भारत में लाभांश घोषित रती है और भुगतान करती है। निदेशक मंडल (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को सभी अधिमानी रकम के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अंतिम नियंत्रक कंपनी के संबंध में शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

कंपनी की कोई नियंत्रक कंपनी या अंतिम नियंत्रक कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण :

विवरण	31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2020 को इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति एवं उनका नॉमिनी	1,208,605	1,208,605
	1,208,605	1,208,605

(ड.) तुलन-पत्र की तारीख पर शेयर / विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध / वचनबद्धताओं के अधीन जारी करने के लिए कोई सामान्य शेयर प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्वद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूंजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त राशि के लिए निवेश किया है। उपर्युक्त राशि के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश को विचार करके कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति जी को इक्विटी शेयर जारी की है।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी / अधिमानीय शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की गई हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी द्वारा कोई कॉल बगैर भुगतान के नहीं है।

14 अन्य इक्विटी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रारक्षित पूंजी	0.06	0.06
शेयर आवेदन धन आबंटन लंबित	-	-
पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	-	-
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,473.65
ऋणपत्र मोचन रिजर्व	303.66	303.66
प्रतिधारित आय	6,924.64	6,764.26
	8,702.01	8,541.63

(क) प्रारक्षित पूंजी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रारंभिक शेष	0.06	0.06
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-
अंत शेष	0.06	0.06

पूंजी रिजर्व कंपनी द्वारा पूंजीगत प्राप्ति का द्योतक है।

(ख) शेयर आवेदन धन आबंटन लंबित

प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-
अंत शेष	-	-

उपर्युक्त राशि के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश को विचार करके कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति जी को इक्विटी शेयर जारी की है।

(ग) पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा

प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-
अंत शेष	-	-

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्वद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूंजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त राशि के लिए निवेश किया है। उपर्युक्त राशि के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश को विचार करके कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति जी को इक्विटी शेयर जारी की है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(घ) सामान्य रिजर्व

प्रारंभिक शेष	1,473.65	1,473.65
जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
अंत शेष	1,473.65	1,473.65

सामान्य रिजर्व कंपनी के मुक्त रिजर्व हैं जो भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से निकाल कर रखा जाता है।

(ड.) ऋणपत्र मोचन रिजर्व *

प्रारंभिक शेष	303.66	303.66
जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
अंत शेष	303.66	303.66

* कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत लागू प्रावधान के अनुसार कंपनी ने 31.03.2006 को डिबेंचर की बकाया राशि के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया था। भले ही उक्त डिबेंचर के संबंध में देय बकाया राशि अब घटकर 514.62 लाख रुपये हो गई है, डीआरआर में सदृश समायोजन खातों में नहीं किया गया है और अंतिम समायोजन उक्त डिबेंचर के पूर्ण मोचन पर किया जाएगा।

(च) प्रतिधारित आय

प्रारंभिक शेष	6,788.78	7,904.19
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	1,168.01	195.92
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(1,032.15)	(1,087.74)
अंतिम लाभांश पर कर	-	(223.59)
न्यून : सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
अंत शेष	6,924.64	6,788.78

प्रतिधारित आय कंपनी द्वारा आज तक अर्जित संचित लाभ हैं, सामान्य रिजर्व, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) और शेयरधारकों को दिए गए अन्य वितरणों में से अंतरण को घटाकर बनता है।

कुल अन्य इक्विटी	8,702.01	8,566.15
-------------------------	-----------------	-----------------

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 उधारी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर वर्तमान उधारी		
अप्रतिभूत ऋण		
पुनर्संरचना ऋणपत्र जमा :		
ऋण शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित आबंटन लंबित है (नीचे द्रष्टव्य क देखें)	262.06	297.82
कुल गैर वर्तमान उधारी	262.06	297.82
वर्तमान उधारी		
प्रतिभूत ऋण की मांग करने पर पुनर्वापसी		
- केनरा बैंक से ओवर ड्राफ्ट (नीचे द्रष्टव्य ख देखें)	-	-
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिमों (नीचे द्रष्टव्य ग देखें)	6,589.00	6,589.00
कुल वर्तमान उधारी	6,589.00	6,589.00

क. ऋण शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित, आबंटन लंबित है :

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्वद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूंजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर एवं औपचारिकताएं पूरा होना लंबित रहने, इस मुद्दे पर शर्तें प्राप्त न होने के कारण शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन का आबंटन लंबित है।

पुनर्वापसी की शर्तें :

कंपनी 12.15 करोड़ रु. की राशि 50 लाख रुपये की समान वार्षिक किश्त पर 2007-08 से शून्य दर ऋण (जेडआरडी) पुनर्वापसी करेगी।

ख. केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट :

ऋण हेतु दिए प्रतिभूति का विवरण

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक ऋणों के हाइपोथेकेशन द्वारा और जलयान, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फक्सचर और वाहनों सहित स्थायी परिसंपत्तियों के समानान्तर बंधक रख कर और 22, ली रोड, कोलकाता-700 020 पर कंपनी के फ्लैट का न्यायसंगत बंधक रखकर ली गई है।

अल्पावधि कर्ज पर ब्याज दर का विवरण

मांगने पर ओवरड्राफ्ट पर 11.00% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का पुनर्भुगतान करना है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग. भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम :

विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और निरंतर परिपाटी के अनुसार, वर्तमान में समापन के अधीन कुछ सहायक कंपनियों को कंपनी के माध्यम से जारी किए गए भारत सरकार के ऋण का लेखांकन नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसी सहायक कंपनियों से ब्याज की प्राप्ति अनिश्चित है।

16 प्रावधान

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
- आनुतोषिक	51.80	62.18
- छुट्टी नकदीकरण	463.09	464.92
	514.88	527.10
वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
- आनुतोषिक	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	44.38	33.71
- छु. या. रि. हेतु प्रावधान	-	-
	44.38	33.71

(क) भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ' द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण द्रष्टव्य 34 में दिया गया है।

17 अन्य देयताएं

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर वर्तमान		
- आस्थगित सरकारी अनुदान	202.56	184.28
	202.56	184.28
वर्तमान		
सांविधिक बकाया	112.40	251.82
आस्थगित सरकारी अनुदान	31.18	32.52
ग्राहकों से अग्रिम	628.99	1,147.83
	772.57	1,432.17

18 व्यापार देनदारियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर वर्तमान		
व्यापार देनदारियां	3,752.80	-
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावे लेनदारों का कुल बकाया		
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया (द्रष्टव्य 35 देखें)	-	-
वर्तमान		
व्यापार देनदारियां	3,998.05	9,113.62
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावे लेनदारों का कुल बकाया		
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया (द्रष्टव्य 35 देखें)	-	-
	7,750.85	9,113.62

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19 अन्य वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
गैर वर्तमान		
व्यापार एवं प्रतिभूति जमा	163.05	163.05
	163.05	163.05
वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ देय	137.00	130.79
उधारी पर उपचित ब्याज एवं बकाया	34,016.12	34,016.12
पुनर्गठन ऋणपत्र जमा –		
शून्य दर वाले ऋणपत्रों में परिवर्तनीय ऋण पर वर्तमान परिपक्वताएं	18.82	50.00
व्यापार एवं प्रतिभूति जमा	428.25	326.03
	34,600.19	34,522.94
20 वर्तमान कर देयताएं		
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध अग्रिम कर)	-	-
	-	-
21 प्रचालन से राजस्व		
निर्माण ठेके से आय	6,877.25	9,710.22
	6,877.25	9,710.22
अन्य प्रचालन आय :		
परियोजना प्रबंधन परामर्शी	-	882.84
स्क्रेप बिक्री	176.61	47.17
	7,053.86	10,640.23
22 अन्यान्य आय :		
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	32.52	34.75
व्याज की आय :		
- बैंक और प्रतिभूति जमा पर	568.06	681.79
- बॉण्ड पर	3.81	3.62
अन्य गैर प्रचालन आय	0.03	1.09
[विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का लाभ रु.0.17 (विगत वर्ष का रु. 0.02 लाख)]	-	-
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	2,614.61	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	-	0.36
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए अनुज्ञा का उलटाव	-	-
बैं.गां. नकदीकरण / सु. ज. एवं ई.एम.डी. की जब्ती	88.16	-
	3,307.19	721.61

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

23 खपत सामग्रियों की लागत :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों की प्रारंभिक स्टॉक	836.27	622.68
जोड़ें : वर्ष के दौरान खरीद	1,220.20	3,508.72
	2,056.47	4,131.40
न्यून : कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों के समापन स्टॉक	927.15	836.27
	1,129.32	3,295.13
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य खर्च	16.66	78.63
	1,145.98	3,373.76

24 मालसूचियों एवं प्रगतिधीन कार्य में बदलाव :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रगतिधीन कार्य		
वर्ष की शुरूआत में मालसूची	4,537.22	2,275.27
न्यून : वर्ष के अंत में मालसूची	3,450.14	4,537.22
	1,087.07	(2,261.94)
मालसूची में (वृद्धि) / हास		

25 कर्मचारी हितलाभ खर्च :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वेतन, मजदूरी और बोनस	1,980.22	1,752.48
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	187.01	204.11
स्टॉफ कल्याण खर्च	28.26	40.37
	2,195.49	1,996.97

(क) भारतीय लेखांकन मानक 19 विभिन्न कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान के बारे में प्रकटीकरण द्रष्टव्य 34 में दिया गया है।

26 वित्त लागत :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिशोधित लागत पर अंकित वित्तीय देनदारियों पर वित्त शुल्क		
ऋणपत्र	32.52	34.75
अन्य उधारी लागत		
बैंक का ब्याज एवं कमीशन	96.16	26.16
	128.68	60.91

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

27 मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास	89.07	117.78
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	4.30	5.10
	93.37	122.88

28 अन्य व्यय :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विज्ञापन	6.99	18.41
संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ते	-	-
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	110.36	131.21
बैंक प्रभार	5.43	0.93
गाड़ी भाड़ा प्रभार	68.42	50.98
भंडारण, पुर्जे एवं खुले औजार की खपत	98.40	106.86
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	28.87	12.36
बैंक गारंटी का नकदीकरण / ईएमडी, एसडी की जब्ती	-	-
संरचित इस्पात कार्य व्यय	1,221.00	877.80
महसूल और अग्रेषण	21.33	8.30
बीमा	16.79	8.31
श्रम उपकर	69.41	40.87
विधिक /परामर्शी और पेशेवर प्रभार	134.11	951.18
विविध व्यय	47.09	69.51
लेखा परीक्षकों का भुगतान :		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.88	0.67
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.35	0.30
अन्य	2.65	2.68
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स	5.69	6.10
मुद्रण और लेखन सामग्री	8.68	7.33
पूर्वावधि समायोजन शुद्ध	34.28	7.53
प्लॉट एवं क्रेन भाड़ा प्रभार	1.37	2.46
बिजली एवं ईंधन	47.38	43.19
स्थानीय कर एवं उप कर	6.93	7.44
किराया	95.82	88.65
मरम्मती एवं अनुरक्षण :		
भवन	0.01	0.72
संयंत्र एवं मशीनरी	0.34	0.29
अन्यान्य	7.78	7.39
साइट संस्थापना व्यय	58.38	1.36
उप ठेका एवं अन्य परिवर्तन प्रभार	2,077.47	5,333.89
चन्दा और दान	1.75	4.03
परीक्षण प्रभार	6.18	9.95
यात्रा खर्च	19.27	40.65
	4,203.40	7,841.37

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

29 कर व्यय :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्तमान आय कर :		
वर्तमान आय कर प्रभार	442.68	93.21
एमएटी जमा हकदार	-	-
आस्थगित कर :		
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति और उलटाव से संबंधित	(103.64)	(61.25)
लाभ या हानि विवरण में आयकर व्यय को मान्यता दी गई	339.04	31.96

वर्ष के दौरान ओसीआई में विचारित वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	-	-
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे	-	-
ओसीआई का आयकर प्रभार	-	-

लेखांकन लाभ के साथ घरेलू कर दर से गुणा करके कर व्यय का मिलान

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ	1,507.05	227.89
लेखांकन लाभ पर सांविधिक आयकर 29.12% की दर से कर (31 मार्च, 2020 : 27.82%)	438.85	63.40
कर उद्देश्यों के लिए इक्विटी खोलने हेतु अनुमति दी गई मदों के बारे में समायोजन (कुल का 1/5 वां)	-	-
कम दरों पर आस्थगित कर के संबंध में समायोजन (29%)	(103.64)	(61.25)
अन्यान्य	-	-
22.20% की प्रभावी कर दर पर कुल	335.22	2.15
लाभ और हानि विवरण में प्रतिवेदित कुल कर व्यय	339.04	31.96

प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर को प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मान्यता नहीं दी गई

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

30 आकस्मिक देयताएं और वचनबद्धताएं :

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i) आकस्मिक देयताएँ :		
- विवादित विक्रय-कर मांग	88.10	120.38
- विवादित आय-कर मांग	425.79	408.83
- विवादित सेवा-कर मांग	154.45	154.45
- अपील के तहत विवादित भविष्य निधि मांग	54.14	54.14
- पश्चिम बंगाल के लिए विवादित सेवाकर मांग	-	-
- विवादित माल और सेवाकर मांग (लेनदेन – 1 ब्याज) - बिहार +	24.10	12.55
झारखण्ड		

* कंपनी विविध कार्यवाही और दावों के अध्ययन है जो ऊपर उल्लिखित सामग्री समेत कर प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा सहित व्यापार के सामान्य तरीकों के अंतर्गत उत्पन्न हुए हैं। अनिश्चित एवं सम्भाव्य भुगतान विभिन्न विविध प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर हैं, जो दावेदारों या कंपनी द्वारा निरस्त कर दिए गये हैं, जैसी स्थिति हो, तथा जिसका सही पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके हितों को सुरक्षित रखने के लिए पेशेगत सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, एवं यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे विवादों के विरुद्ध मजबूत विधिक स्थितियाँ हैं। प्रबंधन विश्वास करता है कि कार्यवाही के अपने बचाव में इसके पास उचित मामला है तथा तदनुसार आगे कोई प्रावधान अनावश्यक नहीं हैं। कोर्ट केसों के विवरण टिप्पणी 41 में दिये गये हैं।

31 संबद्ध पार्टियों का प्रकटीकरण :

क) निम्नलिखित तालिका संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ अपने संबंध की प्रकृति प्रदान करती है :

नाम	संबंध
श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर के मित्रा	निदेशक (वित्त) 30.06.2020 तक
श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) 01.07.2020 से
श्री अर्नब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी) 24.04.2019 से
श्री एस के सिंह	सरकारी निदेशक (सरकारी नॉमिनी निदेशक) 11.11.2020 तक
श्री रमा कांत सिंह	सरकारी निदेशक (सरकारी नॉमिनी निदेशक) 11.11.2020 से 18.06.2021 तक
श्री आदित्य कुमार घोष	सरकारी निदेशक (सरकारी नॉमिनी निदेशक) 01.07.2021 से

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन का विवरण :

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i) प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक :		
निदेशक के रूप में वेतन एवं भत्ते	137.98	89.40
निदेशक के रूप में भविष्य निधि में अंशदान (वेतन और भत्ते में छुट्टी नकदीकरण शामिल है)	7.48	6.94

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ii) गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बैठक शुल्क	0.00	0.00
ग) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें : संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन उन समतुल्य शर्तों पर किये जाते हैं जो आर्म्स लेन्थ लेन-देनों में उपलब्ध है।		

32 सिग्मेंट सूचना :

भारतीय लेखांकन मानक 108 “ऑपरेटिंग सिग्मेंट” (“इंडि. ए एस 108”) परिचालन और भौगोलिक सिग्मेंट एवं उत्पाद व सेवाएं, भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख ग्राहकों के बारे में प्रकटीकरणों से संबंधित सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम रिपोर्ट सूचना हेतु मानक स्थापित करता है, भारतीय लेखांकन मानकों में यथा प्रतिभाषित “प्रबंधन पहल” पर आधारित, परिचालन सिग्मेंट और भौगोलिक सिग्मेंट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सी.ओ.डी.एम.) को प्रावधानित आंतरिक रिपोर्टिंग से सुसंगत पद्धति में प्रतिवेदित किए जाते हैं। सी.ओ.डी.एम. कंपनी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समग्र आधार पर संसाधन प्रावधानित करता है।

कंपनी प्राथमिक रूप में गढ़ाई, जिसे “परिचालन सिग्मेंट” पर भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सिर्फ प्रतिवेदन योग्य व्यापार सिग्मेंट के रूप में विचार किये जाने, समेत निर्माण व्यापार में जुड़ी हुई है।

33 लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक निम्न समेत हैं :

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.88	0.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.35	0.30
अन्यान्य	2.65	1.25
कुल	3.88	2.35

34 भारतीय लेखांकन मानक 19 ‘कर्मचारी लाभ’ के अनुसार प्रकटीकरण :

क) उपदान :

कंपनी अपने कर्मचारियों को परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान करती है जिसे “उपदान योजना” कहा जाता है। उपदान योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम लगातार पाँच वर्षों तक सेवा प्रदान की हो, को सेवा-निवृत्ति / सेवा छोड़ने के समय पूरी सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा जो रु. 20.00 लाख तक सीमित है।

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एलआईसी समूह उपदान नीति भी अपनाई है, जिसके परिणामस्वरूप एलआईसी द्वारा बीमाकृत आधार पर यथा निर्धारित देयता बतौर प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा की गयी है।

वित्त वर्ष 2020-21 हेतु एलआईसी (निधि प्रशासक) द्वारा निर्धारित कंपनी का उपदान व्यय 51.46 लाख रु. (विगत वर्ष 0.33 लाख रु.) था। उपदान हेतु प्रावधान में पुरानी उपदान देयता 0.33 लाख रु. (विगत वर्ष 0.33 लाख रु.) भी शामिल है।

ख) छुट्टी :

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रावधानित करती है जो सालाना 30 दिनों की जमा होती है। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा में रहते नकदी भुनान योग्य है, तथापि, सेवा-समाप्ति पर नकदीकरण हेतु छुट्टी की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी, यह योजना अनिधिक है तथा इसकी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिचिह्नित की जाती है। वर्ष हेतु 507.46 लाख रु. (31 मार्च, 2020 : 498.63 लाख रु.) का एक प्रावधान वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर रखा गया है, तथा लाभ और हानि के विवरण के नामे लिखा गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

निम्नलिखित सारणियां लाभ या हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित निवल लाभ व्यय के घटकों को सारांशित करती हैं तथा राशियां तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित हैं :

दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रारंभिक शेष	498.62	423.63
चालू सेवा लागत	44.02	40.91
गत सेवा लागत	(6.62)	34.42
ब्याज लागत	31.23	25.02
लाभ का भुगतान	(66.43)	(83.01)
बीमांकिक लाभ	6.64	57.65
अर्जन समायोजन	-	-
अन्त शेष	507.46	498.62
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	498.37	483.03
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	498.37	483.03
वर्तमान प्रावधान	8.83	74.99
गैर वर्तमान प्रावधान	498.63	423.64

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सेवा लागत	44.02	75.33
ब्याज लागत	31.23	25.02
लाभ / (हानि) का पुनर्मूल्यांकन	-	-
जनसांख्यिकी धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	(6.63)	34.42
अनुभव समायोजन के कारण वास्तविक लाभ / (हानि)	6.64	57.65
छूट दर से अधिक (कम) योजना संपत्ति पर लाभ	-	-
कुल लागत	75.26	192.42

पूर्वधारणा	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.71%	6.55%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण पूर्वधारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत शर्तों में इसका प्रभाव निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2021 को	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-3.90%	3.57%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.13%	-3.88%

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 मार्च, 2020 को

	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-4.03%	4.33%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.27%	-4.01%

इन संवेदनशीलताओं की गणना अलगाव में अनुमानित लाभ दायित्व में संचलन दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार स्थितियों में कोई अन्य बदलाव नहीं है।

35 सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के बकाये :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो अनुशंसा करता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने ग्राहक के साथ उनके पत्राचार में ज्ञापन फाइलिंग करने के बाद यथा आबंटित उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को ऐसे उद्यमियों को भुगतान राशि के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी में किया गया है। आगे प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, अगर कोई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने की उम्मीद नहीं की जाती है, कंपनी को किसी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए दावा नहीं मिला है।

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज शेष नहीं है।	शून्य	शून्य
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान तय तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गयी राशि के साथ क्रेता द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य
ग) बकाया ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय (जिसे वर्ष के दौरान तय दिन के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ही है।	शून्य	शून्य
घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि तथा जिसका भुगतान नहीं किया है, और	शून्य	शून्य
ड.) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय अस्वीकृत हो जाने के प्रयोजन से आगे देय ब्याज की शेष राशि और अगले वर्षों में भी देय ऐसी तारीख तक जब उक्त ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की गयी है।	शून्य	शून्य

36 प्रति शेयर अर्जन :

मूल ईपीएस राशि की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य वर्ष हेतु लाभ को विभाजित की जाती है।

कम ईपीएस राशियां वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य लाभ जोड़ इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजित कर गणना की जाती है, जिसे इक्विटी शेयरों में सभी कम संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएगी।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

निम्न सारणी प्रति शेयर के मूल और कम अर्जन के गणना को दर्शाती है।

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
इक्विटी शेयर धारकों के लिए जिम्मेदार वर्ष का लाभ	116,801,366.76	19,592,266.44
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – मूल	1,208,605.00	1,208,605.00
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत	1,208,605.00	1,208,605.00
प्रति शेयर आय		
₹. 1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - मूल (₹.)	96.64	16.21
₹. 1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - तनुकृत (₹.)	96.64	16.21

37 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां :

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण व उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के प्रचालन में वित्तीय सहायता व मदद पहुंचाना है। कम्पनी की मूल वित्तीय सम्पत्तियों में सामान सूची, व्यापार और प्राप्य, नकद व नकद समतुल्य एवं वापसी योग्य जमा जो इसके प्रचालनों से सीधे प्राप्त होती हैं शामिल हैं।

कम्पनी बाजार जोखिम, साख जोखिम तथा नकदी जोखिम के प्रकटीकरण पर है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। निदेशक मंडल इन प्रत्येक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए समीक्षा व नीति सहमति प्रदान करते हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा, बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम में कम्पनी का प्रकटीकरण मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज सहित सम्पनी के लघु कालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कम्पनी परिवर्तनीय दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियों द्वारा अपना ब्याज दर जोखिम प्रबंधित करती है। कम्पनी किसी ब्याज दर विनिमय में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित सारणी ब्याज दरों पर उचित संभावित परिवर्तन में संवेदनशीलता दर्शाती है जिसने ऋणों के भाग और उधारी को प्रभावित किया है। स्थिर धारित सभी अन्य परिवर्तनों के साथ, कम्पनी का कर के पूर्व लाभ अस्थायी दर उधारी पर प्रभाव के माध्यम से प्रभावित करता है, जो निम्नानुसार है :

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2021 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2020 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)
ख) साख जोखिम :

साख जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिलेखी रूप में वित्तीय साधन या ग्राहक ठेका के अधीन अपनी बाध्यता को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि हो। साख जोखिम मुख्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों समेत अपने निवेशी क्रियाकलापों से तथा अपने परिचालन क्रियाकलापों (प्राथमिक तौर पर व्यापार प्राप्य) से उत्पन्न होता है।

साख जोखिम एक सतत आधार पर ग्राहकों की साख योग्यता तथा साख सीमा के विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिस पर साख हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साख मंजूर की जाती है। व्यापार प्राप्ति से संग्रहण प्राप्त टीम द्वारा एक सतत आधार पर प्रबंधित किये जाते हैं।

कम्पनी साख हानि हेतु भत्ता स्थापित करती है जो विगत और हाल की संग्रहण प्रवृत्ति पर आधारित अन्य प्राप्ति तथा व्यापार के संबंध में सम्भावित हानि का अपना अनुमान प्रस्तुत करती है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्ति के संबंध में साख हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार थे :

	क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक शेष		1,651.80
क्रेडिट नुकसान दिया गया		110.36
क्रेडिट नुकसान वापस किया		-
अन्त शेष		1,762.16

ग) नकदी जोखिम :

कम्पनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋणों के व्यवहार के माध्यम से निधियन एवं नम्यता की निरंतरता के बीच एक संतुलन अनुरक्षित रखना है।

यह सारणी संविदात्मक बिना छूट के भुगतानों पर आधारित कम्पनी की वित्तीय देयताओं का परिपक्वता स्वरूप सारांशित करती है :

	आगे ले जाने वाली राशि	12 महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,589.00	6,589.00	-	6,589.00
व्यापार देय	7,750.85	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	34,600.19	34,600.19	-	34,600.19
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,589.00	6,589.00	-	6,589.00
व्यापार देय	9,113.62	9,113.62	-	9,113.62
अन्य वित्तीय देयताएं	34,522.94	34,522.94	-	34,522.94

38 पूंजीगत प्रबंधन :

कम्पनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार अनुरक्षित करना है जिससे निवेशक, लेनदार तथा बाजार आत्मविश्वास अनुरक्षित एवं व्यापार का भावी विकास बनाये रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्राप्ति के आधार पूंजी एवं कुल इक्विटी अनुपात में ऋण प्रबोधित करता है।

कुल इक्विटी अनुपात में ऋण के उद्देश्य हेतु, विचारित ऋण दीर्घकालिक और और अल्पकालिक उधारी है। कुल इक्विटी जारी शेयर पूंजी और सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित को मिलाकर है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 मार्च, 2021, 31 मार्च, 2020 को पूंजीगत संरचना निम्नानुसार था :

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कुल इक्विटी विशेषता	20,788.06	20,652.20
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	75.16%	74.86%
वर्तमान परिपक्वता समेत दीर्घकालिक उधारी	280.88	347.82
अल्पकालीन उधारी	6,589.00	6,589.00
कुल उधारी	6,869.88	6,936.82
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	24.84%	25.14%
कुल पूंजी (इक्विटी एवं उधारी)	27,657.95	27,589.02

39 भारतीय लेखांकन मानक 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” के अनुसरण में प्रकटीकरण :

क कंपनी 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, भारतीय लेखांकन मानक 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व” तथा निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो “ओवर टाइम” पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए समाप्त प्रतिशत विधि का उपयोग कर आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले इस्तेमाल की गई नीति के अनुसार है। कंपनी के वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण लेन देन का प्रभाव नहीं है।

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ख प्रचालन से राजस्व	6,877.25	10,593.06
अन्य राजस्व	176.61	47.17
कुल	7,053.86	10,640.23

40 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर) :

नि.सा.उ. नीति के मुताबिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसके ठीक पहले की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	-	-
ख पिछले वर्ष की घटती राशि	-	-
ग कुल (क + ख)	-	-
घ वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय किया गया :		
किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	28.87	12.36
कुल	28.87	12.36
घटती राशि	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)
क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	28.87	-	28.87

ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	12.36	-	12.36

ग) प्रमुख शीर्ष के तहत नि. यो. उ. का खर्च का ब्रेक-अप निम्न है :

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1 स्वच्छ भारत कोष	-	-
2 गंगा सफाई निधि	-	-
3 कुशलता विकास प्रशिक्षण	-	3.00
4 शिक्षा	-	5.38
5 स्वास्थ्य	-	3.98
6 सस्त्र बल झंडा दिवस निधि	-	-
7 पीएम केयर्स फंड	28.87	-
कुल	28.87	12.36

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

41. कानूनी मामलों का विवरण :
बीबीजे / बीबीएनएल से संबंधित 31.03.2021 को लंबित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	क्यों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटॉरिंग रच-नायत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	सेवा मामला केस नं. VIII/241/2001, बीबीजे बनाम तरुण घोषाल	2001	श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 को 'नौट्री ऑपरेटर' के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे की 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा श्री घोष की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ श्री तरुण घोषाल द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वर्तमान मामला दायर किया गया था। दिनांक 28.01.2009 के एक आदेश द्वारा प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, प.बं. ने श्री तरुण घोषाल के पक्ष में एक अंतीम राहत प्रदान की थी। यह मामला अभी भी बहस के लिये लंबित है। बीबीजे लिखित बयान दर्ज करके, गवाहों को जोड़कर और निजी जासूस एजेंसी की जांच रिपोर्ट दाखिल करके मामले को लड़ रही है।	सेवा मामला	लंबित है।	मामला लंबित है एवं सुनवाई हेतु तय हो गया है।	विद्वान प्रथम औद्योगिक ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल
2	रिट याचिका - डब्ल्यू.पी. 19046 (डब्ल्यू) ऑफ 2008/सीएन3017 ऑफ 2009/सीएन 6958 ऑफ 2011 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएल) - बनाम - एएआईएफआर एवं अन्य	2008	संक्षेप में तथ्य : कंपनी द्वारा बीआईएफआर के दिनांक 31.08.2005; 06.10.2005; एवं 28.04.2006 के आदेश [एएआईएफआर ने बीआईएफआर के जैसे ही जेसीएल के इक्विटी शेयर 10 रु. से घटाने की अनुमति देने से 'राइट' आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम से पूंजी निषेधन हुई, जो सेबी औपचारिकताओं के अनुपालन से 'राइट' निर्गम की छूट थी एवं जेसीएल को एसआईसी (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1985 के दायरे के बाहर घोषित करना है] के विरुद्ध अपील को एएआईएफआर द्वारा 28.02.2008 को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है।	एएआईएफआर के दिनांक 28.02.2018 के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष सुनवाई के लिए मामला अभी तक सूची में नहीं आया है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)
3	पैसे का मुकदमा, स्वामित्व मुकदमा, टीएस सं. 2016 का 3827 / 2016 का 0001653 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएल) - बनाम- जेसप एण्ड कंपनी लि.	2009	संक्षेप में तथ्य : कंपनी द्वारा 2005 में गलती से वापस की गई सितम्बर, '01 से अगस्त, '03 की सेवा प्रभार 82,71,520/- रुपये के साथ ब्याज, लागत की वसूली के लिए।	82,71,520/- रुपये	लंबित है।	मामला सुनवाई और बहस हेतु लंबित है।	न्यायालय, विद्वान प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवाइजन), 24 परगना (दक्षिण)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	कैसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरींग रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
4	रिट याचिका, 2010 का डब्ल्यू. पी. 4224 (डब्ल्यू) इंडो - वोन - इबी. लि. एवं अन्य बनाम (1) ग्रिनियम ऑफ इंडिया (2) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) (3) स्टॉक होल्डिंग्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2016 का 0001653 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) - बनाम- जेसप एण्ड कंपनी लि.	2009	संक्षेप में तथ्य : बीबीयूनएल (अब बीबीजे) द्वारा याचिकाकर्ता के संग की गई एसएचए के स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिमेंट के रूप में अभिरक्षा की तारीख से 72% शेयरों को 3 वर्ष के लिए स्थानांतरित कर धरोहर रखना था परन्तु बीबीयूनएल (अब बीबीजे) 3 वर्ष खत्म हो जाने के बाद भी धरोहर वाले शेयरों के बारे में "धरोहर बंदी पुष्टि फार्म" निर्गत नहीं की।	रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष अभी भी सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)
5	मध्यस्थता अपील एपी सं. 2010 का 738/ बीबीजे - बनाम - सीवटेक	2010	संक्षेप में तथ्य : मेसर्स बीबीजे के खिलाफ पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका को दिसंबर 2010 के दौरान कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। तब से यह मामला लंबित है।	17 लाख रुपये + ब्याज	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
6	मध्यस्थता अपील एप नं. 2010 का 1 (कुंवरी प्रथम ब्रिज कंट्राक्ट मामला नार्थ सेंट्रल रेलवे - बनाम- बीबीजे)	2010	संक्षेप में तथ्य : मेसर्स बीबीजे के पक्ष में शून्य दायिता एवाइड पारित। नार्थ सेंट्रल रेलवे ने कथित एवाइड को आब्रिटेशन एण्ड कांसिलियेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई है, इसलिए किसी को रखा नहीं गया है। फिर भी नार्थ सेंट्रल रेलवेज का कथित दावा खारिज कर दी गई है एवं दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया है। नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने अपकृत होकर विद्वान जिला न्यायालय के कथित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को अपूर्ण प्रतिलिपि दी गई है। मेसर्स बीबीजे को अपील पर आपत्ति दायर करना है।	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा) के डिजीजन बेंच के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	विक्रय की राशि शामिल है (₹ में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरींग रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
7.	अपील मामला : अपील केस सं. 2012/118 (सी.ओ. नं. 2018 का 1157) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूको बैंक एवं अन्य प्रतिवादी 1 यूको बैंक 2 टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राइवेट लिमिटेड 3 बीपीएमईएल (समापन के अधीन) 4 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएल)	2018	<p>संक्षेप में तथ्य : पहले वसूली अधिकारी के दिनांक 23.03.2011 के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दाखिल 2011 की अपील सं. 2 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली ट्राईब्यूनल-1, कोलकाता के 23.02.2012 के आदेश के विरुद्ध यूओआई ने 2112 के अपील, मुकदमा संख्या 118 देखे, कंपनी द्वारा अपील एवं टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रॉस अपील दाखिल किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 23.02.2012 के आदेश के जरिए बीपीएमईएल के शेयरों को कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया है। तथापि उक्त आदेश में यूनियन ऑफ इंडिया को उनकी देयता या दूसरी ओर से कर्तव्य मानते हुए बीपीएमईएल के शेयरों को टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने को कहा है। इस मामले को सुनवाई के लिए जारी रखने के लिए 12.02.2018 को उठाया गया था। सरकारी वकील के सुनवाई जारी रखने के लिए कहेने पर, ट्राईब्यूनल ने अपीलकर्ता और सरकारी वकील की ओर से पिछली खामियों के कारण मामले की सुनवाई के लिए विचार नहीं किया और फिर से बहाली आवेदन को खारिज कर दिया। खिन होकर, यूनियन ऑफ इंडिया ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 10.5.2018 को एक संशोधन याचिका दायर (सी.ओ.नं. 2018 का 1157) की है। माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने दिनांक 05.01.2021 के एक आदेश द्वारा भारत संघ की अपील की अनुमति दी और डीआएटी को अपील मामले संख्या 2012 के 118 में सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया। <p>इस मामले बीबीजे औपचारिक प्रतिवादी है।</p>	अपील मामला	लंबित	इस मामले की सुनवाई विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल के समक्ष लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल
8	अपील मामला 2015 का एपीओ 45 / 2013 का जी.ए. 932 / 2013 का एपीओटी 61 / 2013 का डब्ल्यू.पी.1509 टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड एण्ड अन्य - बनाम - (1)यूनियन ऑफ इंडिया (2) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (3) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएल) (4) ए एफ फर्ग्युसन एण्ड कंपनी (5) इंडो-वैगन इंडी. लि.	2013	<p>संक्षेप में तथ्य : उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रिट याचिका सं. 2013 के 1509 (और वहीं से निकल कई अन्य सामान्य आवेदनों)के 19.12.2012 के आदेश के विरुद्ध डिजीन बैंक के समक्ष अपील की गई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> याचिका कर्ता को मालूम नहीं था कि जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को मेट्रो रेलवे, कोलकाता की 5.5 एकड़ जमीन की बिक्री से 14 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यद्यपि प्रतिवादी सं. 5 (इंडो वैगन) को इसकी जानकारी थी। बोली खुलने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया गया। 	अपील मामला	लंबित	इस मामले की माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, सिविल अपीलीय न्यायाधिकार, मूल पक्ष

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण मानिटारिंग रच-नांतर की प्रभावकारिता	क्रिसके समक्ष लंबित है
9.	अपील मामला 2013 का एसएलपी (सिविल) संख्या 33210 अब ये सिविल अपील संख्या 7430/2019 के रूप में आता है। बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड - बनाम - (1) समादायिया बिल्डर्स (2) यूनिजन ऑफ इंडिया (2) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (3) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2013	<p>● संक्षेप में तथ्य : बीएससीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली 8,8646 एकड़ जमीन जबलपुर (मप्र) में है। माननीय बीआईएफआर पीठ के साथ-साथ भारत सरकार के अनुमोदन करने पर बीएससीएल ने वर्ष 2002 में एमएस्टीसी के जरिए जमीन की बिक्री करने की चेष्टा की। मेसर्स समादायिया बिल्डर्स सर्वोच्च बोली लगाने वाला था। रेलवे ने प्रक्रिया के दौरान जमीन लेना चाहा और इसीलिए ईमडी आदि निरस्त कर दिया गया। फिर प्रक्रिया में देर हो जाने से रेलवे ने भी बीबीयूनएल को सूचित किया कि वे जमीन लेने में इच्छुक नहीं हैं। तत्पश्चात्, बीएससीएल ने मई, 2005 में कथित जमीन की बिक्री के लिए नई एनआईटी जारी की। मेसर्स समादायिया ने नोटिस को चुनौती देते हुए जबलपुर में उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश ने 26.06.2003 को उक्त रिट याचिका के निपटारा हेतु यह निदेश दिया कि यदि मेसर्स समादायिया बिल्डर्स द्वारा पहले की बोली से दुगुनी राशि का प्रस्ताव दी जाती है तो बीएससीएल बिषय को अंतिम रूप दे सकती है और नियत राशि प्राप्त करने बाद संलेख आदि निष्पादित कर सकती है।</p> <p>● बीएससीएल 26.06.2003 को उक्त आदेश से उपकृत होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम राहत हेतु प्रार्थना करते हुए 2013 की एसएलपी (सिविल) सं. 33210 दायर की है। इस अपील में यूओआई (सचिव, भा.स., भाउ एवं लोउमं, भाउवि के माध्यम से सेवा) तथा बीबीयूनएल प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं।</p> <p>● भाउवि द्वारा सलाह देने पर कंपनी मुकदमे का रिकार्ड एवं स्थिति तब तक रख रही है जब तक कि मामले में रेल मंत्रालय का नाम नहीं आ जाता है या उत-रदाताओं की सूची से भाउवि का नाम हटाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता है।</p>	स्पेशल लिव याचिका (एसएलपी) (जबलपुर, म. प्र. में बीएससीएल की जमीन की बिक्री के मामले में)	लंबित	मामले की सुनवाई किया जाना है।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	कैसे की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटारिंग रव-नांतर की प्रभावकारिता	विकसक समक्ष लंबित है
10	बिजली मामला इलेक्ट्रीसिटी सर्टिफिकेट मुकदमा सं. 01/13-14 बीएसईबी - बनाम - बीबीजे	2013	<p>बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (बीएसईबी) को अब बिहार स्टेट पावर (होलडिंग) कम्पनी लिमिटेड (बीएसपीसीएल) के रूप में जाना जाता है ने गंगा पुल परियोजना स्थल पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए बीबीजे से अवैध रूप से 58.23 लाख रुपये की मांग की गई।</p> <p>बीएसईबी ने बीबीजे से 58.23 लाख रुपये की वसूली के लिए इस 2013-14 का इलेक्ट्रीसिटी सर्टिफिकेट मुकदमा सं. 01 दायर किया है।</p> <p>बीबीजे, बीएसईबी के उक्त जबरदस्त कार्रवाई के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर हो गयी थी।</p> <p>माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.10.2013 द्वारा विशेष रूप से बीएसईबी (अब बीएसपीसीएल) को निर्देश दिया था कि वह बिल के भुगतान के लिए किसी भी आग्रह के बिना योग्यता के समझौते के खंड 13 के प्रकाश में बीबीजे के पत्र दिनांक 31.05.2011 पर विचार करें। जब तक मामला आखिरकार निस्तारित नहीं हो जाता है बीबीजे के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने के लिए बीएसईबी (अब बीएसपीसीएल) को रोक दिया गया है।</p> <p>6 साल के अंतराल के बाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बीबीजे के दावों को खारिज करते हुए बीबीजे को 15.01.2019 को एक पत्र संख्या 46 जारी किया। बीबीजे ने उत्तर में दिनांक 28.01.2019 के पत्र द्वारा फिर से बीएसपीसीएल को माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.2013 के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करने का अनुरोध किया।</p> <p>बीएसपीसीएल ने फिर से 2013-14 के इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट केस नंबर 1 को उत्तेजित किया और नीलामी अधिकारी, मुंगेर ने बीबीजे के खिलाफ, दिनांक 13.02.2019 को उसके सामने पेश होने के निर्देश के साथ 30.01.2019 को 'अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए कारण के बारे में पूछताछ हेतु नोटिस जारी किया'।</p> <p>अब बीबीजे उक्त मामले को जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष लड़ रही है।</p>	58.23 लाख रुपये	लंबित है।	यह मामला विद्यमान जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष मुनवाई के लिए लंबित है।	विद्यमान जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय, लंबित है

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेष डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	केस की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानियोग रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
11.	अपील मामला 2014 का डी.आर.ए.टी. आवेदन संख्या 105, 106, 107, 108 एवं 109 ओएमडीसी बनाम यूको बैंक एवं अन्य [यहां यूनिफ़ ऑफ इंडिया बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) प्रतिवादी हैं]	2014	<p>संक्षेप में तथ्य : यूको बैंक ने डीआरटी से 04.11.2003 को बीपीएमईएल (समापन में) से 2,16,13,32,35/- रुपये के लिए यूओआई से संयुक्त रूप से, अलग से एवं व्यक्तिगत रूप से "उपरोक्त प्रमाणित राशि"- पर 08.05.1991 से उगाही होने तक 19.5% की दर पर ब्याज कुल मिलाकर 4,08,26,270/- रुपये प्राप्त करने की एक डिक्री प्राप्त कर लिया था, जिसे टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को यूको बैंक द्वारा हस्तांतरित किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बर्ड एण्ड कंपनी की सहायक कंपनी ओडिसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) पहले ओडिसा राज्य में तीन खदानों का प्रचालन करती थीं एवं जब 14.10.1980 को बीपीएमईएल सरकारी कंपनी के तौर पर निर्गमित हुई तो भारत सरकार के खदानों के बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में निहित करने की अधिसूचना जारी की। तब से ओएमडीसी अपना प्रचालन कर रही है, बीपीएमईएल को ओएमडीसी के सभी कार्यकलाप करने हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) दी गई थी। ● अब इस पीओए के अधिकार के गुणों के मुताबिक सुरक्षित लेनदार टीपीजी ने वसूली अधिकारी से इन तीनों खदानों के कब्जा हेतु आदेश हासिल कर लिया और तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी, डीआरटी से प्राप्त कर लिया। ● ओएमडीसी खिन होकर डीआरटी के समक्ष पी.ओ./ डीआरटी -1 द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेशों के पुनर्विचार / रिस्त करने एवं टीपीजी को दिए यूको बैंक के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए आवेदन दिया, जहाँ यूओआई एवं बीबीयूनएल प्रतिवादी हैं। ● भाउवि ने अपने काउन्सेल को कहा कि मुकदमे का बचाव ठीक तरीके से करें एवं बीबीयूनएल के सीएमडी को माननीय डीआरएटी के समक्ष दोनों कोर्ट मामलों का प्रभावी रूप से बचाव करने को कहा। तदनुसार, कंपनी ने यूओआई के साथ औपचारिक प्रतिवादी के तौर पर उपस्थित हुई एवं लड़ी। 	अपील मामला [बीपीएमईएल (समापन के अधीन) के विरुद्ध यूको बैंक के बकाये के बारे में]	लंबित।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल के समक्ष यह विषय सुनवाई हेतु लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल
12.	ऑट्रिटेसन मामला 2016 का ए.पी. संख्या 9 2016 का जी.ए. संख्या 120 इंडो वैगन इंजी. कंपनी लि. बनाम बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2016	<p>संक्षेप में तथ्य : कंपनी एवं इंडो वैगन इंजी. कं. लि. (आईडब्ल्यूईएल) और बी. बीयूनएल के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ("जेसप") एवं अन्य से संबंधित विवादों के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एकल मध्यस्थ ने 11.09.2005 को प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरुद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में फैसला दिया। आगे यह निर्णय दिया गया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरण की प्रार्थना (सी) और (जी) में दी गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को देय होगा। <p>.....अवार्ड का कुल मूल्य 41.02 करोड़ (लगभग) है।</p>	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित।	इस मामले की आगली सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
13.	कर्मचारी भविष्य निधि का मामला 2016 का अपील संख्या ई.पी.एफ.-09 [पुरानी संख्या 2016 का 299 (15)] बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) बनाम सहायक भविष्य निधि कमिश्नर, क्षेत्र. का., कोलकाता	2016	<p>आईडब्ल्यूएल खिन्न होकर 05.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 11.09.2015 के कथित अवाई खारिज करने के लिए याचिका दायर की है।</p> <p>संक्षेप में तथ्य : सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्र. का., कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) के अधीन कुल 96,09,773/- रुपये की क्षतिपूर्ति कावा किया है। कई बार एपीएफसी, क्षेत्र. का., कोलकाता ने फिर 15.02.2016 के आदेश के जरिए कथित अधिनियम की धारा 14 (बी) के अधीन उक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।</p> <p>● कंपनी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली में चुनौती दी गई है।</p> <p>● ट्राईब्यूनल ने मूल्यांकित राशि का 50% जमा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा एक आवेदन देते पर विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 22.09.2016 के आदेश के जरिए 16,76,335/- रुपये जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी ने उक्त रकम को 01.10.2016 को एपीएफसी, क्षेत्र. का., कोलकाता के पास जमा कर दी है।</p> <p>● इस बीच 26.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार ईपीएफटी, दिल्ली और बंगलुरु को समाप्त कर दिया है तथा उक्त ट्राईब्यूनल में लंबित मामले अब संबंधित राज्य के केंद्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी) में स्थानांतरित हो जाएगी। ईपीएफटी को भंग करने पर विचार करते हुए मामले को आगे की कार्यवाही हेतु सीजीआईटी, कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया है।</p> <p>● 05.10.2018 को सुनवाई के लिए सीजीआईटी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने सीजीआईटी के समक्ष पेश हुई थी एवं एक वकालतनामा दायर की।</p>	66,43,791/- रुपये	लंबित।	यह मामला सुनवाई के लिए सीजीआईटी, कोलकाता में लंबित है।	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी), कोलकाता
14.	मध्यस्थता अपील आब्रि. अपील 2019 का (जोगीगोपा ब्रिज कंस्ट्रक्ट मामला) उत्तर सीमांत रेलवे बनाम बीबीजे	2019	<p>संक्षेप में तथ्य : मामला असम में निर्मित जोगीगोपा पुल से संबंधित है। मेसर्स बीबीजे के पक्ष में ट्राईब्यूनल द्वारा पारित फैसले के अनुपालन में हालांकि, उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा आशिक भुगतान किया गया था और दूसरा हिस्सा बिना किसी विवाद के एन एफ रेलवे के इशारे पर सुलह की प्रतीक्षा के कारण बना रहा है। एन एफ रेलवे ने गौहाटी में विद्वान जिला न्यायालय के समक्ष अवाई को चुनौती दी। 23.07.2014 को विद्वान जिला न्यायाधीश, कामरूप, गुआहाटी ने एन एफ रेलवे के दावा को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद एन एफ रेलवे ने माननीय गुआहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आब्रिटेशन अपील दायर की।</p>	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटी

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण मानिटारिंग रच-नांतर की प्रभावकारिता	क्रिसके समक्ष लंबित है
15.	सिविल अपील 2017 का पी.पी. अपील संख्या 6 (विक्टोरिया हाऊस मामला) बीबीजे बनाम के ओ पी टी (अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट)	2017	संक्षेप में तथ्य: यह मामला लोक भवन (अनाधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 (3) के तहत बीबीजे के खिलाफ 01.04.1988 से 31.03.1989 तक 'विक्टोरिया वर्क्स' के अनाधिकृत रूप से कब्जा करने से हुई क्षति के लिए ₹. 10,57,872 भुगतान करने के लिए है। बीबीजे द्वारा विभिन्न आधारों पर एस्टेट ऑफिसर के समक्ष केओपीटी के दावे को चुनौती दी गई थी। 08.03.2017 को एक प्रतिवादी आदेश द्वारा केओपीटी के विद्वान एस्टेट अधिकारी ने केओपीटी के दावों को सही ठहराया। उक्त आदेश से खिन्न होकर विगत 08.03.2017 को बीबीजे ने अलीपुर में विद्वान डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष यह अपील दायर की।	₹10,57,872/- + लंबित ब्याज (केओपीटी का कुल दावा 50 लाख लगभग है)	लंबित	मामला सुनवाई के लिए तृतीय अतिरिक्त जिला जज, 22.06.2017 के आदेश के जॉए कोओपीटी के सम्पदा अधिकारी द्वारा लगाए गए विरोध भुगतान आदेश पर रोक लगा दी गई।	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय, अलीपुर
16.	निष्पादन मुकदमा 2018 का ई. सी. संख्या 458 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) बनाम इण्डो वेगन इंवीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2018	संक्षेप में तथ्य: कंपनी एवं इण्डो वेगन इंजी. कं. लि. (आई डब्ल्यू ई एल) के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ("जेसप") एवं अन्य के इक्विटी शेयरों से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी। ● एकल मध्यस्थ ने 11.09.2015 को प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरुद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में फैसला दिया। आगे यह भी निर्णय दिया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरणी की प्रार्थना (सी) और (जी) में गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को वास्तविक वसूली होने तक देय होगा। अर्वाइ का कुल मूल्य 41.02 करोड़ ₹. (लगभग) है। ● आईडब्ल्यूईएल पीडित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 05.01.2016 को 11.09.2015 के कथित अर्वाइ खारिज करने के लिए याचिका दायर की है। ● सैण्डर्स एवं मोगेन्स द्वारा सुझाव देने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के समर्थन में कंपनी ने 19.09.2018 को इस निष्पादन आवेदन फाइल किया है।	41.02 करोड़ ₹. + ब्याज	लंबित	इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)
17.	मध्यस्थता अपील आब्रिट्रेशन नं. 2018 का 21 (चंबल द्वितीय ब्रिज कंस्ट्रक्ट मामला नार्थ सेंट्रल रेलवेज - बनाम- बीबीजे)	2018	संक्षेप में तथ्य: एक शून्य देयता आब्रिट्रेशन फैसला दिनांक 07.04.2018 को मेसर्स बीबीजे के पक्ष में पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उ.प्र. के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (आब्रिट्रेशन केस संख्या - 2018 का 21) के तहत उक्त फैसले को चुनौती दी। ● बीबीजे ने 16.07.2018 को सम्मन प्राप्त किया और अब विद्वान जिला न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील लड़ रहा है।	शून्य दायिता	लंबित	यह मामला विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	विक्रतनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानित राशि रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
18.	सेवा मामला रि.या. नं. 2018 का 18933(डब्ल्यू), बीबीजे – बनाम - पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्यान्य	2018	<p>माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष तत्काल लिखित याचिका दायर की गयी है, जो कि तरुण घोषाल के मामले में विद्वान प्रथम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल द्वारा पारित आदेश संख्या 230, दिनांक 20.04.2018 को चुनौती देती है (केस संख्या VII /241/ 2001)।</p> <p>दिनांक 20.04.2018 के उक्त आदेश में विद्वान ट्रिब्यूनल ने बीबीजे के आवेदन को श्री तरुण घोषाल के विशिष्ट प्रश्नों पर 'री-क्रॉस जांच' करने के लिए खारिज कर दिया था कि क्या साक्ष्य के पूरा होने के बाद भी वह नियोजित है या नहीं, जो यह निर्धारित करेगी कि वह किसी भी अंतरिम राहत पाने का हकदार है।</p> <p>श्री तरुण घोषाल के 2000 से 2017 तक के रोजगार में रहने के बारे में बीबीजे के दावे के समर्थन में, बीबीजे ने विद्वान ट्रिब्यूनल के समक्ष निजी जासूस एजेंसी की गुप्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।</p> <p>विद्वान ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.04.2018 से खिन्न होकर बीबीजे ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष त्वरित रिट याचिका दायर की है, जिसमें उचित न्याय की मांग की गई है।</p>	सेवा मामला	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)
19.	आब्रिट्रेशन अपील कार्यवाही [बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीपयू) परियोजना का मामला] विविध मामला सं. 2019 का 26 विविध मामला (आब्रिट्रेशन) सं. 2019 का 0000026 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूएलएल) बनाम मेसर्स डटसन जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड – बनाम – बीबीजे के बीच	209	<p>संक्षेप में तथ्य : बीबीजे ने दिनांक 25.03.2010 को मेसर्स डटसन जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (डटसन) को बीपयू के अधीन 4 भवनों यथा एडमिन. बिल्डिंग (ब्लॉक I एवं II), एडमिन.बिल्डिंग (ब्लॉक III), लेक्चर थियेटर एवं डेयरी प्लांट बिल्डिंग के निर्माण के लिए एलओआई एवं अलग कार्य आदेश जारी की थी। समूची परियोजना को सौंपने के लिए कंट्राक्टअल तारीख 12 महीने की थी।</p> <p>डटसन की तरफ से अत्यधिक विलंब करने, धीमी प्रगति एवं काम के रुक जाने से बीपयू समय बढ़ाने के लिए एलडी कटौती कर दी एवं पहले की आरए बिलों के भुगतान करने से मना कर दिया जब तक कि डटसन कार्य शुरू नहीं कर देता और आरए बिल प्रस्तुत नहीं कर देता है। इस पृष्ठभूमि के तहत डटसन ने 14.12.2015 की नोटिस के तहत मध्यस्थता का आव्हान किया। टेके के प्रावधान के मुताबिक बीबीजे ने श्री इंद्रजीत सेनगुप्ता को एकल मध्यस्थ के तौर पर रखा। प्रथम बैठक 29.03.2016 को हुई थी।</p>	रु. 91.73 लाख	लंबित	यह मामला तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर, जिला दक्षिण 24 परगना में सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर, जिला - दक्षिण 24 परगना

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			<ul style="list-style-type: none"> ● मार्च 2016 से लम्बी कार्यवाही चलने के बाद विद्वान एकल मध्यस्थ ने 18.02.2019 को एवाई परित किया। उक्त फैसले में वावेदार (डेटसन) के कुछ दावे पर एकल मध्यस्थ द्वारा गलत तरीके से अनुमति दी गयी थी जो कंपनी के खिलाफ है और जिसका कुल लागत 91.73 लाख ₹. है। ● दिनांक 18.02.2019 की उक्त मध्यस्थता फैसले से खिन्न होकर बीबीजे ने 15.05.2019 को अलीपुर में जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत यह अपील दायर की। 				
20.	रिट मामला सिविल रिट जुरिडिक्शन मुकदमा - सीडब्ल्यूजेसी नं. 2019 का 17069 माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्ष लंबित है। बीबीजे - बनाम - बीएसपीएचसी-एल के बीच	2019	<p>संक्षेप में तथ्य : उपर्युक्त विद्युत प्रमाणपत्र केस संख्या 01 /13-14 के संदर्भ में, जिला नीलामी प्रमाणपत्र अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष लंबित, बीबीजे ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की है।</p>	रिट मामला	लंबित	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्ष स्वीकृति सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार
21.	आर्बिट्रेशन याचिका (संदर्भ ए.पी. नं. 2019 का 188, ए.पी. नं. 2018 का 330 से उठा) (सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना) बीबीजे - बनाम - ईस्टर्न रेलवे)	2019	<ul style="list-style-type: none"> ● पूर्वी रेलवे के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही 2012 से लंबित है। ● आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के सात साल बीतने के बावजूद, केवल एक मध्यस्थ बैठक 31.07.2014 को आयोजित की गई है और मध्यस्थता कार्य-वाही में आगे कोई विकास नहीं हुआ है। ● यह कि बीबीजे के पूर्व रेलवे के खिलाफ ₹.1.20 करोड़ का भारी दावा स्वीकृत है और अन्य दावे भी हैं जिन्हें आर्बिट्रेशन में अधिनिर्णय किये जाने की जरूरत है। ● बीबीजे से कई पत्र प्राप्त करने के बावजूद, महाप्रबंधक, ईस्टर्न रेलवे और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बीबीजे द्वारा उठाए गए आर्बिट्रल विवाद पर फैसला करने और उसमें आवश्यक अवाई परित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहे और जानबूझकर उपेक्षित किये हैं। ● इसलिए, बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच लंबे समय से लंबित विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ टाईब्यूनल नियुक्त करने और इस लंबित विवाद में अधिनिर्णय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 2018 की 330 दाखिल किया। 	₹. 4,92,55,482/- + ब्याज	लंबित है।	लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	कैसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटारिंग रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
22.	विशेष लिव याचिका (आब्रिट्रेशन अपील मामला) एसएलपी (सी) नं. 008221- 2020 (संदर्भ - ए. पी. नं. 2019 का 69) (मनोहरपुर - बोंडा मुंडा आब्रिट्रेशन मामला) बीबीजे - बनाम- साउथ ईस्टर्न रेलवे के बीच	2020	<ul style="list-style-type: none"> 28.06.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने बीबीजे की प्रार्थना की अनुमति देते हुए आब्रिट्रल ट्राइब्यूनल को फरवरी, 2019 के भीतर मध्य-स्थता कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आब्रिट्रल ट्राइब्यूनल ने उक्त आदेश की उपेक्षा की और फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने में विफल रहा। कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलने पर, कंपनी ने पूर्व रेलवे और उसके जी.एम. के खिलाफ उक्त आदेश की अवहेलना के लिए दिनांक 28.06.2018 को वर्तमान आब्रिट्रेशन याचिका दायर की। बीबीजे के करीब 7.34 करोड़ रु. के वैध दावे के बारे में विवाद - साउथ ईस्टर्न रेलवे के खिलाफ आब्रिट्रेशन हेतु सुपुर्द किया गया था जो जीसीसी के मुताबिक मध्यस्थ (थों) की नियुक्ति के बाद शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। चूंकि जीसीसी संशोधन अधिनियम, 2015 के पहले से रहने से इसमें तटस्थ मध्यस्थ (थों) की नियुक्ति नहीं है। आब्रिट्रल ट्राइब्यूनल के गठन के लिए कई पत्रों के प्राप्त करने के बावजूद, एस.ई. रेलवे अपने नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने में जानबूझकर विफल हुआ और उपेक्षा कर रहा है। 2015 में संशोधित ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत और माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में विवाद को ठीक से और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए मध्यस्थ के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति के लिए वर्तमान मामले को दायर किया गया था। 	रु. 7,34,57,560/- + ब्याज	लंबित	मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं.	केस का क्रिसम	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (₹ में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानित राशि रच-नातंत्र की प्रभावकारिता	किसके समक्ष लंबित है
23.	आब्रिट्रेशन कार्यवाही (संदर्भ आब्रिट्रेशन याचिका नं. 2021 का 15) (गेबन प्रोजेक्ट आब्रिट्रेशन मामला) बीबीजे - बनाम - कंसल्टेंट्स कन्वाइन प्राइवेट लिमिटेड	2021	<p>● संक्षेप में तथ्य : कंसल्टेंट्स कंपनी लिमिटेड (सीसीपीएल) के खिलाफ लगभग 15 करोड़ रुपये के बीबीजे के कानूनी दावे के बारे में विवाद का है, जो उनके अनुबंध की अवधि के अन्तर्, गैबॉन, अफ्रीका में 300 आवास घरों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स, कर्मशिल्ड सेंटर और आईटी एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए 14.5 लाख अमरीकी डालर की गैबॉन सरकार की परियोजना को पूरा करने के लिए लीड सदस्य के रूप में उनकी लापरवाही / गैर-निष्पादन के लिए है।</p> <p>● बीबीजे ने उपरोक्त विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त करके मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांक 03.07.2020 को नोटिस जारी किया। सीसीपीएल ने बीबीजे के उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।</p> <p>● बीबीजे ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में तत्काल नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया ताकि विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाया जा सके।</p> <p>● दिनांक 14.01.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने वर्तमान एकल मध्यस्थ - न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) को नियुक्त करने की कृपा की।</p>	₹. 26.11 करोड़ (ब्याज सहित)	लंबित है।	मामला एकल मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) के समक्ष सुनवाई हेतु लंबित है।	एकल मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त)
24.	अपील मामला : एम.ए.टी. नं. 2021 का 140 एम.ए.टी. नं. 2021 का 141 [संदर्भ सेवा मामला 2014 का डब्ल्यू. पी. 14592 (डब्ल्यू)] बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) बनाम श्रीमती सरोज अग्रवाल (प्रतिवादी) एवं यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (औपचारिक प्रतिवादी के तौर पर)	2021	<p>● संक्षेप में तथ्य : प्रबंधन द्वारा 30 अप्रैल, 2014 के पत्र के जरिए याचिकाकर्ता, श्रीमती सरोज अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया गया था एवं उनकी सभी बकाया नियोजन की शर्तों के मुताबिक निपटारा किया गया था।</p> <p>● बीबीजे ने रिट याचिका संख्या 2014 की 14592 डब्ल्यू पर लड़ी।</p> <p>● माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता श्रीमती सरोज अग्रवाल के पक्ष में दो आदेश दिनांक 13.03.2020 और 25.01.2021 पारित किए।</p> <p>● बीबीजे ने उपर्युक्त दो आदेशों दिनांक 13.03.2021 और 25.01.2021 से खिन्न होकर, वर्तमान दो अलग-अलग अपीलें (क्रमशः 2021 की एमएटी संख्या 140 और 2021 की एमएटी संख्या 141 के माध्यम से) माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष के समक्ष 02.02.2021 को दायर कीं। दोनों अपीलें सुनवाई के लिए लंबित हैं।</p>	अपील मामला (सेवा मामला)	लंबित।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष में सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित बीबीजे के कानूनी मामलों की संख्या (31.03.2021 तक)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित कानूनी मामलों की संख्या
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	2
2.	उच्च न्यायालय	12
3.	निचले न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों	9
4.	मध्यस्थता	1

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 42 कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण में वे आइटम शामिल हैं, जो बहुत पुराने हैं और हो सकता है कि अपनी उपयोगी जीवन से बाहर हो गए हों। ऐसी संपत्तियों का लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से ह्रास किया गया है। कंपनी स्क्रेपिंग या बट्टे खाते के लिए ऐसी वस्तुओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान, कोविद महामारी संबंधी प्रतिबंधों को देखते हुए, प्रबंधन संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ रहा है। इस तरह की पहचान लंबित होने तक, ऐसी संपत्तियों को संपत्ति संयंत्र और उपकरण में शामिल किया जाना जारी है।
- 43 वर्ष 2005-06 के दौरान जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्वद (बीआईएफआर) के पास इक्विटी शेयरों के नाममात्र मूल्य 10 रु. से 1 रु. निर्धारित (कम) करने के लिए आवेदन किया है। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों से जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 100, 101, 102 एवं 103 के अधीन प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक इक्विटी शेयर पुंजी में कमी करने के लिए अनुमति प्रदान की है। कंपनी ने बीआईएफआर के पूर्वोक्त निर्देशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्वद के अपीलीय प्राधिकारी (बीआईएफआर) के समक्ष रूपण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा -25 के अधीन एक अपील भी दायर की है। एएआईएफआर ने दिनांक 28.02.2008 के अपने आदेश द्वारा दूसरे अपील के साथ कंपनी द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया है जबकि एक अपील पहले उठा लिया गया है।
- कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च-न्यायालय कोलकाता में एक रिट याचिका दायर की है, जो आज की तारीख पर निपटारा के लिए लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को विवाद को कंपनी द्वारा इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. (जेसप से रणनीति भागीदार) के बीच “शेयरधारकों के करारनामे” के अनुसार मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा।
- 44 भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17(12)/2000 पी.ई. III द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) एवं इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. के बीच एवं उनके द्वारा निष्पादित शेयर खरीद करारनामा की शर्तों के मुताबिक जेसप का 6,81,34,428 अदद (यानी 72 प्रतिशत) इक्विटी शेयरों का बिक्री हस्तान्तरण कंपनी द्वारा 29.08.2003 को 1818.00 लाख रु. की एवज में इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. के पक्ष में कर दिया गया। प्रचलित कानून के अधीन अनुपालन लंबित रहने पर 1818.00 लाख रु. (1,818.00 लाख रु.) उगाही की गई समूची बिक्री राशि को भारत सरकार को अंतरित कर दी गयी है।
- 45 व्यापार प्राप्य में लकवा परियोजना कार्य के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से गैर वर्तमान परिसंपत्तियों की 38.98 लाख रुपये (विगत वर्ष - 38.98 लाख) बकाया है, जो पूरा होने के पहले 2009-10 में बंद हो गया था एवं उपर्युक्त कार्य से संबंधित चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 42.29 लाख रुपये (विगत वर्ष - 42.29 लाख) की प्रतिभूति जमा शामिल है। चूंकि बही में दिखायी गयी 126.46 लाख रुपये (विगत वर्ष - 126.46 लाख) की सदृश समष्टि राशि बीएलईएल को देय है, कंपनी ने बीएचईएल से प्राप्य प्रतिभूति जमा एवं अवरोधन धन पर संदिग्ध कर्ज के लिए किसी भत्ते की नहीं सोची है।
- 46 अन्य वित्तीय संपत्ति - वर्तमान में 45.14 लाख रुपये (विगत वर्ष - 45.14 लाख रुपये) बयाना राशि और अन्य जमा (नोट संख्या 6) शामिल हैं, जो बहुत पुराने हैं, जिसके मुकाबले रुपये 40.78 लाख (विगत वर्ष - 40.78 लाख रुपये) देय है और अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल है - वर्तमान (नोट संख्या 19), जिसकी पुष्टि पार्टियों द्वारा नहीं की गई है। प्रबंधन ने प्रकृति रूप से इसे अच्छा और वर्तमान माना है।
- 47 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान में अन्य अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है (नोट संख्या 6) नीचे सूचीबद्ध पार्टियों को प्रदान की गई और बहुत पुरानी हैं। कंपनी ने इसे प्रकृति में वर्तमान के रूप में माना है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2021 को राशि	31 मार्च, 2020 को राशि
1	ग्राहकों से उगाही योग्य विक्रय कर – बीबीयूएनएल	15.76	15.76
2	दफ्ते एकाउंट बीबीसीसी	1.51	1.51
3	दफ्ते/बीबीयूएनएल	0.78	0.78
4	वसूली योग्य विविध खर्च	55.38	55.38
5	वेतन अग्रिम	61.36	61.36
6	आयकर से वापसी योग्य स्रोत कर	216.79	250.97
	कुल	351.58	385.76

48 अन्य परिसम्पत्तियां - वर्तमान में अन्य अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है (नोट संख्या 12) जिसकी पुष्टि उपलब्ध है और बहुत पुरानी हैं। नीचे सूचीबद्ध पार्टियों को प्रदान की गई और बहुत पुरानी हैं। कंपनी इसे एक छोटी अवधि में अच्छा और वसूली योग्य / समायोज्य मानती है और इसलिए इसे प्रकृतिस्थ चालू माना जाता है :

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2021 को राशि	31 मार्च, 2020 को राशि
1	अनुबंधित कर्मचारी भविष्य निधि	2.23	2.23
2	परिवार पेंशन योजना – सीएसपीएफ	0.04	0.04
3	परिवार पेंशन योजना – एसपीएफ	0.96	0.96
4	परिवार पेंशन योजना – डब्ल्यूपीआई	2.35	2.35
5	कामगार भविष्य संस्था	9.28	9.28
6	सीमा शुल्क कलेक्टर, कोलकाता	0.07	0.07
7	स्टॉफ भविष्य निधि	16.85	16.85
8	परिवार पेंशन योजना – अनुबंधित कर्मचारी	15.77	15.77
	कुल	47.54	47.54

49 व्यापार देय - गैर-वर्तमान में वे राशियां शामिल हैं जिनके मुकाबले पहले के वर्षों में सामान और सेवाएं प्राप्त हुई थीं, और कंपनी इन देनदारियों के प्रति लेनदारों की पहचान करने की प्रक्रिया में है (नोट संख्या 18)। तो भी, कंपनी इसे लंबी अवधि में देय मानती है और इसलिए इसे प्रकृतिस्थ गैर चालू माना जाता है

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2021 को राशि	31 मार्च, 2020 को राशि
1	समाप्त अनुबंधों पर देयताएं खाता	1493.35	1493.35
2	देयताएं खाता	727.53	727.53
3	भारत सरकार को देय खाता – बीबीवीएल समापन एवं ब्याज	182.90	182.90
4	भारत सरकार को पी/ ई देय (सहायिकाएं) – बीडब्ल्यूईएल	69.60	69.60
5	पी/ ई निधि पर सहायिकाओं को ब्याज देय	357.65	357.65
6	विविध लेनदार – विविध (सहायिकाएं)	57.71	57.71
7	आईटी सस्पेंस (अन्य) (194) देय - ओसीएल	1.04	1.04
8	बिक्री कर देय – ओसीएल	1.54	1.54
9	बीबीसीसी को ब्याज देय	2.37	2.37
10	पुरानी अनसुलझा शेष	6.36	6.36
	कुल	2900.04	2900.04

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 50 वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए बिहार राज्य मूल्य वर्धित कर की वापसी के लिए 2614.61 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और इसे 'अन्य आय' (नोट संख्या 22) के रूप में माना है। वापसी की राशि विभिन्न ठेकेदारों द्वारा बिक्री बिल से काटे गए और बिहार वाणिज्यिक कर विभाग के पास जमा किए गए कार्य अनुबंध करों का प्रतिनिधित्व करती है और संबंधित वर्षों में दरों और करों के रूप में किए गए व्यय का हिस्सा माना जाता है।
- 51 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी गेबन गणराज्य में बिकेले टाउनशिप के करीब यूनिट के विनिर्माण के लिए बीसीडी इनगॉब कंसोर्टियम के नाम के तहत कंसोर्टियम व्यवस्था में प्रवेश किया है। विभिन्न शीर्षों यथा कि गारंटी प्रभार, यात्रा, संस्थापन खर्च आदि पर हुए वास्तविक व्यय को छोड़कर कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं (कंसोर्टियम भागीदार से हुए करारनामे के मुताबिक) का कुल मिलाकर मूल्य 2.75 करोड़ रु. तक निर्धारित था। कंपनी ने अपनी परिभाषित भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के अंश के रूप में कंसोर्टियम को जारी की गयी समान राशि का मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध गेबन सरकार के पक्ष में 725,000 अमेरिकी डॉलन (परियोजना आदेश मूल्य का 5 प्रतिशत) कार्यनिष्पादन की गारंटी दी है। कंपनी ऐसी गारंटी (इस समय वैधता की अवधि समाप्त हो गयी) देने के लिए कंसोर्टियम से मार्जिन धन प्राप्त की है।
- कंपनी ने परियोजना के निष्पादन में संतोषजनक प्रगति न होने से वहां से सम्मानपूर्वक बाहर आने का निर्णय किया है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है।
- तथापि वर्तमान करारनामे के मुताबिक परियोजना में किसी हानि होने और / या कमी होने की दशा में कंसोर्टियम भागीदार को क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, अभी तक कंपनी द्वारा किसी से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही मध्यस्थता की आवश्यकता वाली कोई विवाद उत्पन्न है।
- 52 वर्ष के अंत में कच्ची सामग्रियों, भंडारण आदि की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक एवं बही के स्टॉक में महत्वपूर्ण फर्क नहीं होने के कारण लेखा बहियों में उचित रूप से व्यवहृत की जाती है।
- 53 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के तहत नोट संख्या 8 के अनुसार वर्ष के अंत में सूची में कच्चे माल के तहत 62.47 लाख रुपये की राशि के पुराने और अप्रयुक्त स्टॉक शामिल हैं। स्टोर के पुर्जे और कलपुर्जे के तहत 2.78 लाख रुपये जो 7 साल से अधिक समय से पड़े हैं और 8.18 लाख रुपये खुले औजार के तहत हैं जो 9 साल से अधिक समय से पड़े हैं। वर्ष के दौरान खातों में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कंपनी की राय है कि अभी तक इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 54 गैर-वर्तमान निवेश टिप्पणी-13 में ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 0.16 लाख रुपये (गत वर्ष - 0.16 लाख रुपये) की 5% नॉन रिडिमेबल रजिस्टर्ड डिबेंचर स्टॉक शामिल है, जिससे कंपनी कोई आय अर्जित नहीं करती है।
- 55 वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया 82.72 लाख रुपये जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्च के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर की है, जो आज की तारीख तक निपटारा हेतु लंबित है।
- 56 कंपनी ने सहायक कंपनी, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल'), द्वितीय स्तर सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को 6,588.99 लाख रुपये की मंजूर किए ऋण और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का हिसाब में नहीं रखी है क्योंकि कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियां समापन के अधीन हैं, इसलिए उनसे उगाही नहीं हो सकती है।
- कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6589 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज का प्रावधान भी नहीं किया है, जिसका उपयोग कंपनी की पूर्वोक्त सहायक कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। यदि इस तरह के ऋण पर चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु देय ब्याज 2155.92 लाख रु. (विगत वर्ष 2160.61 लाख रु.) और भारत सरकार को देय राशि 18440.10 रु. (विगत वर्ष 16284.18 लाख रु.) से अधिक हुई होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए लाभ 2155.92 लाख रु. (विगत वर्ष - 2160.61 लाख रु.) से कम हो गया होता।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 57 आयकर विभाग के कार्यालयीन पोर्टल के मुताबिक 18.56 लाख रु. के निर्विरोध आयकर मांग है, जिसका कंपनी के पास समुचित अभिलेख या खंडन हेतु सबूत नहीं है। तथापि, कंपनी की राय है कि भुगतान करने के लिए कोई भी राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल में प्रदर्शित राशि गलत हो सकती है। कंपनी उसे ठीक करने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।
- 58 कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लेनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के शेष अनुरूप अनुषंगी अभिलेखों के शेष के अनुसार बही में शामिल किया गया है बशर्ते कि संबंधित पार्टियों एवं मिलान से आये अगर कोई परिणामिक समायोजन की पुष्टि हो। इसके अलावा कंपनी देनदारों और लेनदारों से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अभी तक प्राप्त पुष्टियों का मिलान कर लिया गया है। सभी प्राप्त हुए पुष्टिकरणों को ध्यान में रखते हुए शेष किसी भी तरह के मिलान या समायोजन के अधीन है। पिर भी प्रबंधन का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी।
- 59 कंपनी को निम्नलिखित बंद हो चुकी साइटों एवं प्रधान कार्यालय के बैंक शेष के संबंध में संबंधित बैंकों से पुष्टि नहीं मिली है, जिनमें कुछ बहुत पुराने हैं और संबंधित विवरणों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, शेष संबंधित बैंकों से पुष्टि के अधीन अध्ययन हैं। इस तरह के शेष के विवरण इस प्रकार हैं :

साइटों के नाम	बैंक शेष (लाख रुपये में)
1. बोनम साइट	0.09
2. वैतरणी साइट	0.10
3. फरक्का साइट	0.03
4. कहलगांव साइट	0.01
5. कानहन साइट	0.14
6. रिहन्द साइट	0.02
7. उल्लास साइट	0.07
8. बोदा मुंडा साइट	0.31
9. मुगलसराय साइट	0.10
10. अगरतला (त्रिपुरा) साइट	0.07
11. एक्सिस बैंक (प्रधान कार्यालय)	11.44
कुल	12.39

- i) उपरोक्त साइटों में 0.85 रुपये की राशि शामिल है जो बंद साइटों के शेष राशि बतलाती है (विगत वर्ष 0.85 लाख रुपये)
- ii) नकद शेष राशि में 0.70 लाख रुपये(विगत वर्ष 0.70 लाख रुपये) बंद साइट के शेष बतलाता है, जो पहले के वर्षों से संबंधित था, जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
- 60 कोविद – 19 महामारी ने सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य आपातकालीन उपायों के कारण विभिन्न व्यापसायिक कार्यों को बाधित किया है। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के पश्चात् निर्माण स्थलों और कार्यालयों को बंद करने के कारण कंपनी का संचालन प्रभावित हुआ। कंपनी अपने संचालन को चरणबद्ध तरीके से अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप चला रही है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। तरलता, परिसंपत्तियां और वित्तीय स्थिति और वर्तमान संकेतकों और आर्थिक स्थितियों के प्रबंधन की समीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक इसके वित्तीय परिणामों पर कोई भौतिक प्रभाव और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोविद – 19 का प्रभाव का मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जो इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए है और तदनुसार प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित से अलग हो सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

61 उचित मूल्यांकन तकनीक :

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक आंकड़े का उपयोग करके वित्तीय संपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को मूल्य तय करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस रकम में शामिल किया जाता है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मूल्यांकन की तारीख पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता का स्थानांतरण करने के लिए भुगतान किया जाता है। कुछ उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

- i) इन इंस्ट्रूमेंट की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण नकदी और जमा, व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देनदार और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से वहन योग्य रकम का अनुमान करता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित सारणी नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहित कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्यांकन पदानुक्रम प्रदान करती है:

- i) समान संपत्तियों या देनदारियों (स्तर 1) के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें। इसमें सक्रिय बाजारों में कारोबार किए गए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य शामिल है और तुलन पत्र की तिथि पर उद्धृत बाजार मूल्यों पर आधारित है।
- ii) उद्धृत मूल्यों के अलावा इनपुट 1 स्तर के भीतर शामिल हैं जो संपत्ति या देयता के लिए या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी मूल्य से उत्पन्न) (स्तर 2) देखे जा सकते हैं। इसमें वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य शामिल है जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं (उदाहरण के लिए ओवर-द-काउंटर डेरीवेटिव्स) और इसका निर्धारण मूल्यांकन तकनीक से किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीक अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े के उपयोग को अधिकतम करती है जहां पर यह उपलब्ध है और कंपनी के विशेष अनुमानों पर जितना संभव हो कम भरोसा किया जाय। यदि उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट हो तो इंस्ट्रूमेंट अवलोकन योग्य है तो इंस्ट्रूमेंट स्तर 2 में शामिल किया गया है।
- iii) संपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े (जो गैर अवलोकन इनपुट है) पर आधारित नहीं है (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े पर आधारित नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट्स स्तर 3 में शामिल किया गया है।

क वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 को स्थित			31 मार्च 2020 को स्थित		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
इक्विटी में निवेश	-	3,086.81	-	-	3,086.81	-
डिबेंचर (ऋणपत्र) या बांड में निवेश	-	75.24	-	-	71.43	-
कुल वित्तीय संपत्ति	-	3,162.05	-	-	3,158.24	-
वित्तीय देयताएं						
शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित ऋण का आवंटन लंबित है	-	262.06	-	-	297.82	-
कुल वित्तीय देयताएं	-	262.06	-	-	297.82	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 मार्च, 2021 एवं 31 मार्च, 2020 के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई अंतरण नहीं था और स्तर 3 उचित मूल्य माप से कोई अंतरण नहीं था। स्तर 3 के तहत कोई कोई लेनदेन/ शेष नहीं है।

62 भारतीय लेखांकन मानक 116 के तहत प्रकटीकरण के संबंध में जो 1-4-2019 से प्रभावी है, कोई ऑपरेटिंग लीज नहीं है जो वर्ष के दौरान मौजूद है और इसलिए इस संबंध में कोई खुलासा करना आवश्यक नहीं है।

63 पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़े जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सनदी लेखाकार

सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

सी.ए. रविन्द्र खण्डेलवाल

सुंदर बनर्जी

मुकेश कुमार

भागीदार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (वित्त)

सदस्य सं.: 054615

स्थान : कोलकाता

एस.के. घोष

नवीन कुमार मिश्रा

दिनांक : 18.08.2021

उप महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी सचिव

युडीआई एन : 21054615एएएईएन5962



गडग-होटगी, कर्नाटक में पुल तैयार हो रहा है।
Bridge under completion at Gadag-Hotgi, Karnataka.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीबीजे, 2019-20 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'राजभाषा पुरस्कार शील्ड' प्राप्त करते हुए।
Chairman and Managing Director, BBJ, receiving 'Rajbhasha Purashkar Shield' for excellent performance of official language during 2019-20.

